an>

Title: Further discussion on the Constitution (One Hundred and Twenty-Firs t Amendment) Bill, 2014 (Insertion of new articles 124A, 124B and 124C) The National Judicial Appointments Commission Bill, 2014 (Bill Passed).

HON. SPEAKER: Now, we shall take up Item Nos. 26 & 27. Hon. Minister to continue.

13.03Â½ hrs (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY AND MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Hon. Deputy Speaker, Sir, it is indeed a singular honour for me that immediately after your election, I had the privilege to address you, and continue with this proceedings. I feel singularly honoured.

Yesterday, I had very briefly begun. Today, when I am sitting here, addressing the concerns raised.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, order please. Hon. Minister is on his legs. It is a very important Bill and the Minister is replying. I would request all the hon. Members to take their seats. I don't want anybody to stand here.

...(*Interruptions*)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, as I had said yesterday, the entire House had shown great consensus. Sir, I had already said yesterday that I thank all the leaders of Political Parties, hon. the Prime Minister of India who gave me the advice to initiate the process pending for the last 20 years. I thank Madam Sonia Gandhi and all the leaders of the Opposition, Mulayam Singh Yadav *ji;* Madam Mayawati *ji;* hon. the Chief Minister of Tamil Nadu, Madam Jayalalitha; of West Bengal Madam Mamata *ji;* Shri Naveen babu; Sharad Yadav *ji*....(*Interruptions*) Therefore, the entire House has shown consensus. I am grateful to all of them.

Sir, now I come to the specific issues raised. I will go one by one, very quickly without taking names to save time. Many hon. Members have raised the issue of composition as to why 6 members. Here I would like to say that the 67th Amendment Bill, 1990 proposed 5 members. The next one, 1998 proposal gave 7 members. The National Commission to Review the Constitution of Justice Venkatachaliah in 2002 proposed 5 members. The National Judicial Commission – 98th Amendment Bill, 2003 – proposed 7 members, the Administrative Reforms Commission headed by Veerappa Moily *ji* proposed 8 Members headed by the Vice-President, the Prime Minister, the Speaker, the CJI, the Law Minister and the two leaders of Opposition. And the last year's Bill proposed 6 members. Therefore, taking into account all these developments, we have kept 6 members. Therefore, that has to be considered. Two eminent persons are to be appointed by the Prime Minister, by the Chief Justice of India, the Leader of Opposition, the Leader of the largest Political Party in Opposition. Therefore, high-ranked people are going to appoint two eminent persons. I am sure, the two eminent persons will be the best available and in the collective judgement they will take a call. Regulations also give that right under the Constitution. It can also be framed. But as a Parliamentarian, as a Law Minister, I think, I will trust the collective judgement of the three eminent persons more.

The second question has come about composition as to why the rotation issue has been ignored. I would like to explain that very briefly. Ramvilas Paswan *ji,* in his own style, responded to that. We have got one woman from OBC or SC or ST or minority. If we say by rotation, then the term of one can come after 12 years because three years will be the term of one member not subject to re-nomination. You see the flexibility. We can have a very eminent woman from the minority community, as Ramvilas Paswan *ji* has said in his speech. We can have a very eminent woman from the OBC community or the SC community. Who knows? We can have a Law Minister as a woman in future. You are making a Constitution Amendment. Who knows? You can have a Chief Justice of India as a woman or from minority community. Therefore, let this flexibility be available in the light of composition there that three persons be the Prime Minister, the Chief Justice of India and the Leader of Opposition or the Leader of the largest Political Party in Opposition. You have the flexibility to have one of these groups which shall be there. In that view, the rotation issue is not there. I hope this House will appreciate that.

Now I come to the next issue. Many hon. Members from the AIADMK said, Dharmendra *ji* also said, about the State Commission. That is an issue I would like to clarify. It may be constitutionally vulnerable because under article 214, the Governor does not appoint, the President appoints even the High Court Judges. Under Entry 77 and 78 of List 1 of Seventh Schedule, the power is only with the Government of India. Therefore, if we have a State Commission only for recommending for appointment, there may be a problem....(*Interruptions*)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : माननीय मंत्री जी, यह सही है कि राष्ट्रपति महोदय ही नियुक्त करते हैं, लेकिन यह भी सही है कि अभी स्टेट में हाई कोर्ट का कोलेजियम रिकमैंड करता है जिसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोलेजियम की एप्रूवल के बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय ही नियुक्त करते हैं।...(व्यवधान) हमारी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि ऐसी व्यवस्था कर दें कि रिकमैंड वह कर दें, फाइनल नियुक्ति भले ही महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथ से हो जिससे पूरे प्रदेशों की जजों की नियुक्ति की वास्तविक स्थिति सबके सामने आ जाएगी।...(व्यवधान)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: What I am saying, hon. Deputy Speaker, Sir, is that if Shri Dharmendra Yadav will see the regulations, it very clearly says that the Commission shall elicit in writing the views of the Governor and the Chief Minister of the State concerned before making such recommendation in such manner as maybe specified by regulations. एक्ट में ही दे रखा है कि माननीय मुख्य मंत्री, माननीय राज्यपाल का लिखित मन्तव्य पूरी नियुक्ति के बारे में आएगा। वह बिल्कुल लिखा हुआ है। इसलिए उस पर कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए।

Therefore, in that view of the matter, I would also like to request my friends from AIADMK party to consider withdrawing their amendment which is for the purposes of State Commission because the interest of the State is completely safe. I totally agree with the observations made. I can tell you that initially we had named only the Governor. But, no, we realized in the Cabinet that we need to give the Chief Minister also to make it very clear and the Governor has to act on the aid and advice of the Chief Minister. That is the scheme of the Constitution. That is very clear. Therefore, I would request the hon. Members from AIADMK to consider withdrawing this amendment in view of my clarification.

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : आपको सहयोग करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ...(व्यवधान) यह थोड़ा है कि सब उन्हीं पर छोड़ दिया जाएगा।...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : मुलायम सिंह जी, जब कमीशन में है तो आप निश्चिन्त रहिए।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: कुछ वर्गों की उपेक्षा लगातार होती रही है। वही असली सवाल है।...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं उस बात पर आ रहा हूं।...(व्यवधान) मैं उस पर बोलने वाला हूं। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं अभी बोलूंगा।...(व्यवधान)

Shri Veerappa Moily raised two issues. He asked as to why these two members, if they disapprove the recommendation, will not be carried out. It is a six-member Commission. Veerappa Moilyji may be knowing as he is the former Law Minister of India. So many recommendations came to him which now comes to me where a judge is also deferred. One is a dissenter and two is a voice of reason to be considered out of six. I am not saying all this. There is a judgment of 1998 of the Supreme Court whereby the special reference was made. This was before nine judges of the Supreme Court. This was reported in 1998, Volume VII SCC and the page is 739. I would like to read it for Shri Veerappa Moilyji. It says;

"Normally, the collegiums should make its recommendation on the basis of consensus but in case of difference of opinion no one would be appointed if the CJI dissents. If two or more members of the collegiums dissent, CJI should not persist with the recommendations. "

Even in the Judgement or in the editorial note, it is there. The point I am saying is that if the members of four collegium are being given respect that if two decide to oppose, do not persist. Why should not the National Judicial Commission have the same provision, namely, if two members persist, do not recommend? I do not understand this whole question of veto. Who knows, two judges may oppose; who knows, the Law Minister and the CJI may together oppose; and who knows, one of the members and one of the judges may oppose? Therefore, a lot of flexibility is available but this provision of two members dissent is also in operation, as I told you, in the earlier collegium system.

Shri Veerappa Moilyji has raised one more issue. I would like to address that. In Clause VII of the Bill, I had kept a provision that if the President of India, constitutionally speaking, decides to refer the recommendation for reconsideration in that event the decision must be unanimous. Here there is an objection that it may be open to abuse that the Government would like to again try to influence. I would like to clarify this House, hon. Deputy-Speaker, Sir, that the Government has got no such intention. If the President of India, as the highest constitutional authority, thinks that there are reasons, then it may be considered by the Commission, and let the Committee take a unanimous view because if two members can feel that way, if you want to reiterate the advice of the President. But, Sir, I have taken his point. Giving due consideration to his advice, I propose to move an official amendment, and because of shortage of time, I have not been able to circulate. I will just read it to all the Members of this House. Sir, I will do it separately.

Shri Veerappa Moily ji, I have to follow certain procedures. When I come to the Bill, I will have to move it, and I will just do that.

As far as this amendment is concerned, the sum and substance is this. I will move it formally later on. Let me explain to you and to the House as to what is that. If the President recommends back the reference of the Commission for reconsideration, the Commission shall act in the same manner as they do while appointing the High Court and the Supreme Court judges. That means, the same procedure shall be followed, namely, if two members are not supportive of it, you will not consider or other manners laid down by the regulations. Therefore, the plea of unanimity is no more being insisted. I must indicate that. Shri Veerappa Moily ji requested, I considered and I have agreed for that. I would like to tell that to the House.

Now, I come to the other issue. Shri Bhartruhari Mahtab is not here. He raised the issue, why not the Legislature be consulted. It is quite a valid point. In many parts of the world, you have the Legislature confirming this. But I would like to quote Ambedkar again. In 1950, this provision was there. Shri Ambedkar said: "No. If we are not giving a veto to the President, we cannot give a veto to the House also, we cannot give a veto to the Chief Justice of India also because if this kind of situation comes, it may be open to a lot of pressures, pulls and political considerations.

I would like to convey to this House - there was a view – that while making this new process, the Government also must give names, the State Government and the Central Government must also give names. But we have avoided that for the simple reason the sanctity of the institution of judiciary is to be maintained. Yes, there are forums to convey their names. The names will be considered by the Chief Justice, by the Chief Minister, by the Governor, and their views will be taken.

Now, I come to the other issue, that is, about the primacy of judiciary. I think, Shri Veerappa Moily raised some issue and someone else raised this issue. Even in the present Bill, the primacy of judiciary is very much there. Let me recount that the Chief Justice of India is the Head of the Commission. Two senior most judges are there. The Chief Justice is a part of the team consisting of the Prime Minister, the Chief Justice, and the Leader of Opposition or the largest single Party in Opposition to select two eminent members. The names are set in motion by the Chief Justice of the High Court concerned. Therefore, everywhere the primacy of judiciary is there. But, yes, what is the difference? Consultation has been made more meaningful. I would like to say this while recognizing the importance and sanctity of judiciary.

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक ऐसे विषय पर आना चाहूंगा, जिसकी चर्चा माननीय राम विलास पासवान जी और माननीय मुलायम सिंह जी ने की। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कई ऐसे वर्ग, जिनका न्यायपालिका में स्थान होना चाहिए, वे नहीं हैं। राम विलास पासवान जी ने अपनी चिंता बहुत सही जाहिर की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेमोरैंडम ऑफ प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उसमें कहा गया है कि -- we must ensure that woman/OBC/STSC also come.

लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं हुआ है। हमारी यह कोशिश होगी कि कमिशन को भी अधिकार है नाम मंगाने का, तो रिजर्व्ड कैटेगरी के अच्छे वकीलों का डाटा बैंक बनाया जाए। श्री रामविलास जी, यह मेरी इच्छा है। कमिशन का जो दफ्तर बनेगा, तो आगे रेगुलेशंस भी बनेगा, इसकी चर्चा मैंने उनसे की है, रेगुलेशंस भी साथ में बैठकर चीफ जस्टिस बनाएंगे। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि देश में एससी वर्ग के जो अच्छे वकील हैं, उनका डाटा बैंक बने, एसटी के बहुत कम वकील हैं, उनका डाटा बैंक बने, जो लेडीज़ जजेज़ हैं, उनका डाटा बैंक बने, वे कैसे बहस कर रहे हैं, उस पर कितना रिपोर्ट हो रहा है, उनका परफॉर्मेंस क्या है, इसको जांचने का अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से ओबीसी वर्ग के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। जानबूझकर चर्चा करके, हमने इसीलिए ऐसा रखा कि कमिशन भी हाई कोर्ट के जजेज का नाम देगा, उसका यही परपस है कि यदि इस तरह के वर्गों के लोगों का नाम छूटा है, तो कमिशन नाम भेजेगा कि हमारे डाटा में ओबीसी, महिलाएँ, एससी, एसटी, मायनॉरिटी आदि वर्गों के हाई कोर्ट के अच्छे वकीलों की सूची है, आप इन पर विचार कीजिए। माननीय मुलायम सिंह जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे। मैं पटना का हूँ और श्री रामविलास जी बिहार से हैं, इस सदन में वहाँ से कई लोग हैं। श्री मुलायम सिंह जी, पटना में एक " सुपर-30 " चलता है। इसके बारे में श्री शत्रुघ्न सिन्हा

जी भी जानते हैं। इसे चलाने वाले श्री आनन्द हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। वे गरीब, उपेक्षित एससी, एसटी, तथा रिक्शा चलाने वालों के बच्चों को पढ़ाते हैं और वे बच्चे आईआईटी में टॉप कर रहे हैं। आज उनका देश में एक नाम बन रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव: वे अपनी मेहनत पर कर रहे हैं। एससी, एसटी के लिए अलग है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बात का विशेष प्रयास, हम कमिशन के माध्यम से करेंगे कि ऐसे वर्गों को न्यापालिका की नियुक्ति में, जजेज़ की नियुक्ति में स्थान मिले। इन वर्गों के लोगों को योग्यता, प्रतिभा और क्षमता पर स्थान मिले।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मुझे एक ही बात का क्लैरिफिकेशन करना है, आप जो कह रहे थे, मुझे उसमें यही पूछना है कि जब तक मैनडेटरी प्रोविज़न नहीं होता, तब तक एससीज,एसटीज, बैकवर्ड्स, मायनॉरिटीज को जगह नहीं मिलती है। आप बोल रहे हैं कि इसे रेगुलेशन में लाएंगे और नाम मंगवाएंगे, जैसा कि आप कमिटमेंट से बोल रहे हैं, यदि यही कमिटमेंट प्रत्येक लॉ मिनिस्टर का होगा और कमिशन का होगा, तब ठीक है, लेकिन in the absence of mandatory law, it is very difficult, भविष्य में भी ऐसा ही होगा और नाम बुलाए जाएंगे और वे चूज़ करेंगे। Therefore, it is better to have some mandatory provisions. As you have said, you are bringing some amendments, as Moilyji pointed out and you agreed. For this also, you make some mandatory provisions so that it will be all right.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: As I told, hon. Deputy-Speaker, Sir, in the present memorandum of the procedure itself, in the collegiums system it is there. When the regulation will be there, certainly, it will be considered.

But with his wide experience, Khargeji, let me tell you, it depends ultimately upon the commitment of the people concerned. In our Government though there is no 33 per cent reservations, but kindly see in the Cabinet how many women Ministers are there. Let him just recount them. Sushma Swaraji is there; Maneka Gandhiji is there; Uma Bharati is there; Smriti Irani is there; Harsimrat Kaur is there; Nirmala Sitharaman is there. All are holding important portfolios. Why not?

13.22 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

Therefore, if the nominee process is alive to those considerations, I am sure it will be taken care of.

Madam, I am very sorry. Hon. Speaker is also a woman. Therefore, this kind of respect we have given. Surely, when it comes to appointment of Judges, we will surely take this into account.

You are talking of reservation in the Judiciary. That is a larger issue. We will have to consider it separately.

Now, Sir, I come to what Ram Vilasji stated about All India Judicial Service. Many of other Members also stated this. Hon. Veerappa Moilyji is a former Law Minister of India, would know it. Ram Vilasji, this is an issue, which has been pending for the last 40 years. Many States agree and many States do not agree. They say, it is an attack on federal principle. I also see the point, which you stated, if there are brilliant law graduates, after eight to nine years of practice, they can become Additional District Judges straightaway and District Judges including from reserved category, and also become High Court Judges. But the existing Judiciary in the States oppose it saying: "why are you killing my rights?" The Chief Minister also says: "It is my right as a federal Chief Minister. Why is there an All India Service apart from IAS and IPS?"

So, these are issues which have to be clarified and considered. I take on board your concerns. I know Veerappa Moily Ji also knows how it has been pending for the last so many years. But I will try to ensure that a consensus is built on this issue and this I would like to assure the House.

Now, I would like to share with this House one important fact. How do we work? Why should we have this impression that Judiciary and Executive will always have differences of opinion? Let me tell this House that so many Tribunals' Chairmen are appointed. There are about 8-9 Tribunalsâ€"Central Administrative Tribunal, SEBI Appellate Tribunal, Competition Appellate Tribunal, Debt Recovery Tribunal and others. All is headed by retired judges and executive members, retired Secretaries or other eminent people. How are they appointed? They are appointed by the nominee of the Chief Justice of India, Secretary, Department of Law, Finance Secretary and Secretary of DoPT. Have you ever heard the case that the view of the nominee of the Chief Justice of India has been ignored? No, we have been working so satisfactorily. Therefore, there is no reason for all these apprehensions.

The National Judicial Commission will have matured people. The CJI, two senior-most judges, the Law Minister of India, two eminent personsâ€"all are matured senior people. Surely, they will work in coordination. The larger objective would be that those who are the best must be appointed as judge of the Supreme Court and High Courts and the voices of those who are ignored must also come in the judicial appointment. I am sure they will work collectively.

I think Mr. Kalyan Banerjee is not here. Bandyopadhyay Ji, he raised an issue about seniority of judges. Yes, I agree with his concern. Many of the good High Court Chief Justices have not been promoted in the collegium system. I am speaking less as the Law Minister of India, more as a senior lawyer and as a concerned citizen that many of the eminent judges of the High Courts and the Chief Justices, who could have been elevated, were not elevated. Why? There is no answer. He talked about Mr. Bhattacharya. He is a brilliant judge. He ought to have been promoted. But the seniority will have to be considered, apart from the High Court and also the region. Suppose in Mumbai or in Kolkata or in Delhi, there are senior judges. Should we see that only judges from these High Courts go to the Supreme Court? Or, there must be a system where judges from the entire country are also reflected. Therefore, we will have to be a little flexible. Therefore, I have said, yes, apart from seniority while appointing judges of the Supreme Court, ability and merit should also be considered.

It should not be a case of seniority. Madam, Advani Ji is also here. He is very well read in Constitutional affairs. I would like to inform this House that Mr. V.R. Krishna Iyer was brought to the Supreme Court. He was seventh in the order of seniority, yet, he was brought. What a brilliant judge he became. I know many good judges could not come. Mohammed Carim Chagla was chief for 11 years in Bombay High Court. He could not come to the Supreme Court. I know G.P. Singh whom talked about. I talked about Justice Jagmohan Lal Sinha who gave the historic judgement of Allahabad High Court about the election of Indira Gandhi. He could not come to the Supreme Court. Therefore, we know of good judges who could not come to the Supreme Court. Therefore, it is very important that apart from seniority, the ability and merit of High Court judges must be properly considered for elevation to the Supreme Court of India. I am sure the Commission will take care of that. Therefore, this provision is there.

As far as appointment of lawyer is concerned, there have been good and eminent lawyers but hardly four have been appointed. I would like that let good lawyers also come to the Supreme Court of India.

Similarly, in the case of High Courts, let me make some general observation today because it is very important. What happens? Mr. Kalyan Banerjee rightly raised that issue. Suppose a good lawyer, who is 48 years old, is not considered at the right time, and a lawyer, who is 46 years old, is appointed earlier but not outstanding as he is, he says, why should I join now? I will become junior. Let me remain in practice. Therefore, while appointing judges, I am sure the Commission headed by the Chief Justice of India would consider that eminent, promising, young lawyers of integrity and ability are made judges at the right time so that they are able to serve the institution. It is indeed very important and I would like to emphasise it.

The second issue is, while considering these appointments, the nature of whole architecture, which we have brought about, will be working in a manner that there is a proper balance of opinion and consideration of each other views, giving due primacy to the views of the Chief Justice of India and two senior most judges.

Madam Speaker, let me say something very interesting. Before 1993, the Executive had an important role. We all know that. In the S.P. Gupta case, the Supreme Court said, Executive's role is 'primacy'. But, let me say something. Right from 26th of January, 1950 till 1993, some of the finest judges of India – Supreme Court and High Courts – came from the earlier system. Some missed out also. Can we say today, Mr. Veerappa Moily, that after 1993 in the collegium system we have got the best judges? Obviously, there have been very good judges, very good Chief Justices, I must acknowledge it. But, if we say that in the collegium system all good judges have come, I think that claim we cannot make.

This is not that this need for change is something a decision of our Government only. As I said earlier, while introducing the Bill, for 20 years this has been pending. Five to six Commissions, including the Administrative Reforms Commission headed by Mr. Veerappa Moily and so many Constitution Review Commissions have recommended it. Even the views of Shri Venkatachaliah, the former Chief Justice of India, who headed the Constitution Review Commission, are there. The Law Commission's view is there. Therefore, it is a collective exercise in existence for the last 20 years, which was saying to change the collegium system.

Now, I have two short points, before I conclude. Someone said, how the Commission will take this load. Mr. Premachandran has moved the amendment, 'make the Registrar General'. I would request you to withdraw your amendment for the following reasons. The Secretary, Justice has been made the Member and not the Convener because all the information come to the Secretary, Justice about the working of the High Courts all over the country. For smooth functioning of the Commission, it is very important that the Justice, Secretary must be there.

The other issue stated is about making it a permanent body. If we make a permanent body, then there will be some retired judges. I would request those Members to consider that the sitting Chief Justice is the head of the Judiciary. The two senior most judges are important and they all come to that. The sitting Chief Justice of the High Court is important. अगर आप कहेंगे कि इन सभी को छोड़ कर एक परमानेंट बॉडी बनाओ, तो उनके व्यू का क्या होगा, इसलिए यह पूरा नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन ठीक से चले, हैड ऑफ दी ज्यूडिशरी का भी सम्मान हो, हाई कोर्ट के हैड का भी सम्मान हो, मुख्य मंत्री का भी सम्मान हो, गवर्नर की भावनाओं पर भी विचार हो, लॉ मिनिस्टर भी अपनी बात रखें, एमीनेंट पर्सन भी अपनी बात रखें, तो यह पूरा सिस्टम बहुत सोच-समझ कर बनाया गया है। यह बात मैं बहुत विनमृता से कहना चाहता हूं।

Hon. Speaker, Madam, with these words, I conclude.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, the hon. Minister misunderstood the amendment, which I have proposed. My amendment is not in respect of the appointment of Secretary to the Commission. My amendment is in respect of reporting of vacancies. We are not moving the amendments now. In clause 4 of the Bill, it is mentioned that the Central Government shall within a period 30 days, intimate the vacancies to the Commission. My point is that we should maintain the separation of the Judiciary. The Bill should give a message that independence of the Judiciary is maintained by the Legislature. Why should the Central Government report the vacancies to the Judicial Appointment Commission? Let the Judiciary recommend it. So, it is a small and harmless amendment. But the message is very clear. The Central Government is taking the entire powers to report the vacancies to the Judicial Appointments Commission to fill the vacancies. It should be that the Judiciary has to say that such and such vacancies are there, which need to be filled. That reporting right should be given to the Judiciary. Then only we can say that the Judiciary is separate and the Executive is separate. That is my amendment. It is just to prove the intention of the Legislature.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I think, Shri Premachandran, you would know that I am also the former Law Minister of India and Shri Moily is also sitting here.

The Justice Department maintains the entire list of the judges of India of who is retiring when, not from now but since 1950. It is more than, I would say, 64 years. By the way, will the independence of the Judiciary be sanctified only when Registrar is given the reporting authority? This House yesterday has confirmed so openly that this House respects the independence of the Judiciary. That assurance is more important and not the reporting of the Registrar. I would like to say that. Therefore, I think that you need to withdraw that.

Madam, I think, I have replied to all the other issues raised by the Members. I have not taken the names, but let me repeat that with profound respect, I thank all the Members who have participated. We have seen the collective consensus which has emerged in the House about the entire functioning and the entire need of it. I salute the Members. Let a message go to the country that the polity of India reflected by this greatest institution of Indian democracy is one for independence and integrity of Judiciary, but surely, the system of appointment needs to be changed.

With these words, I would move the Constitution (Amendment) Bill and the amendment for the kind consideration of the House.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam, my query relates to the National Judicial Appointment Commission Bill. It is about clause 7 where the power of President to require reconsideration has been given. I would like to read those two paragraphs and put that question. It reads:

> "Provided that the President may, if considered necessary, require the Commission to reconsider, either generally or otherwise, the recommendations made by it."

There is another proviso which reads:

"Provided the Commission makes unanimous recommendation after reconsiderationâ€¦. "

The point which I had made in my speech yesterday was relating to independence of Judiciary and that it should be maintained. In that, following the independence of the Judiciary, Shri Moily had mentioned about the issue of veto. I want to extend that question a little bit. I hope that the Minister is considering or will come up with certain clarifications in that regard. Is it not true that once hon. President sends the recommendation of the National Judicial Appointments Commission for reconsideration and there is no consensus on the list, the recommendation becomes infructuous because once the word 'consensus' is there, it means that even if one single member disagrees, it is not consensus. In that respect, I would like to know whether the recommendation of the Chief Justice of India is also dropped. How are they going to correct that? Here, the independence of Judiciary also is being compromised.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Hon. Mahtabji, you are a very distinguished friend and hon. Member. You were not here when I was explaining. I have explained that I am going to amend that particular provision.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I was present. You did not explain. You were advised not to.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I had explained that. Let me just repeat what I said.

I conveyed my appreciation to Shri Veerappa Moily. He had raised it and you had also raised. I had proposed in the Bill that the views of the President must be given due consideration. If you want to reject his view, then come with a unanimous recommendation. There is no element of veto at all. I was talking about the President of India, not the Law Minister. Seeing the views of the House, I will just move an official amendment stating *inter alia* that if the President sends a request for reconsideration, then such request shall be considered in the same manner as in Section 5 and Section 6. Therefore, unanimity issue goes and if two members say 'no', it will be considered. I have explained it about the collegium's view also.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: If there is a single member who says 'no'.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: A single member becomes a dissenter; two members become a weight in six. This is how you have to see it.

HON. SPEAKER: Firstly, before I put the motion for consideration of the Constitution (One Hundred and Twenty-First Amendment) Bill, 2014 to the vote of the House, I may inform the House that this being a Constitution (Amendment) Bill, voting has to be by Division. Since Division Numbers have not been allotted, the Division shall take place by distribution of slips to the Members.

So, let the Lobbies be cleared --

Now, the Lobbies have been cleared.

Now, the Secretary-General will inform about the procedure of voting by distribution of slips. किस तरीके से वोटिंग करनी है, सैक्रेटरी जनरल आपको बताएंगे, ध्यान से सुनें।

ANNOUNCEMENT RE: AUTOMATIC VOTE

RECORDING SYSTEM

SECRETARY-GENERAL: I have to inform the hon. Members that as the Division Numbers have not so far been allotted to members, it is not possible to hold the Division by the Automatic Vote Recording machine. Division will now take place under rule 367 AA by distribution of slips.

Members will be supplied at their seats with 'Aye/No' printed slips for recording their votes. 'Aye' slips are printed on one side in green, both in English and Hindi and 'No' in red on its reverse. On the slips, members may kindly record votes of their choice by signing and writing legibly their names, Identity card numbers, constituency and State/Union Territory and date at the place specified on the slip. Members who desire to record 'Abstention' may ask for the 'Abstention' (yellow colour) slip. Immediately after recording their vote, each member should pass on the slip to the Division Officer who will come to their seat to collect the same for handing over to the Officers at the Table. Members are requested to fill in only one slip for Division.

Members are also requested not to leave their seats till the slips are collected by the Division Officers.

14.00 hrs

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

The Lok Sabha divided:

DIVISION No. -I **AYES** **14.05 hrs.**

Adityanath, Yogi

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Anwar, Shri Tariq

Azad, Shri Kirti

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Bais, Shri Ramesh

Baite, Shri Thangso

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Abhishek

Basheer, Shri E. T. Mohammad

Bhagat, Shri Bodh Singh

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharti, Sushri Uma

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Biju, Shri P. K.

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Bose, Prof. Sugata

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chauhan, Shri Devusinh

Chavan, Shri Harishchandra

Chhotelal, Shri

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Babulal

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Dattatreya, Shri Bandaru

De, Dr. Ratna (Nag)

Deka, Shri Ramen

Deo, Shri Arka Keshari

Deo, Shri Kalikesh N. Singh

Dev, Kumari Sushmita

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhotre, Shri Sanjay

Dohre, Shri Ashok Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

George, Adv. Joice

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gohain, Shri Rajen

Gurjar, Shri Krishanpal

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hazra, Dr. Anupam

Hegde, Shri Anantkumar

Hikaka, Shri Jhina

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jatua, Shri Choudhury Mohan

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jena, Shri Rabindra Kumar

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karandlaje, Kumari Shobha

Karra, Shri Tariq Hameed

Karunakaran, Shri P.

Kashyap, Shri Virender

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khan, Shri Saumitra

Khanduri, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kharge, Shri Mallikarjun

Kher, Shrimati Kirron

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Kaushal

Kirtikar, Shri Gajanan

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri B. Vinod

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Shailesh

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Balbhadra

Mani, Shri Jose K.

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Arjun Lal

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri M. Murli

Mohapatra, Dr. Sidhant

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mufti, Ms. Mehbooba

Mukherjee, Shri Abhijit

Munda, Shri Karia

Nagar, Shri Rodmal

Nagesh, Shri Godam

Naik, Shri Shripad Yesso

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Ninama, Shri Manshankar

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Poddar, Shrimati Aparupa

Pradhan, Shri Nagendra Kumar

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Premachandran, Shri N.K.

Radhakrishnan, Shri Pon

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajesh, Shri M. B.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramadoss, Dr. Anbumani

Ramchandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Rao, Shri Muthamsetti Srinivasa [Avanthi]

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri A.P. Jithender

Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Reddy, Shri Y. V. Subba

Renuka, Shrimati Butta

Rijiju, Shri Kiren

Rori, Shri Charanjeet Singh

Roy, Prof. Saugata

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Salim, Shri Mohammad

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Sarnia, Shri Naba Kumar

Satpathy, Shri Tathagata

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Sawant, Shri Arvind

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Shanavas, Shri M.I.

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shirole, Shri Anil

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Prabhas Kumar

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hemendra Chandra

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajnath

Singh, Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Rama Kishore

Singh, Shri Rao Inderjit

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Virendra

Ã‹Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Sinha, Shri Shatrughan

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sule, Shrimati Supriya

Supriyo, Shri Babul

Swain, Shri Ladu Kishore

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tarai, Shrimati Rita

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Teli, Shri Rameshwar

Thakur, Shri Anurag Singh

Tripathi, Shri Sharad

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri Shivkumar

Usendi, Shri Vikram

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Mulayam Singh

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

NOES

NIL

ABSTAIN

Arunmozhithevan, Shri A.

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Elumalai, Shri V.

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Hari, Shri G.

Jayavardhan, Dr. J.

Kamaraj, Dr. K.

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Maragatham, Shrimati K.

Marutharajaa, Shri R. P.

Nagarajan, Shri P.

Natterjee, Shri J.J.T.

Panneerselvam, Shri V.

Parthipan, Shri R.

Prabakaran, Shri K. R. P.

Radhakrishnan, Shri T.

Raajhaa, Shri A. Anwhar

Rajendran, Shri S.

Ramachandran, Shri K. N.

Sathyabama, Shrimati V.

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Sundaram, Shri P. R.

Thambidurai, Dr. M.

Udhayakumar, Shri M.

Vanaroja, Shrimati R.

Venkatesh Babu, Shri T. G.

Venugopal, Dr. P.

Vijaya Kumar, Shri S. R.

HON. SPEAKER: The result of the Division is:

Ayes: 315

Noes: Nil

Abstain: 033

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, लंच का क्या होगा?

माननीय अध्यक्ष : पहले ही बोल दिया है कि आज लंच ब्रेक नहीं होना है। Hon. Members, Dr. M. Thambidurai does not want to move his amendments to clause 3. As such, there are no amendments to clauses 2 to 10. If the House agrees, I shall put clauses 2 to 10 together to the vote of the House in which case, the result of the voting shall be taken as applicable to each clause.

The Lobbies have already been clearedâ€¦.

I shall now put clauses 2 to 10 to the vote of the House.

The question is:

"That clauses 2 to 10 stand part of the Bill."

The Lok Sabha divided:

DIVISION No. -II AYES 14.20 hrs.

Adityanath, Yogi

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Anwar, Shri Tariq

Azad, Shri Kirti

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Bais, Shri Ramesh

Baite, Shri Thangso

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Abhishek

Basheer, Shri E. T. Mohammad

Bhagat, Shri Bodh Singh

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharti, Sushri Uma

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Biju, Shri P. K.

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Bose, Prof. Sugata

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chauhan, Shri Devusinh

Chavan, Shri Harishchandra

Chhotelal, Shri

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Babulal

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Dattatreya, Shri Bandaru

De, Dr. Ratna (Nag)

Deka, Shri Ramen

Deo, Shri Arka Keshari

Deo, Shri Kalikesh N. Singh

Dev, Kumari Sushmita

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhotre, Shri Sanjay

Dohre, Shri Ashok Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

George, Adv. Joice

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gohain, Shri Rajen

Gurjar, Shri Krishanpal

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hazra, Dr. Anupam

Hegde, Shri Anantkumar

Hikaka, Shri Jhina

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jatua, Shri Choudhury Mohan

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jena, Shri Rabindra Kumar

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karandlaje, Kumari Shobha

Karra, Shri Tariq Hameed

Karunakaran, Shri P.

Kashyap, Shri Virender

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khan, Shri Saumitra

Khanduri, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kharge, Shri Mallikarjun

Kher, Shrimati Kirron

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Kaushal

Kirtikar, Shri Gajanan

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri B. Vinod

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Shailesh

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahtab, Shri Bhartruhari

Majhi, Shri Balbhadra

Mani, Shri Jose K.

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Arjun Lal

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri M. Murli

Mohapatra, Dr. Sidhant

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mufti, Ms. Mehbooba

Mukherjee, Shri Abhijit

Munda, Shri Karia

Nagar, Shri Rodmal

Nagesh, Shri Godam

Naik, Shri Shripad Yesso

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Ninama, Shri Manshankar

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Poddar, Shrimati Aparupa

Pradhan, Shri Nagendra Kumar

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Premachandran, Shri N.K.

Radhakrishnan, Shri Pon

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajesh, Shri M. B.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramadoss, Dr. Anbumani

Ramchandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Rao, Shri Muthamsetti Srinivasa [Avanthi]

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri A.P. Jithender

Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Reddy, Shri Y. V. Subba

Renuka, Shrimati Butta

Rijiju, Shri Kiren

Rori, Shri Charanjeet Singh

Roy, Prof. Saugata

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Salim, Shri Mohammad

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Sarnia, Shri Naba Kumar

Satpathy, Shri Tathagata

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Sawant, Shri Arvind

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Shanavas, Shri M.I.

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shirole, Shri Anil

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Prabhas Kumar

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hemendra Chandra

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajnath

Singh, Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Rama Kishore

Singh, Shri Rao Inderjit

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Virendra

Ã‹Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Sinha, Shri Shatrughan

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sule, Shrimati Supriya

Supriyo, Shri Babul

Swain, Shri Ladu Kishore

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tarai, Shrimati Rita

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Teli, Shri Rameshwar

Thakur, Shri Anurag Singh

Tripathi, Shri Sharad

Trivedi, Shri Dinesh

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri Shivkumar

Usendi, Shri Vikram

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Mulayam Singh

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

NOES

NIL

ABSTAIN

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Elumalai, Shri V.

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Hari, Shri G.

Jayavardhan, Dr. J.

Kamaraj, Dr. K.

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Maragatham, Shrimati K.

Marutharajaa, Shri R. P.

Nagarajan, Shri P.

Natterjee, Shri J.J.T.

Panneerselvam, Shri V.

Parthipan, Shri R.

Prabakaran, Shri K. R. P.

Radhakrishnan, Shri T.

Raajhaa, Shri A. Anwhar

Rajendran, Shri S.

Ramachandran, Shri K. N.

Sathyabama, Shrimati V.

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Sundaram, Shri P. R.

Thambidurai, Dr. M.

Udhayakumar, Shri M.

Vanaroja, Shrimati R.

Venkatesh Babu, Shri T. G.

Venugopal, Dr. P.

Vijaya Kumar, Shri S. R.

HON. SPEAKER: The result of the Division is:

Ayes: 315

Noes: Nil

Abstain: 032

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

The motion was adopted.

Clauses 2 to 10 were added to the Bill.

Clause 1 Short title and commencement.

HON. SPEAKER: There is an amendment to Clause 1. Now, the Minister to move amendment No.1

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I beg to move:

"Page 1, line 2, --
for "One Hundred and Twenty First"
substitute "*Ninety-ninth*" (1) "

माननीय अध्यक्ष: आपने अमेंडमेंट मूव कर दिया।

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैंने अमेंडमेंट मूव कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष: क्या आपको इस पर कुछ बोलना है?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, यह अमेंडमेंट बहुत ही छोटा है, पहले हमने इसका नम्बर 121 अमेंडमेंट रखा था, गिनती करने पर आया कि यह 99 होगा, इसका नम्बर ठीक कर रहे हैं। संविधान के संशोधन में संविधान के संशोधन का नम्बर कितना है, वह देना पड़ता है। पहले हमने काउंट किया था तो यह 121 था, जब हमने पूरी काउंटिंग की तो मालूम हुआ कि कई संविधान के संशोधन पैंडिंग हैं, चूंकि यह पास हो रहा है, इसलिए इसका सही नम्बर 99 होगा, उसी अनुरूप में इसका हम संशोधन कर रहे हैं।â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The question is:

"Page 1, line 2, --
for "One Hundred and Twenty First"
substitute "*Ninety-ninth*" (1) "

The motion was adopted.

माननीय अध्यक्ष: कृपा कर जो माननीय सदस्य हाउस में हैं, वे बैठ जाइए। उसके बाद लॉबी क्लियर करेंगे।

श्री रवि शंकर प्रसाद : एक बार घंटी बजवा दें।

HON. SPEAKER: Let the Lobbies be clearedâ€”

Now, the Lobbies have been cleared.

I shall now put clause 1, as amended, to the vote of the House.

The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The Lok Sabha divided:

DIVISION No. -III AYES 14.45 hrs.

Adityanath, Yogi

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Anwar, Shri Tariq

Azad, Shri Kirti

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Baite, Shri Thangso

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Abhishek

Barne, Shri Shrirang Appa

Basheer, Shri E. T. Mohammad

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Bodh Singh

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharti, Sushri Uma

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Biju, Shri P. K.

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Bose, Prof. Sugata

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandrappa, Shri B. N.

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chauhan, Shri Devusinh

Chavan, Shri Harishchandra

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi

Chhewang, Shri Thupstan

Chhotelal, Shri

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Dattatreya, Shri Bandaru

De, Dr. Ratna (Nag)

Deka, Shri Ramen

Deo, Shri Arka Keshari

Deo, Shri Kalikesh N. Singh

Dev, Kumari Sushmita

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhotre, Shri Sanjay

Dohre, Shri Ashok Kumar

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Faizal, Mohammed

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

George, Adv. Joice

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gogoi, Shri Gaurav

Gohain, Shri Rajen

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Gupta, Shri Shyama Charan

Gurjar, Shri Krishanpal

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hazra, Dr. Anupam

Hegde, Shri Anantkumar

Hikaka, Shri Jhina

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jatua, Shri Choudhury Mohan

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayadevan, Shri C. N.

Jena, Shri Rabindra Kumar

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai Bhikhabhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karandlaje, Kumari Shobha

Karra, Shri Tariq Hameed

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khan, Shri Saumitra

Khanduri, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kharge, Shri Mallikarjun

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Kirtikar, Shri Gajanan

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri Ashwini

Kumar, Shri B. Vinod

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Shailesh

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Dr. Mriganka

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahtab, Shri Bhartruhari

Malviya, Prof. Chintamani

Mandal, Dr. Tapas

Mani, Shri Jose K.

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Arjun Lal

Meghwal, Shri Arjun Ram

Meinya, Dr. Thokchom

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P.C.

Mohapatra, Dr. Sidhant

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shrimati Pratima

Mufti, Ms. Mehbooba

Mukherjee, Shri Abhijit

Munda, Shri Karia

Muniyappa, Shri K.H.

Nagar, Shri Rodmal

Nagesh, Shri Godam

Naik, Prof. A.S.R.

Naik, Shri B.V.

Naik, Shri Shripad Yesso

Nath, Shri Chand

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Ninama, Shri Manshankar

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Pal, Shri Jagdambika

Pala, Shri Vincent H.

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri Bheemrao B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Poddar, Shrimati Aparupa

Pradhan, Shri Nagendra Kumar

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Premachandran, Shri N.K.

Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri R.

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajesh, Shri M. B.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramadoss, Dr. Anbumani

Ramchandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Rao, Shri Muthamsetti Srinivasa [Avanthi]

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri A.P. Jithender

Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Renuka, Shrimati Butta

Rijiju, Shri Kiren

Rori, Shri Charanjeet Singh

Roy, Prof. Saugata

Ruala, Shri C.L.

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Salim, Shri Mohammad

Samal, Dr. Kulmani

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarnia, Shri Naba Kumar

Sarswati, Shri Sumedhanand

Satpathy, Shri Tathagata

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Sawant, Shri Arvind

Sethi, Shri Arjun Charan

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Shanavas, Shri M.I.

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shirole, Shri Anil

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hemendra Chandra

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajnath

Singh, Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Rama Kishore

Singh, Shri Rao Inderjit

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Sinha, Shri Shatrughan

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sule, Shrimati Supriya

Supriyo, Shri Babul

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Swain, Shri Ladu Kishore

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tarai, Shrimati Rita

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Shri Sharad

Trivedi, Shri Dinesh

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri Shivkumar

Usendi, Shri Vikram

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vichare, Shri Rajan

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Mulayam Singh

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

NOES

NIL

ABSTAIN

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Elumalai, Shri V.

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Hari, Shri G.

Jayavardhan, Dr. J.

Kamaraj, Dr. K.

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Mahendran, Shri C.

Maragatham, Shrimati K.

Marutharajaa, Shri R. P.

Nagarajan, Shri P.

Natterjee, Shri J.J.T.

Panneerselvam, Shri V.

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Prabakaran, Shri K. R. P.

Radhakrishnan, Shri T.

Raajhaa, Shri A. Anwhar

Rajendran, Shri S.

Ramachandran, Shri K. N.

Sathyabama, Shrimati V.

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Sundaram, Shri P. R.

Thambidurai, Dr. M.

Udhayakumar, Shri M.

Vanaroja, Shrimati R.

Vasanthi, Shrimati M.

Venkatesh Babu, Shri T. G.

Venugopal, Dr. P.

Vijaya Kumar, Shri S. R.

HON. SPEAKER: The result of the Division is:

Ayes: 367

Noes: Nil

Abstain: 035

The Motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Hon. Speaker, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

HON. SPEAKER: The Lobbies have already been cleared.

The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The Lok Sabha divided:

DIVISION No. -IV AYES 14.55 hrs.

Adityanath, Yogi

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Anwar, Shri Tariq

Azad, Shri Kirti

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Baite, Shri Thangso

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Abhishek

Barne, Shri Shrirang Appa

Basheer, Shri E. T. Mohammad

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Bodh Singh

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharti, Sushri Uma

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Biju, Shri P. K.

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Bose, Prof. Sugata

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandrappa, Shri B. N.

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chauhan, Shri Devusinh

Chavan, Shri Harishchandra

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi

Chhewang, Shri Thupstan

Chhotelal, Shri

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Dattatreya, Shri Bandaru

De, Dr. Ratna (Nag)

Deka, Shri Ramen

Deo, Shri Arka Keshari

Deo, Shri Kalikesh N. Singh

Dev, Kumari Sushmita

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhotre, Shri Sanjay

Dohre, Shri Ashok Kumar

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Faizal, Mohammed

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shri Feroze Varun

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

George, Adv. Joice

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Godse, Shri Hemant Tukaram

Gogoi, Shri Gaurav

Gohain, Shri Rajen

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Gupta, Shri Shyama Charan

Gurjar, Shri Krishanpal

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hazra, Dr. Anupam

Hegde, Shri Anantkumar

Hikaka, Shri Jhina

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jatua, Shri Choudhury Mohan

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayadevan, Shri C. N.

Jena, Shri Rabindra Kumar

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karandlaje, Kumari Shobha

Karra, Shri Tariq Hameed

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khan, Shri Saumitra

Khanduri, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kharge, Shri Mallikarjun

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Kirtikar, Shri Gajanan

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri Ashwini

Kumar, Shri B. Vinod

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Shailesh

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Mahajan, Shrimati Poonam

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Dr. Mriganka

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahtab, Shri Bhartruhari

Malviya, Prof. Chintamani

Mandal, Dr. Tapas

Mani, Shri Jose K.

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Arjun Lal

Meghwal, Shri Arjun Ram

Meinya, Dr. Thokchom

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Misra, Shri Pinaki

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri P.C.

Mohapatra, Dr. Sidhant

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shrimati Pratima

Mufti, Ms. Mehbooba

Mukherjee, Shri Abhijit

Munda, Shri Karia

Muniyappa, Shri K.H.

Nagar, Shri Rodmal

Nagesh, Shri Godam

Naik, Prof. A.S.R.

Naik, Shri B.V.

Naik, Shri Shripad Yesso

Nath, Shri Chand

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Ninama, Shri Manshankar

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Pal, Shri Jagdambika

Pala, Shri Vincent H.

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri Bheemrao B.

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Poddar, Shrimati Aparupa

Pradhan, Shri Nagendra Kumar

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Premachandran, Shri N.K.

Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri R.

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajesh, Shri M. B.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramadoss, Dr. Anbumani

Ramchandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Rao, Shri Muthamsetti Srinivasa [Avanthi]

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri A.P. Jithender

Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Renuka, Shrimati Butta

Rijiju, Shri Kiren

Rori, Shri Charanjeet Singh

Roy, Prof. Saugata

Ruala, Shri C.L.

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Salim, Shri Mohammad

Samal, Dr. Kulmani

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarnia, Shri Naba Kumar

Sarswati, Shri Sumedhanand

Satpathy, Shri Tathagata

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Sawant, Shri Arvind

Sethi, Shri Arjun Charan

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Shanavas, Shri M.I.

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shirole, Shri Anil

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hemendra Chandra

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajnath

Singh, Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Rama Kishore

Singh, Shri Rao Inderjit

Singh, Shri Ravneet

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Sinha, Shri Shatrughan

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sule, Shrimati Supriya

Supriyo, Shri Babul

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Swain, Shri Ladu Kishore

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tarai, Shrimati Rita

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Shri Sharad

Trivedi, Shri Dinesh

Tumane, Shri Krupal Balaji

Udasi, Shri Shivkumar

Usendi, Shri Vikram

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vichare, Shri Rajan

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Mulayam Singh

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

NOES

NIL

ABSTAIN

_

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Elumalai, Shri V.

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Hari, Shri G.

Jayavardhan, Dr. J.

Kamaraj, Dr. K.

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Mahendran, Shri C.

Maragatham, Shrimati K.

Marutharajaa, Shri R. P.

Nagarajan, Shri P.

Natterjee, Shri J.J.T.

Panneerselvam, Shri V.

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Prabakaran, Shri K. R. P.

Radhakrishnan, Shri T.

Raajhaa, Shri A. Anwhar

Rajendran, Shri S.

Ramachandran, Shri K. N.

Sathyabama, Shrimati V.

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Sundaram, Shri P. R.

Thambidurai, Dr. M.

Udhayakumar, Shri M.

Vanaroja, Shrimati R.

Vasanthi, Shrimati M.

Venkatesh Babu, Shri T. G.

Venugopal, Dr. P.

Vijaya Kumar, Shri S. R.

HON. SPEAKER: The result of the Division is:

Ayes: 367

Noes: Nil

Abstain: 035

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The Bill, as amended, is passed by the requisite majority, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution.

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: I shall now put to the vote of the House the motion for consideration of National Judicial Appointments Commission Bill.

The question is:

> "That the Bill to regulate the procedure to be followed by the National Judicial Appointments Commission for recommending persons for appointment as the Chief Justice of India and other Judges of the Supreme Court and Chief Justices and other Judges of High Courts and for their transfers and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

> "That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move amendment Nos.6, 7 and 8. Are you moving?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: In the light of the assurance given by the hon. Minister that the Government has no intention to interfere in the internal administration of the judiciary, and also in the light of a matter which has been brought to the House that the Department of Justice is well equipped with the vacancy position of the Judges, I withdraw those three amendments in my name.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That Clauses 4 to 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 4 to 6 were added to the Bill.

Clause 7 Power of President to require

reconsideration.

Amendment made:

Page 3, *for* lines 26 and 27,

Substitute

"Provided further that if the Commission, makes a recommendation after reconsideration in accordance with the provisions contained in sections 5 or 6, the President shall make the appointment accordingly." (9)

(Ravi Shankar Prasad)

HON. SPEKAER: The question is:

"That Clause 7, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clauses 8 to 14 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

15.00 hrs

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill as amended be passed.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

____

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, there a discussion about the atrocities against women. We will conclude it. ...(*Interruptions*) Let the Minister respond to that discussion; then, we will go to the other item. Otherwise it will take more time. If there are other hon. Members who want to speak I would request the hon. Members who have given their names to please bear in mind that it has been discussed at length. So, let the Minister respond to that discussion. After that, we will take up the other issues.

HON. SPEAKER: Do you want it after Calling Attention or before that?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: First, we shall have the reply and then the Calling Attention please, Madam. After that we can take up what Shri Kharge wanted. All of this will be taken up today itself. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: केवल रिप्लाई देना है, उसके बाद दूसरा विषय लेंगे। अभी तो तीन ही बजे हैं।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, Calling Attention can be taken up now; immediately after that the other subject can be taken up. The reply can be given afterwards. That is what you have promised. ...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I have no problem. If you want Calling Attention first and then the next discussion, the Government has no problem. Is that what you want? ...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: By raising such questions, do not put me in an embarrassing position. I have already stated what I wanted to say about the promise made. â€¦ (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, रिप्लाई कल हो जाएगा। अभी कॉलिंग अटेंशन ले लेते हैं। श्री किरीट सोमैया।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Let there be some order in the House please. कृपया सदन में शांति बनाए रखें। जिन माननीय सदस्यों को जाना है, वे शांति से जाएं, बातें न करें।

*t30

Title: Need to exempt residential colonies as well as vacant land of Defence from obtaining NOC from Ministry of Defence to carry out development work.

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Madam, I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "To exempt residential colonies as well as vacant land of Defence from otaining NOC from Ministry of Defence to carry development work."

*m02

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, the issue of No Objection Certificate (NOC) for construction on lands adjacent to the Defence Establishments had generated controversy particularly in two cases of Sukhna and Adarsh Housing Cooperative Society, Mumbai. Various issues involved in these two cases were reviewed and the matter was considered in detail by the Government in consultation with the Services and other Defence organizations. It was felt that Works of Defence Act, 1903, which imposes restrictions on the use and enjoyment of land in the vicinity of Defence Establishments, needed comprehensive amendment so as to take care of security concerns of Defence Forces. Pending amendment in the Works of Defence Act, it was felt necessary to issue instructions in the interim, to regulate the grant of NOC for construction being undertaken in the vicinity of Defence Establishments. The objective of these instructions is to strike a balance between the security concerns of the Forces and the right of the public to undertake the construction activities on their land.

2. Instructions issued for grant of NOC for building constructions in the vicinity of Defence Establishment *vide* Ministry of Defence Letter No. 11026/2/2011 D(lands) dated 18th May 2011, stipulate the following:

(a) Where local municipal laws require consultation with the Station Commander before a building plan is approved, the Station Commander may convey his views after seeking approval from the next higher authority not below the rank of a Brigadier or equivalent within four months of the receipt of such requests or within the specified period if any required by law. Objections/views/NOCs will be conveyed only to the State Government agencies or to the Municipal authorities, and under no circumstances shall be conveyed to the builders/private parties.

(b) Where local municipal laws do not so require, and the Station Commander feels that any construction coming up within 100 metres (for multi-storey buildings of more than four storeys the distance shall be 500 metres) radius of the Defence Establishments can be a security hazard, the Station Commander can convey his objection to the local municipality after seeking approval of the next higher authority in the chain of command. In case the next higher authority is also convinced, then the Station Commander may convey its objections/views to the local municipality or the State Government agencies. If the local municipality or the State Government does not take cognizance of the objections, matter may be taken up with the higher authorities, if need be through Army Headquarters, Ministry of Defence.

(c) Objections/views/NOCs shall not be given by any authority other than Station Commander to the local municipality or the State Government agencies and shall not be given directly to private parties/builders under any circumstances.

(d) NOCs once issued will not be withdrawn without the approval of the Service Headquarters.

(e) These instructions will not apply where constructions are regulated by the provisions of the existing Acts or Notifications. In such cases provisions of the concerned Act/Notification will continue to prevail.

3. Following the issue of these instructions references and representations were received by the Ministry of Defence raising several issues about the guidelines. It has therefore been decided to carry out a comprehensive review of the above guidelines/instructions dated 18.5.2011. The terms of reference for the review have been circulated to all Service Headquarters and Defence Organizations for obtaining their comments, suggestions and recommendations for changes if any.

*m03

डॉ. किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदया जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। कल आपको श्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला, इसलिए बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद इसके लिए देना चाहता हूं कि आज के रिप्लाई के पैरा 3 में माननीय मंत्री जी ने रिव्यू की बात कही है। तीन साल से हिंदुस्तान के 500 शहर के लोग परेशान हैं। घोटाला हुआ आदर्श का, उसमें सब छूट रहे हैं, लेकिन फंस गये 50 लाख आम नागरिक। मुम्बई हो, पूणे हो, जबलपुर हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पता चला है कि इंदौर हो या महूं हो, आपको भी इस विषय की जानकारी है कि जिस

प्रकार से आर्बिट्रेरी सर्कूलर 2011 में निकाला गया। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मुम्बई जैसे शहर में 500 मीटर इस पार और 500 मीटर इस पार डिफेंस की 187 से ज्यादा लैंड हैं, छोटे-छोटे टुकड़े हैं, इन सब पर यह कानून लागू कर दिया। अब जू-एरिया में स्कूल कॉलेज हैं, जिनमें हम सब जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़े हैं, वहां विले-पार्ले केलवानी मंडल स्कूल के एक्सपेंशन पर रोक लगा दी, क्योंकि वहां पर एक आर्मी क्लब है। आर्मी क्लब की डिफेंस लैण्ड है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उसका रिव्यू जल्दी से जल्दी हो। मेरी दूसरी प्रार्थना है कि करैक्शन लेकर आएं कि those defence establishments which are security sensitive, उन पर यह कानून लागू करें। मैं मुम्बई का उदाहरण दूं तो चाहे कांदीवली हो, मलाड हो या वर्ली में स्कीम है एसआरएस झौपड़ पट्टी पुनर्वसन, वहां 27 माले की बिल्डिंग बन गयी, उसको एनओसी मिल गयी, लेकिन जिस झुग्गी-झौपड़ी वाले ने पांच माले का मकान बनाया, उनको एनओसी नहीं मिल रही है। पिछले तीन साल में एक एनओसी नहीं दी गयी। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि this circular itself is illegal. जिस वर्ष 1903 के कानून का रैफर किया गया है, उस कानून का मैं तो विद्यार्थी हूं और आपसे काफी सीखना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसके रिव्यू करने के लिए, क्योंकि पिछले तीन साल से हम लोग धक्के खा रहे हैं, मेरे साथ मेरे सांसद मित्र भी हैं, लेकिन डिफेंस मंत्रालय हमारा साथ नहीं दे रहा था। दो महीने में मंत्री जी ने रिव्यू करने का निर्णय लिया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसका रिव्यू एक टाइम पीरियड में हो जाए, तब तक के लिए सिक्योरिटी सेन्सटीव जोन छोड़ कर बाकी इलाके, स्कूल और उनके डेवलपमेंट को अनुमति प्रदान की जाए, यही प्रार्थना है।

*m04

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, किरीट सोमैया जी ने इस विषय को बहुत ही विस्तार से रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी का ध्यान कांदीवली और मलाड की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदया, कांदीवली और मलाड का जो सीओडी ऑर्डिनेन्स डिपो है, यह पहले कोलाबा से लेकर बांद्रा तक मुम्बई शहर हुआ करता था। अब मुम्बई शहर दहीसर क्रॉस करके बांद्रा तक पहुंच गया है और यह सीओडी ऑर्डिनेंस डिपो मुम्बई शहर के बीचों-बीच आ गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यहां कोई एक्सप्लोसिव मेटीरियल स्टोर नहीं किया जाता है। यहां केवल भंगार गाड़ियां, टायर्स-ट्यूब्स इत्यादि वस्तुएं रखी गयी हैं। मैं एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं कि मुम्बई महानगर पालिका के कायदे के मुताबिक वर्ष 2011 से पहले सर्कुलर निकलने से पहले बहुत सी बिल्डिंग्स को एप्रूवल दिया गया था, वह बन चुकी हैं, बहुत सारी तो रेडी हैं और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए रुकी हुई हैं। इस तरह के काम भी इस सर्कूलर की वजह से बंद हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम कांदीवली और मलाडा, और जहां एक्सप्लोसिव मेटीरियल डम्प नहीं होता है, वहां के लिए इस सर्कुलर को तुरन्त विड्रा करके वहां की महानगर पालिका ने जो प्लान मंजूर किए हैं, उनको जैसे थे, वैसी स्थिति में आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए।

*m05

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, देश में जितनी भी रक्षा भूमि है, इनका वर्गीकरण है। समय की कमी है, इसलिए मैं उनके वर्गीकरण के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन वर्गीकरण में ए-1 और ए-2 है। इनके अंतर्गत जो भूमि है, उनमें समस्या नहीं है। इस वर्गीकरण में बी-3 और बी-4 है, इसके अंतर्गत कैंट क्षेत्र में बंगले और खेती की जमीन है, वह है आजादी के पूर्व में जो नोटीफाई सिविल एरिया था, जिनका प्रबंधन कैंट क्षेत्र के हाथ में है, वे भी हैं। सारी समस्याएं इसी बी-3 और बी-4 क्षेत्र में हैं। इसी में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं और इसी में जनता की भी शिकायतें आती हैं। सिविल एरिया के बारे में निर्णय हुआ था कि जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी, उसके साथ-साथ सिविल एरिया का विस्तार भी किया जाएगा।

महोदया, माननीय मंत्री जी बहुत गहराई के साथ सारे विषयों को देखते हैं, इसलिए निश्चित रूप से इस विषय में भी हमें राहत मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1957 के बाद से सिविल एरिया में कहीं कोई विस्तार नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए मेरे क्षेत्र जबलपुर में वर्ष 1941 के सेंसस के अनुसार 4700 की आबादी थी, लेकिन आज डेढ़ लाख से ज्यादा की आबादी है, लेकिन सिविल एरिया में किसी तरह का कोई विस्तार नहीं हुआ है। हम यह नहीं कहते कि सेना की जमीन ली जाए या उसमें किसी प्रकार का दखल दिया जाए, लेकिन हर स्थान पर राज्य सरकार की जमीनें और अन्य खाली पड़ी जमीनें सेना के अधिकार में हैं। मेरा माननीय रक्षा मंत्री जी से इतना ही कहना है कि इस तरह की जो जमीनें हैं, इनका समायोजन करके सिविल एरिया में विस्तार किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

इसके साथ-साथ एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है, जो सिविल एरिया में रहने वाले लोगों से संबंधित है। जब उन्हें अपनी जमीन फ्री होल्ड करानी होती है तो उसकी दर चार हजार रुपए प्रति स्केयर फीट होती है। अगर उनके पास 3000 फुट का प्लॉट है और उसमें से मात्र 500 स्क्वायर फिट में भी वे निर्माण करना चाहते हैं तो उनको पूरा 3000 स्क्वायर फिट का फ्रीहोल्ड करके, 4000 रुपये के हिसाब से उसकी दर देनी पड़ती है। इसके कारण ही परेशानी खड़ी होती है कि वे अतिक्रमण करते हैं, बिना अनुमति के निर्माण करते हैं, बाद में सेना उसको तोड़ने की बात करती है, उससे आम जनता और सेना के लोग आमने-सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं।

इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि केन्द्र से भी इन क्षेत्रों के लिए पैसा जाता है लेकिन होता यह है कि यह जो पैसा जाता है, यह पैसा बजाए सिविल एरिया में खर्च होने के, जो बाकी के सैन्य क्षेत्र हैं, उनमें खर्च होता है और इसलिए सिविल एरिया के लोग विकास से महरूम रहते हैं। उनमें जितना विकास होना चाहिए, वह विकास वहां नहीं हो पाता। एक और विषय था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं कि इन सिविल एरिया में रहने वाले लोगों से जिस तरह से नगर निगम के क्षेत्रों में टैक्स लिया जाता है, वैसे ही इन लोगों से भी टैक्स लिया जाता है। लेकिन 2006 के पूर्व तक इस टैक्स पर किसी भी तरह की अगर वृद्धि कोई करनी हो तो उसके लिए एक कमेटी होती थी, उस कमेटी की राय ली जाती थी। उसमें सिविल एरिया से तीन जानकार लोग लिये जाते थे और ये लोग मिलकर जो रिपोर्ट देते थे, उसके आधार पर टैक्स का निर्धारण किया जाता था। लेकिन 2006 का जो अधिनियम आया, उसके बाद से इस टैक्स समिति का प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया और ये सारे अधिकार कैंट बोर्ड के सी.ओ. को दे दिये गये हैं जिसके कारण टैक्स में अव्यावहारिक वृद्धि होने लगी है। ये परेशानियां ऐसी परेशानियां हैं जिनके कारण हम लोगों को भी आएदिन परेशानी होती है। इन सिविल एरिया में रहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। लेकिन अचानक उन लोगों को जो तीन-चार पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, उनको नोटिस दे दिया जाता है कि अब यह जमीन आपकी नहीं रहेगी, इससे आप बेदखल कर दिये जाएंगे। वे छोटे-छोटे बच्चों को लेकर हम लोगों के घरों में आते हैं। उसमें हर वर्ग के लोग हैं, उनमें एससी, एसटी हैं। ये सभी लोग आते हैं और आकर कहते हैं कि अब हम कहां जाएं? कई पीढ़ियों से खेती करते करते हमारा जीवन निकल गया। अब हम कहां पर जाकर रहें? इसलिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां पर किरीट सौमैया जी ने रखा है, उसमें एक बार जो रिव्यू की बात माननीय मंत्री जी ने की है, समय सीमा के भीतर इन सारे विषयों पर अगर रिव्यू कर लिया जाएगा और उचित निर्णय ले लिये जाएंगे तो बार बार होने वाले टकराव को टाला जा सकता है।

*m06

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): माननीय अध्यक्ष जी, गोपाल शेट्टी जी ने मलाड और कांधीवली का जो सवाल उठाया है, उसमें मैं खुद एक विटनैस हूं। जो कांधीवली ईस्ट रेलवे लाइन के बराबर है, जो डिपो है, यहां रेसीडेंशियल कॉलोनी नैवल की है और उस डिपो का इस्तेमाल भंगार रखने के लिए होता है। कंपाउंड वॉल के साथ पिछले दो साल से एक नयी बिल्डिंग 28 मंजिल की बनी है। वहां मैं खुद रहता हूं जो कंपाउंड वॉल के बाजू में है और आज सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण वहां से 400 मीटर दूर जो मेरा दूसरा पुराना घर है, वहां सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण हम रीडवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड वॉल के बाजू में मैं रहता हूं जो 28 मंजिल की नयी बिल्डिंग बनी है और उसके बाद पीछे 400 मीटर की दूरी पर जो घर है या बाकी बिल्डिंग्स हैं, जिसका रीडवलपमेंट या प्लॉट्स का रीडवलपमेंट हम नहीं कर सकते हैं। इतना आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

*m07

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति जी, सबसे पहले मैं डिफेंस मंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सरकुलर का रिव्यू लेने का निर्णय किया है। आपके माध्यम से मैं रक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र साउथ सेन्ट्रल मुम्बई में मानखुर्द में इंडियन नेवी का एक नेवी आर्मामेंट डिपो है और वहां पर एक्सप्लोसिव्स का स्टोरेज किया जाता है और उसी वजह से उस एक्सप्लोसिव रेंज में आने वाले निवासी क्षेत्र को मुम्बई महानगर पालिका डवलप करने की परमिशन नहीं देती है। नेवी के एनओसी के सिवा वहां के सराउंडिंग एरिया में कंसट्रक्शन करने की परमिशन नहीं मिलती है।

पांच, दस साल पहले महाराष्ट्र यू.डी. डिपार्टमेंट से मानखुद एरिया को 0.5 एफ.एस.आई. मिलता था लेकिन अभी वहां 1.33 एफ.एस.आई. मिल रहा है और बैलेंस के अगेंस्ट वहां के निवासी क्षेत्र को जो मिलता है, उसे यूटीलाइज करने के लिए नेवी की एन.ओ.सी. की जरूरत होती है। बैलेंस 1.33 एफ.एस.आई. निवासी क्षेत्र का है, एन.ओ.सी. न मिलने की वजह से इसे यूज़ करने में दिक्कत होती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि नेवी से आसान शर्तों पर एन.ओ.सी. मिल जाए, रूल्स में ढील दी जाए तो इस निवासी क्षेत्र में डेवलपमेंट या री-डैवलपमेंट वर्क्स के प्रोजैक्ट्स इम्पलीमेंट हो सकते हैं।

*m08

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, श्री किरीट सोमैया, श्री गोपाल शेट्टी और अन्य माननीय सदस्यों ने सेना की जमीन, सिक्योरिटी फोर्सिस की लैंड के नजदीक जिन लोगों की भूमि है, उनकी समस्या की तरफ ध्यान दिलाया है। इस विषय के दो पहलू हैं। मैंने आरंभ में वक्तव्य दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पहला पहलू यह है कि जितनी भी सुरक्षा फोर्सिज़ या सिक्योरिटी फोर्सिज़ हैं, वहां आर्मी, एयरफोर्स के अलावा नेवी के भी बहुत बड़े एस्टाबलिशमेंट्स हैं। इस पर मुम्बई, महाराष्ट्र के सदस्य ज्यादा बोले हैं। यहां नेवी के अतिरिक्त कोस्ट गार्ड के भी हैं और एक प्रकार से चौथी फोर्स जुड़ती जा रही है। इनको वहां स्टेशन करने की आवश्यकता है। तमाम फौज के अंगों को स्वाभाविक है कि भूमि चाहिए। 26.11 की घटना के बाद नेवल सिक्योरिटी और कोस्टल सिक्योरिटी का पूरा अभियान शुरु हुआ है, उसके लिए भी भूमि चाहिए। अगर वहां एक्सेसिव पेट्रोलिंग करनी है या पुलिस स्टेशन कोस्ट के साथ बनने हैं तो वहां भी भूमि चाहिए। जहां स्टाफ होगा, वहां उनके रहने, अस्पताल, स्कूल आदि सुविधाओं के लिए भी लैंड चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सिस को भी लैंड चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कई एस्टाबलिशमेंट ऐसी हैं, जमीन के आसपास एक सिक्योरिटी कोरिडोर की जरूरत हो सकती है। हम उदाहरण लेते हैं, अगर कहीं एम्युनिशन डिपो है तो स्वाभाविक है कि इसके नजदीक लोग रहें, यह हम नहीं चाहेंगे। इसके बाद सेंसिटिव सिक्योरिटी इंस्टालेशन आता है, इसके साथ भी सिक्योरिटी कोरिडोर चाहिए होगा। कहीं रेडार हैं, कहीं मिसाइल्स लगे हुए हैं, स्वाभाविक है कि वहां लोग रहें या नजदीक की रेंज में लोग पहुंच पाएं, यह भी अपने आप में डिजाएरेबल नहीं है इसलिए इन जमीनों के आसपास एक कोरिडोर छोड़ना पड़ेगा।

इसका दूसरा पक्ष यह है कि वहां जिन लोगों की जमीनें हैं, उनका क्या होगा। यह हम जानते हैं, कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि शासन कई नियम बनाता है, पर्यावरण,सिक्योरिटी की वजह से बनाता है। जैसे राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री निवास के पास कोई दूसरी बड़ी हाई राइज एस्टाबलिशमेंट नहीं बना सकता, दिल्ली के अंदर लुटियन्स बंगलो जोन में नहीं बना सकता, मुम्बई के कोस्ट के साथ सी.आर.जेड. का इश्यू है कि पर्यावरण की वजह से नहीं बना सकता। इस तरह ये तमाम विषय हैं।

अब दूसरा पक्ष माननीय सदस्यों ने रखा है कि वे लोग जिनकी ईमानदारी की पूंजी लगी हुई है, उनकी जमीन इन एस्टाबलिशमेंट्स के नजदीक है। आपका कहना है कि जिनकी जमीन किसी सेंसिटिव सिक्योरिटी इंस्टालेशन्स के पास है तो पब्लिक इंटरेस्ट उसके ऊपर हावी रहेगा और उनकी निजी संपत्ति का अधिकार पीछे रह जाएगा। इन दोनों के बीच में समन्वय बनाना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्यों की इस भावना का आदर करता हूं इसीलिए मैंने उत्तर में स्पष्ट कहा कि मई, 2011 में सुखना लैंड को लेकर सेना कांड हुआ था और आदर्श स्कैंडल हुआ था। सुखना का विवाद इसी संदर्भ में था कि आपने नो आब्जेक्शन आर्मी लैंड के नजदीक का दे दिया। उसे लेकर सारा विवाद हुआ था। इसलिए यह एक सर्कुलर वहां लाया गया था और सर्कुलर आने के बाद भी कई केसिज के अंदर नो ऑब्जैक्शन दिया गया है। मुम्बई में वर्ली क्षेत्र में आठ नो ऑब्जैक्शंस दिये गये हैं। इसलिए यह स्थिति नहीं है कि यह नहीं दिये जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से वहां जो नजदीक में जमीनों के मालिक हैं या जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई हुई पूंजी लगाई है, उन्हें बहुत तकलीफ आए तो इसलिए इसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और उस रिव्यू की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स क्या होंगी। जितने डिफैंस हैडक्वार्टर्स हैं, उन्हें भेजा है, उनके सुझाव मंगवाये हैं और शीघ्र ही यह रिव्यू की प्रक्रिया सरकार आरम्भ करेगी, ताकि ये दोनों जो हित हैं कि एक तरफ बडा जनहित है और दूसरी तरफ जिन लोगों की भूमि है, उनकी भूमि का भी अधिकार है, इसके बीच में समन्वय कैसे हो जाए, इसके संबंध में रिव्यू करके हम लोग निश्चित रूप से निर्णय लेंगे।

(Placed in Library, See No. LT 755/16/14)

*t31

Title: Need to evolve an effective mechanism to deal with incidents of communal violence in the country.

HON. SPEAKER: Now we take up the discussion under rule 193 on the need to evolve an effective mechanism to deal with incidents of communal violence in the country. Shri Mallikarjun Kharge.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, इस विषय पर चर्चा के लिए बहुत दिनों से कोशिश हो रही थी, लेकिन इसे बहुत दिनों के बाद आपकी सहमति मिली है. इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि सैशन के आखिरी दिनों में तो कम से कम यह विषय यहां पर आया है। इसकी गम्भीरता को देखने के बाद यह विषय पहले भी ले सकते थे, क्योंकि भारत देश में हर कोने-कोने में आज ...(व्यवधान) Madam, the Home Minister is not here.

माननीय अध्यक्ष : राज्य मंत्री अभी बैठे थे, यहीं हैं, आ रहे होंगे।

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अभी राज्य मंत्री यहां बैठे थे। बाकी दूसरे मंत्री इसका नोट ले लें।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, if the Cabinet Minister is engaged in the other House or somewhere else, at least the Minister of State should be present here and while replying to the debate, the Cabinet Minister can reply. The Government is taking it lightly.

HON. SPEAKER: Nobody is taking it lightly. The Minister of State for Home Affairs was here just now.

...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, I do not want to speak now. You can take it up later when the Minister is present. Till then you may adjourn the House for half-an-hour or so. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 4 o'clock.

15.29 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, the hon. Home Minister was having a small problem in health and so, we got a small lapse and because of which, some inconvenience was caused in the House. I regret for that.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Okay. Now, Shri Kharge.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : उपाध्यक्ष जी, मैंने कम्यूनल वायलेंस और इंक्रिज़िंग इंसिडेंट्स विषय पर प्रस्ताव किया था, लेकिन एजेंडा में जो आया है, जो सब्जेक्ट या विषय हमने दिया था, उसको जरा बदल कर पुरःस्थापित किया गया है। हमने विषय दिया था - 'Rising incidents of communal riots, violence and polarization which is affecting life and security of the people in various parts of the country'. लेकिन उसको अलग ढंग से आज के एजेंडा में रखा गया है। विषय कुछ भी हो, जब वह विषय एक बार एजेंडा में आया है तो मैं अपने विचारों को सदन के सामने रखता हूँ। ये इंसिडेंट्स, खास कर कम्यूनल रॅायट्स इस देश में क्यों हो रहे हैं? इनकी वजह क्या है? कौन इनके पीछे है? इनका कारण क्या है? केवल 2-3 महीने में ही इतनी संख्या में क्राइम बढ़ना, खास कर कम्यूनल इंसिडेंस ज्यादा होना, यह अच्छा लक्षण नहीं है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के साथ देखें तो शायद सरकार उसको मान जाएगी। सरकार का यह भी कहना है कि हमारी सरकार आने के बाद ऐसा हुआ। ...(व्यवधान) नहीं, नहीं पेपर में आया है, वैंकैय्या साहब का भी रिपोर्ट, आप पढ़ते जाओ। कम से कम आपके नेता लोग क्या बोलते हैं, वह तो पढ़िए, फिर उसके बाद में देखेंगे। यह एक सफाई भी डिफेंस में दी जा रही है। लेकिन यह सत्य है कि आज जो इंसिडेंट्स यू.पी. में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, गोवा में हो गए, और दूसरी जगह हो रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण हैं? इनके पीछे कौन हैं? कौंन सी शक्तियां ये काम कर रही हैं? इसके बारे में उत्तर स्पष्ट मिलना चाहिए।

इस देश की जनता को यह मालूम होना चाहिए कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर जो इंसीडेंट्स कराये जा रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई सापृदायिक शक्तियाँ हैं या सत्ता को अपने काबू में रखने के लिए ऐसे इंसीडेंट्स किये जा रहे हैं। क्या कोई इनको करवा रहा है, इसकी भी स्पष्ट जानकारी हमें मिलनी चाहिए। हम यह देखते हैं कि हमारे देश का ढाँचा सेक्युलर है और संविधान भी यही कहता है। संविधान का जो प्रियाम्बल है, उसमें भी यही लिखा गया है कि,

> "WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMCRATIC REPUBLIC] and to secure to all its citizens:
>
> JUSTICE, social, economic and political;
>
> LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
>
> EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all
>
> FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;
>
> So, IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION. "

तो संविधान में सेक्युलर, डेमाक्रैटिक, रिपब्लिक के लिए स्थान है। हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य सरकार हो, उनका यह धर्म होता है कि इन तत्वों की हिफाजत करे, सुरक्षा करे। इसके बारे में इतनी केयर ले कि इसमें से किसी तत्व का उल्लंघन न हो और लोगों को दिक्कत न हो और शांति से सभी धर्मों के लोग, सभी समाज के लोग, सभी भाषा के लोग, सभी प्रान्त के लोग मिलकर रहें। इसके लिए कोशिश करना सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हक है या वह काम कर सकते हैं और यह उनका कर्तव्य है। लेकिन इन दो-तीन महीनों में जो 600 से अधिक इंसीडेंट्स हुए हैं।...(व्यवधान) कहां हुए है, अभी बताता हूं।...(व्यवधान) इनको कराने में किनका हाथ है?...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let him speak.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: When your leader is speaking, you have to co-operate. Please try to co-operate. Otherwise, there will be a reaction. That is the problem.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will control it. It is not your duty. It is my duty. I will control it.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I am not the only one who is saying this but they also know that. Everyday they are reading in the newspapers; everyday they are hearing in the media; everyday they are getting reports; and their Intelligence is also giving them the feedback. But in spite of that, if they deny कहाँ हो गये तो मेरे पास लिस्ट है, अगर आप पूरा पढ़कर बताने के लिए बोलेंगे तो मैं एक-एक पढ़कर बता देता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: It is not necessary.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : But there have been over 600 incidents of violence against religious minorities all over Uttar Pradesh, Maharashtra and other places. In Western U.P, ...(व्यवधान) इसीलिए तो देखेंगे कि इनके पीछे किनका हाथ है?...(व्यवधान) उसके पीछे कौन है?...(व्यवधान) इन्हें कौन करवा रहे हैं?...(व्यवधान) कौन इन्स्टिगेट कर रहे हैं?...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आज ये घटनाएँ हो रही हैं। बहुत से लीडर्स अपने भाषण से, अपने चलन से और जहाँ कहीं भी वे जाते हैं, और बहुत से जो धार्मिक लीडर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि वे इस सदन के मैम्बर नहीं हैं, लेकिन जो ..* संगठन हैं, ...(व्यवधान) इन संगठनों के नेता लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please sit down.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Kharge ji, please do not mention any particular name.

...(*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उन्होंने केवल संगठन का नाम लिया है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Do no interfere.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You speak only when your turn comes.

...(*Interruptions*)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (दमोह) : इन्होंने संगठन का नाम लिया है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: If any objectionable thing is there, it will be removed.

...(*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदय, ये घटनाएँ कब घटती हैं - जब इसके पीछे कोई प्रेरणा होती है, that too a political power. अगर किसी को हिम्मत आती है कोई इंसीडैंट कराने में, एक्साइट कराने में, या जो हादसे होते हैं, इसके पीछे अगर किसी को यह महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई पोलिटिकल पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वही व्यक्ति इसको कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन क्या कारण है कि सिर्फ दो-तीन महीने में ही इतनी घटनाएँ हो रही हैं? अब तक क्यों नहीं हुई? आप तमिलनाडु की बात लीजिए, कर्नाटक लीजिए, केरल लीजिए या आंध्र प्रदेश लीजिए, जहाँ कहीं भी उनकी शक्ति कम है, उन जगहों पर यह नहीं हुआ। जिस जगह उनकी शक्ति ज्यादा है, उन जगहों पर ही ये घटनाएँ हो रही हैं। इसलिए हम यह कह रहे हैं कि अगर सरकार आई, आपको सत्ता मिली है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी को सप्रैस करो, किसी को उचकाओ। ...(व्यवधान) किसी को इनसाइट करने के लिए, एक्साइट करने के लिए आपके हिन्दी में क्या बोलते हैं, मैं उसे उचकाना कह रहा हूँ। उर्दू में उचकाना भी बोलते हैं। ...(व्यवधान) आप क्यों इतना गड़बड़ कर रहे हैं। अगर हमेशा सत्य बोलते हैं तो लोगों को सहन नहीं होता। जब सत्य बोल रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। ...(व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और दंगों के पीछे चंद पार्टियों का हाथ है। दंगों ने इन्हें सत्ता की चाबी दी है। बिहार में सरकार से बाहर होते ही बहुत सी जगह दंगे हुए। ऐसा ही दूसरी जगह भी पोलराइजेशन करने, दूसरों को अपने साथ में लेने और दूसरों को एक करने का एक ही तरीका है कि दूसरों को आइसोलेट करो, ऐसी भावना समाज में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, यह गलत है, इसकी वजह से देश और समाज में फूट होगी। हम देश और समाज को जोड़ने की बात करते हैं। आप तो हमेशा समाज तोड़ने की बात करते हैं...(व्यवधान) हम जब यह कहते हैं कि सभी लोग एक हैं, सभी लोगों को मिल कर रहना चाहिए तो आप वहां जा कर तक़रीरें करके, समाज में धर्म के नाम पर या उसूल के नाम पर फूट डालने की कोशिश करते हैं। आप के लोग उस क्षेत्र में अपने उसूलों को लागू करने के लिए हर ढंग से कोशिश कर रहे हैं। खास तौर से माइनोरटीज़, वीकर सेक्शन्स या लिंग्विस्टीक माइनोरटीज़ को दबाने की कोशिश चल रही है ताकि वे लोग पोलीटिकल पावर से दूर रहें। जो लोग सत्ता में आए हैं, इस तरीके से अपने आपको सत्ता में कायम रखने की कोशश कर रहे हैं। यह देश सभी का है, किसी एक का नहीं है। कोई एक ठेकेदार नहीं है, रिलीजन के नाम पर कोई ठेका नहीं ले सकता है।

महोदय, आपको तो मालूम है, आप तमिलनाडु से आए हैं, धर्म इंसान की भलाई के लिए होता है। Religion has taken birth for the upliftment of human beings. Man is not born for religion; religions have come later on, after thousands of years. Anthropology tells this and you have been a student of anthropology. जब धर्म मनुष्य के हित और कल्याण के लिए है, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। धर्म अलग चीज है, अधिकार अलग चीज है। इस देश को बनाने के लिए सभी की जरूरत है ताकि कोई एक ठेकेदार यह नहीं कह सकता कि हम से ही देश बनता है और हम ही सब कुछ कर सकते हैं, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है।...(व्यवधान) आपकी ठेकेदारी इसमें नहीं चलेगी। इस देश को एकता से रखने के लिए यह जरूरी है कि हम सभी को मिल कर काम करना है। जहां भी अन्याय हो रहा है, उदाहरण के लिए मैं दो-चार जगह बताना चाहता हूं, जिस-जिस जगह चुनाव हो रहे हैं या उप-चुनाव हो रहे हैं, जिन जगहों पर चुनाव आ रहे हैं, उन्हीं जगहों पर, उन्हीं राज्यों में ये दंगे ज्यादा हो रहे हैं। उप-चुनाव यूपी में हैं, इसीलिए वोट पोलराइज्ड करने के लिए वहां दो महीने में 600 से अधिक दंगे करवाए गए हैं।...(व्यवधान) अगर कुछ बोलते हैं तो कहा जाता है कि राज्य सरकार का दायित्व है और राज्य सरकार ऐसा करवा रही है। राज्य सरकार की अगर कमियां हैं तो जो करना है वे करेंगे। इसके पीछे आपके लोग जो काम कर रहे हैं, जिनमें हिम्मत आयी है, उनमें यह हिम्मत आपके पावर में आने के बाद आयी है, वे इस देश को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोगों को डरा कर रखते हैं। हर एक को दबा कर रखने की यह जो आपकी नीति है, यह नीति बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, लोग इसके लिए एक-न-एक दिन रिवोल्ट करेंगे और आपको सबक़ सिखाएंगे।

दूसरी चीज़, सिर्फ दो महीने में, केवल मई, जून में जो इंसीडेंट्स हुए हैं, ये आपके ही डाटा हैं।...(व्यवधान) आप पेपर कटिंग दिखा रहे हैं, मैं तो आपका ही डाटा निकाल कर लाया हूं। वह ही बता रहा हूं।...(व्यवधान) Government data shows that in May-June there have been 113 incidents of communal violence in the country in which 15 people have died and 318 injured.

यह राज्य सभा में अनस्टार्ड क्वैश्चन में आपका रिप्लाई है। इसे कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। यह तो गवर्नमेंट की रिप्लाई है।...(व्यवधान) यह दो महीने पहले का है।...(व्यवधान)

Of these, more than 50 per cent of the incidents have occurred in the States of Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, and Maharashtra, accounting for 13 out of 15 deaths. Source of this information is reply to Unstarred Question No.788 in Rajya Sabha.

इस पर तो आप विलीभ करते हैं या नहीं करते हैं, यह मालूम नहीं है, लेकिन आप पेपर कटिंग के बारे में बता रहे थे।...(व्यवधान)

This occurred in or around the 12 Constituencies that are scheduled to go for polls. Nearly 200 in two months!

Then communal clashes occurred in Bhuj on 28th July ahead of Eid, when some objectionable comments about the Prophet on Instant Messaging Service sparked off clashes between locals. That was reported not only in the newspapers but also on all other media.

Since police and public order is a State subject, if we look at State-wise the Government data of communal violence â€¦

जिस जगह यह हो रहा है, वहां की सरकार को बुलाकर या उन से बातचीत करके कि इसमें क्या कमी है, इसके पीछे कौन है, ऐसा क्यों हो रहा है, आज तक इसे एनालाइज़ नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को बड़े हल्के से ले रही है। वे नहीं चाहते कि इस देश में अमन रहे और सब मिल कर रहें। आप हम पर वोट बैंक के लिए कार्य करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनकी वोट बैंक के लिए यह पोलेराइज़ेशन का पॉलिटिक्स चल रहा है। जिस ज़गह पर शांति है, हर ज़गह उस शांति को भंग करने का काम उन्होंने शुरू किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके बारे में स्पष्ट उत्तर उन से आना चाहिए। इसके बारे में गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए।

मैं, खासकर, होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं। ये जो आंकड़े हैं, ये तो आपने ही राज्य सभा में दिया और दूसरे आंकड़े जिसमें 600 से अधिक इंसीडेंट्स हो गए, वे भी आपके पास हैं। ये सब आपके पास हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Many Members want to speak. Other party leaders are also there and they want to speak.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सर, उन्होंने पूछा कि कब-कब हुआ तो इसके बारे में बता दिया। अगर अभी के इंसीडेंट्स को देखना है तो 4 अगस्त का मेरठ का वॉयलेंस, 28 जुलाई का भुज का इंसीडेंट, 26 जुलाई का सहारनपुर का, 9 जून का गुड़गांव के इंसीडेंट्स को देखिए। दूसरे ज़गहों पर भी ऐसे इंसीडेंट्स हो रहे हैं। मेरे पास बहुत सी लिस्ट्स हैं, लेकिन मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। यह सरकार आने के बाद जो कम्युनल एलिमेंट्स हैं, उनको ऐसी ताकत मिली है कि हम कुछ भी करेंगे तो भी यह सरकार हमारे साथ रहेगी, यह उनका कहना है। इसीलिए ये वॉयलेंस एवं इंसीडेंट्स बढ़ रहे हैं और वे उसका समर्थन भी एक न एक दृष्टि से कर रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: You have taken 25 minutes. The other hon. Members also want to speak. We have to conclude the discussion early because two hours are allotted for this discussion. That is why, I am saying this.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उपाध्यक्ष महोदय, ड्राउट पर चार दिन, एट्रोसिटी पर तीन दिन चर्चा हुई, इस पर मुझे थोड़ा बोलने का समय दीजिए। ऐसे इंस्टेंसेस बहुत हैं, मैं बताना चाहता हूं। यह सरकार हमेशा इसको टालती रही। जहां-कहीं भी इंसीडेंट्स होते हैं, उसके बारे में अगर हम यहां पर आवाज उठाते हैं तो उसको टालने की और आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। हम कई बार स्पीकर से जाकर मिले, मिनिस्टर से भी हमने अपील की, उसके बाद आज यह मामला आया है। ...(व्यवधान) इसीलिए मैं होम मिनिस्टर से यह जानना चाहता हूं, हम यह नहीं कह रहे कि सरकार ने खुद सामने खड़े होकर यह करवाया है, ऐसा तो हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आपके आने के बाद ही उनमें क्यों हिम्मत आती है और ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं, यह हम बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) इसीलिए आपको इसके बारे में सोचना होगा। ...(व्यवधान) हर एक नेता आप देखिए, मैंने जब वी.एच.पी. और बजरंग दल का नाम लिया तो ये लोग बहुत गुस्से में आए। भागवत साहब ने जो बोला, वह भी आपको मालूम है। यानी हर लीडर, इनके सिम्पेथाइज़र, सपोर्टर्स और जितने भी कार्यकर्ता हैं, इस देश में अशांति फैलाने के लिए जो स्टेटमेंट देना है, वही देते हैं।

मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए एक आखिरी बात कहता हूं। वे समझ सकते हैं, इधर के लोग भी समझ सकते हैं, आप ट्रांसलेशन में क्या समझ सकते हैं, जरा देखिए। नायडू साहब को भी मैं यही बोल रहा हूं कि "मत्तल में आते हैं वे खंजर बदल-बदल के, मत्तल मतलब कतल करने की जगह, मत्तल में आते हैं वे खंजर बदल-बदल के, या रब मैं कहां से लाऊं सर बदल-बदल के।" मत्तल में इनके खंजर बदल-बदल के आते हैं, लेकिन जिनके सिर कट जाते हैं, वह सिर तो एक ही रहता है, खंजर तो अनेक रहते हैं। इसीलिए आपके पास बहुत से खंजर हैं, आप खंजर बदल-बदल के मत्तल में आते हैं, लेकिन भगवान ने हमें एक ही सिर दिया, यह सिर मत काटो, इस देश के टुकड़े मत करो, समाज के टुकड़े मत करो, समाज को, देश को एक रखो। देश और समाज अगर एक रहेगा, उसी वक्त हम सब आगे बढ़ेंगे। इस देश में अगर फूट डालने की कोशिश करेंगे, अपनी हुकूमत रखने के लिए अगर ऐसी चीजें करेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन ऐसा आएगा, हम-तुम मिल कर पछताएंगे।...(व्यवधान)

इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*m02

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 193 के तहत एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कांग्रेस के नेता माननीय खड़गे जी की बातों को यहां पर सुन रहा था। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपना लिखित स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो कह रहे थे कि 113 घटनायें घटित हुयीं, लेकिन जब वे मौखिक बोल रहे थे तो कह रहे थे कि 600 से अधिक घटनायें घटित हुयीं। इसमें सत्य क्या है? मुझे लगता है कि यह पूरा देश जानता है।

26 मई को श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने शपथ ग्रहण किया था। इस देश के अंदर इस सरकार के आने के बाद आम जनता में विश्वास बहाली हुयी है। यह शासन और प्रशासन में देखा जा सकता है। खड़गे जी जो आंकड़े यहां पर कह रहे थे, मैं उसके पीछे के आंकड़े आपको बताता हूं। मुझे लगता है कि अगर ये आंकड़े वास्तव में स्वीकार करेंगे और सचमुच इस देश की साम्प्रदायिक हिंसा से चिंतित हैं तो साम्प्रदायिक आधार पर इन्होंने जो घोषणायें की हैं तो इनको पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी।

महोदय, जिन प्रदेशों की घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, वर्ष 2011 में न वहां पर और न ही केंद्र में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस देश में 580 घटनायें घटित हुयीं। इनमें 91 लोग मारे गए और 1899 घायल हुए। इनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर 84 घटनायें घटित हुयीं, 12 लोग मारे गए और 347 लोग वर्ष 2011 में घायल हुए थे। ...(व्यवधान) खड़गे जी, आपने कहा है, आप सुन तो लें।...(व्यवधान) आप सुन लीजिए।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं हमेशा सदन में बैठता हूं। ...(व्यवधान) मैं आपके जैसा नहीं करूंगा। ...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : महोदय, दूसरे नम्बर पर महाराष्ट्र है। ...(व्यवधान) वहां 88 घटनाएं घटित हुई। ...(व्यवधान) वहां कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है। ...(व्यवधान) वहां 88 घटनाएं घटित हुई, जिनमें 15 लोग मारे गये। तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है, वहां 70 घटनाएं घटित हुई। केरल में 30 घटनाएं घटित हुई। ...(व्यवधान) मैं वर्ष 2011 की बात कर रहा हूँ। वर्ष 2012 में 668 घटनाएं घटित हुई, जिनमें 94 लोगों की मौतें हुई और 2,117 घायल हुए। वर्ष 2013 में केन्द्र में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, तब 823 से अधिक साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं पूरे देश के अन्दर घटित हुई।

यद्यपि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य सरकार की जैसी मंशा होती है, वहाँ का राजनीतिक नेतृत्व जैसा होता है, वहाँ का प्रशासन उसी प्रकार की कार्रवाई करता है। मुझे लगता है कि ईमानदारी से इन लोगों ने विश्लेषण किया होता और अपनी केन्द्र सरकार या अपने से जुड़े हुए अपने सहयोगी दलों के द्वारा जो संचालित सरकारें हैं, उन सरकारों के साम्प्रदायिक एजेंडे पर ध्यान दिया होता कि आखिर यह पोलराइजेशन क्यों हो रहा है, पोलराइजेशन के कारण क्या हैं? पोलराइजेशन के पीछे के कारणों को ईमानदारी से विश्लेषण करिए, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि हम

सेक्युलर हैं और दूसरी तरफ जो एजेंडा लागू करते हैं, उसको साप्रदायिक रूप से कम्युनल आधार पर लागू करते हैं। इस देश में 12 लाख से अधिक साधु-सन्त और पुजारी रहते हैं। ये लोग इमामों के लिए वेतन की घोषणा करते हैं, एकपक्षीय कार्रवाई करते हैं, क्या यही सेक्युलर एजेंडा है? इसे दिल्ली की सरकार ने किया, पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया, महाराष्ट्र की सरकार ने किया, क्या यही सेक्युलर एजेंडा है? ये लोग समाज को साप्रदायिक आधार पर बांटते हैं।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। वहाँ पर जो योजनाएं हैं, उनमें 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी के लिए आरक्षित कर दिया गया। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर गांव-गांव में विवाद खड़ा कर के 300 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए जाते हैं और गांव-गांव में उसके माध्यम से विवाद खड़ा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, किसी भी अन्य उपासना विधि के नाम पर, मदरसों के नाम पर और मजारों के नाम पर कब्जा मत करने दो। लेकिन, उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर धड़ल्ले से काम चल रहा है। उस पर कोई रोक-टोक नहीं है, क्योंकि शासन की यह मंशा है इसलिए प्रशासन उसमें बोलता नहीं है, क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होगा? उसी प्रकार से उससे भी खतरनाक स्थिति आतंकवादियों पर दायर मुकदमें वापस लिए जाते हैं। ...(व्यवधान) इस देश में जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, ...(व्यवधान) जिन लोगों ने राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती दी है,...(व्यवधान) जो लोग भारत की संप्रभुता को लगातार चुनौती दे रहे हैं,...(व्यवधान) और देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, ...(व्यवधान) उन लोगों पर दायर मुकदमें,...(व्यवधान) चाहे वह राम जन्म भूमि पर आतंकी हमले का मामला हो...(व्यवधान) या संकटमोचन मंदिर काशी में सी.आर.पी.एफ. रामपुर का मामला हो,...(व्यवधान) या गोरखपुर का सिरियल ब्लास्ट का मामला हो,...(व्यवधान) ये जितने भी मामले हैं...(व्यवधान) इन सभी मामलों में जिन आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वोट बैंक के लिए उन मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया है। अगर न्यायालय बीच में नहीं होता तो संभवतः आतंकवादी बाहर छूटकर नरसंहार कर रहे होते, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है...(व्यवधान) और पूरे देश के अंदर हुआ है। ...(व्यवधान) उसके बाद भी ये कहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे?...(व्यवधान)

महोदय, चर्चा का विषय होना चाहिए कि आखिर सांप्रदायिक कौन है? ...(व्यवधान) कौन है सांप्रदायिक? ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। महोदय, हम लोगों ने जो जाना है, हम लोगों ने जो समझा है कि सांप्रदायिक वह होता है, जो कहता है कि मेरा ईष्ट, मेरा देव या मेरा पैगम्बर ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके मानने वालों को तो जीवित रहने का अधिकार है, शेष को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि वह सांप्रदायिक है। हिन्दू जीवन दर्शन कभी इस बात की इजाजत नहीं देता है। हमने "कृण्वन्तो विश्वमार्यम' का संदेश दिया था। हमने "सर्वे भवन्तु सुखिनः' का संदेश दिया था।...(व्यवधान) हमने तो इस देश के अंदर एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' की बात कही है। हमारा दर्शन जीओ और जीनो दो में विश्वास करता है। दुनिया की कौन-सा ऐसा मजहब और कौम है जिसको विपरीत परिस्थितियों में इस हिन्दू दर्शन ने अपने यहां शरण न दी हो, उसको फलने-फूलने का अवसर न दिया हो। दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा कौम है? लेकिन जिस हिन्दू दर्शन ने सबको शरण दी, सबको फलने-फूलने का भरपूर अवसर दिया, आज जब उसी के खिलाफ षडयंत्र होना प्रारंभ होता है तो उसे एकजुट होना तो पड़ेगा ही और मुझे लगता है कि इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिन्दू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि आज उसके खिलाफ शासन तंत्र से जो षडयंत्र हो रहे हैं, उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। आज वही स्थिति सामने आई है।

महोदय, मैं पूछना चाहता हूं।...(व्यवधान) मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान) जब भारत के मुसलमान हज यात्रा पर जाते हैं...(व्यवधान) तब उनकी पहचान भारतीय के नाम पर नहीं...(व्यवधान) पाकिस्तानी के नाम पर नहीं ...(व्यवधान) बंगलादेशी के नाम पर नहीं ...(व्यवधान) भारतीय उपमहाद्वीप के जो भी मुसलमान हज यात्रा के लिए जाते हैं...(व्यवधान) उनकी पहचान हिन्दुस्तानी के नाम पर होती है। ...(व्यवधान) उनकी पहचान भारतीय, पाकिस्तानी या बांगलादेश के नाम पर नहीं ...(व्यवधान) लेकिन अगर हम यहां हिन्दू पहचान उनके ऊपर लागू करने का प्रयास करते हैं...(व्यवधान) तो इनको बुरा लगता है।...(व्यवधान) हिन्दू सांप्रदायिकता नहीं...(व्यवधान) हिन्दू राष्ट्रीयता का प्रतीक है। ...(व्यवधान) भारत की राष्ट्रीयता के प्रतीक इस हिन्दुत्व को वे बदनाम करेंगे...(व्यवधान) तो उसकी कीमत इन लोगों को चुकानी पड़ेगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार कहना चाहता हूं...(व्यवधान) गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा था कि अगर भारत को समझना है...(व्यवधान) उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है तो भारतीय अस्मिता को पहचानना पड़ेगा। भारतीय अस्मिता को पहचानना है तो स्वामी विवेकानन्द के बारे में आप जान लीजिए। स्वामी विवेकानन्द ने एक बात कही थी - गर्व से कहो हम हिन्दू हैं। स्वामी विवेकानन्द साप्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानन्द किसी पार्टी के नहीं थे, स्वामी विवेकानन्द ने पूरी दुनिया के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया था।...(व्यवधान) पूरी दुनिया के अंदर हिन्दू अपनी सहिष्णुता के लिए पहचाना जाता था। आज उस हिन्दू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। वह कश्मीर से विस्थापित होता है। उसे कश्मीर से निकाला जाता है।...(व्यवधान) उस बारे में इस सदन में एक बार भी चर्चा नहीं होती। तब इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से साढ़े तीन लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं।...(व्यवधान) तब ये लोग नहीं बोलते।...(व्यवधान) वर्ष 2012 में असम के अंदर तीन महीनों तक बोडो जनजाति के लोगों को मारा जाता रहा। कोई नहीं बोला।...(व्यवधान) जम्मू कश्मीर के हिन्दुओं के मारने पर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। ये लोग एक बार भी नहीं बोले, इन्हें पीड़ा नहीं हुई।...(व्यवधान) यह दुनिया के अंदर अपने आप में विरला उदाहरण था जहां अपने ही देश में अपने ही जानने वाले लोग विस्थापित होकर खानाबदोश की जिंदगी जी रहे हैं। उस शर्मनाक घटना की निन्दा एक बार भी इन लोगों ने नहीं की। ...(व्यवधान) मुम्बई के दंगों पर ये लोग मौन रहे। जमशेदपुर और भागलपुर के दंगे कांग्रेस के समय में हुए थे। इन लोगों ने उस पर एक बार भी चिन्ता व्यक्त नहीं की। और तो और, जिन सिख गुरुओं का योगदान इस देश को बचाने, इस देश की धर्म और संस्कृति और समाज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण था, वर्ष 1984 में उन सिखों के कत्लेआम पर भी इन्हें शर्म महसूस नहीं होती।...(व्यवधान) यहां ये लोग इस देश के अंदर साप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं। इनका पूरा चेहरा साप्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, साप्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है।...(व्यवधान) असम में क्या हो रहा है? बंगलादेशी घुसपैठिए इन लोगों के अपने हो गए।...(व्यवधान) इस देश में लाखों वर्षों से रहने वाला समुदाय पराया हो गया।...(व्यवधान) असम में बंगलादेशी घुसपैठियों के कारण कोकराझार...(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am on a point of order. My point of order is under rule 376. While making his speech the hon. Member has mentioned about communal riots. In respect of 2011 he has given some figures which are wrong. He has completely forgotten 10-02-2013. He cannot give wrong figures. Gujarat had the highest number followed by Madhya Pradesh. I want to put the records straight...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat. You are disputing the figures mentioned by the hon. Member in his speech. You can mention that in your speech. There is no rule on this. You can counter the argument during your speech. When your time to speak comes, you can dispute the figures.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Yogi Adityanath, you may continue.

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है। इसीलिए ये लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन और कश्मीर पर हुए अत्याचार पर ये लोग मौन थे।...(व्यवधान) मैं वर्ष 2011-12 में असम में देख रहा था। तीन महीनों तक लगातार दंगे होते रहे। इन्होंने सदन में एक बार भी चर्चा नहीं करवाई। असम जलता रहा। इसके साथ-साथ एक बार कांग्रेस के लोगों ने असम के ही मुख्य मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया कि उन्होंने बोडो लोगों के बारे में कैसे बोल दिया। अरे, बोडो वहां का नागरिक है। उसके बारे में नहीं बोलेंगे, तो किसके बारे में बोलेंगे? लेकिन ये लोग बंगलादेशियों, घुसपैठियों की वकालत करते हैं...(व्यवधान) बंगलादेशी घुसपैठियों की वकालत करते हुए इन लोगों ने पूरे पूर्वोत्तर भारत का समीकरण बदला है। ...(व्यवधान) असम में आज कोकराझार, धुबरी, चिराग और बरपेटा जिले, जो हिंसा की सर्वाधिक चपेट में हैं, वे इसलिए हैं क्योंकि बंगलादेशी घुसपैठियों ने वहां आकर जमीनों पर कब्जा कर लिया है। इन लोगों ने वर्क परमिट के साथ-साथ उनके राशन कार्ड बनाये हैं और इन्होंने ...(व्यवधान) *इन्होंने देश के साथ खिलवाड़ उनके माध्यम से करवाया है। ...(व्यवधान)

महोदय, हम किसी और बात में नहीं जाना चाहते। मैं कांग्रेस और कम्युनिस्टों से कहना चाहता हूं कि कोयम्बटूर और बेंगलुरू धमाके का जो अभियुक्त है, उस दुर्दांत आतंकवादी के लिए विधान सभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाता है। दोनों दल एक साथ अपील करते हैं कि उसे छुड़वाओ। ...(व्यवधान) क्या यही सेक्युलर है? क्या इनका यही सेक्युलर एजेंडा है? क्या इस देश में यही सेक्युलरिज्म है?

...(व्यवधान) इस देश में क्या हुआ था? ...(व्यवधान) इस देश में जो हुआ था, उसे हम भूले नहीं हैं। ...(व्यवधान) 11 अगस्त, 2012 को मुम्बई के आजाद मैदान में जो कुछ हुआ ...(व्यवधान) आजाद मैदान की घटना क्या थी? आजाद मैदान में रोहिंगया मुस्लिम जो बर्मा में रहते हैं, उनके और वहां के बौद्धों के बीच में हिंसा हुई, दंगे हुए। यह मामला भारत का न होकर म्यंमार का है, लेकिन म्यंमार की घटना में दंगा कहां होता है--आजाद मैदान मुम्बई में। ये लोग मौन रहते हैं। वहां शहीद स्मारक तोड़ा जाता है, पुलिस के जवानों को मारा जाता है ...(व्यवधान) मीडिया कर्मियों को मारा जाता है। उनके साथ-साथ पुणे में दंगे हुए। ...(व्यवधान) उनके साथ उत्तर प्रदेश में बरेली, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में दंगे हुए। ये लोग मौन रहे। इन लोगों मे कभी उस पर आवाज नहीं लगायी। ये लोग उस घटना पर मौन रहे। ये वही लोग हैं, जो आजाद मैदान की घटना पर मौन थे और बाबा रामदेव और उन सत्याग्रहियों पर ये लोग रामलीला मैदान में लाठीचार्ज करते हैं। ...(व्यवधान)* बेशर्मी के साथ वंदे मातरम् का गान करने वाले देश भक्तों पर लाठी चार्ज करते हैं। ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा की बात करते हैं। सांप्रदायिक हिंसा किसने फैलायी है? कौन इस देश में फैला रहा है? कौन इस देश में सच्चर कमेटी के नाम पर समाज को बांटने का कार्य कर रहा है? ... ** ..(व्यवधान)

महोदय, उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं आयी हैं, उन घटनाओं पर अगर आप नजर डालेंगे ...(व्यवधान) जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को अगर मैं आपके सामने रखूं, तो घटनाएं अपने आप में चौंकाने वाली घटनाएं हैं। ये चौंकाने वाली घटनाएं कितनी खतरनाक हैं ...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I am on a point of order under Rule 380. The hon. Member has made a defamatory statement. Rule 380 says:

> "If the Speaker is of the opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the House."

...(*Interruptions*)

The Member has used such words. We have already raised the issue of communal violence. We are not against anybody. We want secularism to be maintained in the country. Therefore, we wanted a discussion on the matter. But the hon. Member while speaking used the name of Pakistan. He abused us while naming Pakistan. This is unparliamentary, Sir. This should be deleted. ...(*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): He has been using words like Hindus and Muslims. This is against the secular fabric of the country. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The Member has raised certain objections. I will go through the record and if there is anything objectionable in it, I will expunge it. Yogi Adityanath may continue now.

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, साप्रदायिक एजेंडा इन लोगों का है, हमारा नहीं। हम लोगों ने पूरे देश को एकजुट करने का वायदा किया था।...(व्यवधान) हम लोगों ने तो नारा भी दिया था- "सबका साथ और सबका विकास। " लेकिन असम में "अली और कुली " का नारा इन लोगों ने दिया था।...(व्यवधान) असम को ये लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, इसे देश से अलग करने की साज़िश कर रहे हैं। ...(व्यवधान) इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या यही सेकुलरिज्म है? ...(व्यवधान)

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 में 118 घटनाएँ घटित हुई, वर्ष 2013 में 247 और मार्च से मई तक 65 घटनाएँ घटित हो चुकी हैं। सहारनपुर का दंगा इसलिए हो जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर सहारनपुर में एक गुरुद्वारा का निर्माण हो रहा था। न्यायालय के आदेश को शासन नहीं मानेगा, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानेगी। कांठ में इसलिए विवाद होता है क्योंकि उस गांव में चार धर्मस्थल हैं- तीन मस्ज़िद और एक मंदिर। मंदिर हिन्दू समुदाय का है। तीन मस्ज़िदों पर माईक रहेगा, लेकिन मंदिर से माईक उतार दिया जाता है। क्या यही इन लोगों का सेकुलर एजेंडा है? क्या यही सेकुलरिज्म है? क्या इसे ही आप सेकुलरिज्म कहेंगे?

महोदय, मेरठ में एक घटना घटित हुई। मेरठ में एक बालिका का अपहरण होता है और इसके बाद उसके साथ जो घटना घटित होती है, वह कितनी शर्मनाक थी?...(व्यवधान) महिला हिंसा पर हम चर्चा कर रहे हैं। उस महिला पर हुए हिंसा की हम बात कर रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग मौन हो जाते हैं।...(व्यवधान) उस मामले में इन लोगों की जुबान नहीं खुलती। ...(व्यवधान) न्याय का तराज़ू तभी चलेगा, जब इस देश के अंदर सबके लिए कानून समान रूप से लागू होगा। ...(व्यवधान) इस देश में कानून मात्र सप्रदाय और मज़हब के आधार पर लागू नहीं हो सकता। ...(व्यवधान) इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूँगा, ...(व्यवधान) कांग्रेस ने मौका दिया है, अच्छा होगा कि पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में ये जो घटनाएँ घटित हुई हैं, ...(व्यवधान) उनकी एसआईटी द्वारा जांच करवा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के किसी सीटिंग जज़ से इन साप्रदायिक दंगों की जाँच करवाने के साथ-साथ, अराष्ट्रीय तत्त्वों से किनके सम्बन्ध हैं, इसकी भी जाँच करवा दी जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। ...(व्यवधान) यही मांग करते हुए, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ये लोग साप्रदायिक एजेंडे के साथ देश के सामने आए हैं, ...(व्यवधान) देश के खिलाफ इनके खतरनाक मंसूबों के खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा।

*m03

SHRI J.J.T. NATTERJEE (THOOTHUKUDI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, under the able leadership of *Puratchi Thalaivi* Amma, Tamil Nadu has the unique distinction of maintaining excellent communal harmony in the State, although some communal elements in certain parts of the State are in the habit of creating communal rift. *Puratchi Thalaivi* Amma has taken every step to prevent communal tension in the State. The steps taken by the State include preventive and punitive steps. Laws are enforced without any prejudice. As a result, all the religious and caste groups are unanimous in lauding the efforts of the hon. Chief Minister, *Puratchi Thalaivi* Amma.

The police force in the State observes total neutrality vis-Ã -vis communal forces in the State. Laws are enforced in an objective manner without any fear or favour. On the directions of the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, the police forces in the State have waged an all-out war against the communal forces.

I represent Tuticorin, the pearl city, located in the southern most part of peninsular India, which is known for its all-weather major port and a number of industries. There is an urgent necessity to upgrade the infrastructure in and around Tuticorin, such as laying of double line and electrification of the traction in the region, introducing a super fast train that connects Tuticorin with Chennai, with limited stops at Madurai and Tiruchi, introduction of high speed trains and connectivity to Coimbatore, Kochi and Bengaluru by the Railways, development of Tuticorin Port into a major container transhipment hub and adding a ship building segment, and building six lane highways from Tuticorin to Madurai and Tirunelveli.

Under the guidance of our beloved leader, Amma, the Home Department maintains law and order in the State in an exemplary manner. All concerned have been sensitised about the ill effects of communalism and the necessity to thwart the designs of anti-social and anti-national elements in disturbing the communal harmony.

At the same time, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu is very much against the efforts of the Central Government in introducing the Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2013. This legislation, which seeks to give overriding powers to the Centre to the total exclusion of the States in handling instances of communal and targeted violence, vitiates the norms for Centre-State relations envisaged by the Justice Sarkaria Commission. It is a blatant attempt to totally bypass the State Governments and concentrate all powers in the Central Government, rendering the States absolutely powerless and totally at the mercy of the Centre. It particularly gave the impression that it was only the Centre which was greatly concerned about organised communal and targeted violence while the State Governments abetted such crimes. Such an approach is totally biased.

We are against introduction of such a Bill. The Centre should give up such efforts and join hands with the State Governments in fighting the menace of communal violence.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this occasion.

*m04

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, at the very outset, I would like to say that we are discussing today the need to evolve an effective mechanism to deal with the incidents of communal violence in the country.

Sir, it is not the point of the debate that we will fight with each other. The purpose is to evolve some mechanism. Shri Kharge initiated the discussion and Yogi Adityanath responded to it up to a certain extent. We should all come to the sense that we are the firm believers of the principles of secularism, communal harmony and the integrity of the country. We also feel that the main ethos of India reflects unity in diversity. We sing the song:

"NANA BHASA, NANA MOT

NANA PORIDHAN

BIBIDHER MAJHE DEKHO MILONO MOHAN"

It means that we speak many languages, we wear many dresses, we have many opinions but still we are the firm believers of the opinion that unity in diversity should be there.

In the *National Anthem,* we sing: "पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग।" So, this is the spirit. We, the Indians, owe our allegiance to parliamentary democratic system where every religion, every person has his right to speak his own opinion, his own thought, his own philosophy. But the discussion, as it appears today, shows that they are speaking for the Hindus sitting there and here we are for the Muslims. But the picture is not that. In this whole House, we are for all types of believers of caste, creed and religion. We stand for the betterment of this great country. This is a country where *Iqbal* sang: "सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा।" So, that is why, we should try unitedly to see that this love and sense of security amongst our countrymen prevail very much. Somebody may be minority here, they may be in a majority in some other place. If we consider the whole world, the Christians and the Muslims are in a majority in a larger scale. In some places in our country, there are minorities which, not only mean the Muslims but also the Sikhs, the Budhists, the Jains, the Parsis, the Christians who are all there. They all belong to a totally minority section. It is the Government which is running the country.

17.00 hrs.

Primary responsibility lies on their shoulders to ensure that communal violence do not take place in the country. I hope Rajnath Singh *ji* is a very responsible person, and he should, as the Home Minister of the country, always try to give assurances that communal violence will not be allowed to take place anywhere. Provocations certainly create communal tensions.

` Bengal is actually known as a very secular State but what we are finding now a days is that some tensions are being created in some corners of the State. I would also request the hon. Home Minister to find out the States which are basically known as totally tension-free States from communal struggle and communal violence, and also to find out why such type of tensions are taking place at some level. These are to be stopped at the very initial stage itself.

Only communal violence creates bad feelings, brutality, losses of properties. These are the things, about which everybody is of the opinion that they are to be registered. Adityanath *ji* was saying that some Imams are getting some benefits. He can make a claim that those priests should also get some wages. That can be done. Why are they getting it? That should not be the target of discussion by which a sense of insecurity will prevail. Therefore, they can claim that they should also be given some assistance or some financial support. This is our demand. They may say that that would give a good sense, and I think, that would be the correct line. ...(*Interruptions*) The ruling party, which has such a huge number of MPs, should have some patience, listen to us and reply when their turn comes. That would lead to a good discussion.

If we are united, no one can take away peace of our country. Communal tensions and communal violence have shown us how dangerous effects can spread either in a State or it may go out of that State and spread throughout the country. We should be totally cautious from the very beginning.

What I want to request and say to Rajnath *ji* is that the Government of India must remain alert, cautious and vigilant to prevent communal tensions, communal violence; otherwise, safety and security of the common people will totally be under threat. The secular fabric of this great country will be challenged. I hope, no political party is asking for such a situation. I was telling whoever was in power that they should have the major responsibility to look into it.

Yesterday, I was listening to the speech of UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi at Thiruvananthapuram. She was giving the data that so many incidents have taken place and so many communal violence have taken place. I would request Rajnath *ji* to take this allegation against the present

Government seriously. If the number goes above 400, 500 or 600, then why not the Government take the responsibility and assure the House that they would investigate all the allegations which have been made here?

Adityanath *ji* was telling that the Supreme Court Judge be authorized to look into it. ...(*Interruptions*) Nobody should oppose this. If the main Opposition Party is in favour – the Supreme Court Judge can investigate – and if the Government is agreeableâ€¦.. ...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : It is the feeling of even Kumari Mamata Banerjee. I would like to just bring it to your notice.

17.05 hrs (Shri Ramen Deka *in the Chair*)

According to Express News Service of August 13, 2014, the Chief Minister of West Bengal Kumari Mamata Banerjee said ...(*Interruptions*) He has yielded. I requested him, he has yielded. What is your problem? ...(*Interruptions*) Without taking the name of any political party, she said that some parties are trying to create a divide between Hindus and Muslims and urged the people not to fall into the communal trap. She said that she has information that attempts are being made to create communal tension in the State. She also asked people not to indulge in communal violence. I do not want to say anything more because this is not only the feeling of Sonia Gandhiji, but this is the feeling of Mamataji and Mulayam Singhji.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, in our Constitution, we have the right to equality amongst all castes and religion. We are the law makers of this country. So, we should take all efforts to see that our country remains totally united and all sections of people belonging to different caste, creed and religion live in peace and harmony and with love for each other.

When Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister, we spoke about international brotherhood and international solidarity. That is the ethos of our Indian culture which we spread throughout the world. When we are believers in international brotherhood and international solidarity, why should we lack that spirit here within our country? When Dussehra festival comes, Hindus and Muslims embrace each other by saying 'Happy Dussehra', when Christmas comes, we embrace Christians and say, 'Merry Christmas' and when Eid festival comes, Hindus and Muslims embrace each other and say, 'Eid Mubarak'. So, this is the culture of our country. We should try to protect it. We are believers of the slogan ' *Mera Bharat Mahaan*'.

Sir, I would not like to allow the discussion to go in such a manner that the spirit of this discussion is diverted in some other way by which instead of trying to find out a solution we make it more complicated and worsen the situation which is existing now. We have another speaker from our party. He will also speak later. So, I conclude with an appeal that we, as law markers of the country, should try to evolve such a mechanism by which we can say that India is not having any communal violence in the coming days.

*m05

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak in this debate.

Sir, it has been said that religion is the opium of the masses and anybody talking about religion, discussing about religion or indulging in religious activity, you can very well understand that it is a mind of an opiate, it is the mind of a mob or individuals or groups who are not sensible, who are not civilized. I feel this is a sad time for our country. I am seeing how both sides are squabbling and fighting. I have seen two Lok Sabhas where those who are screaming at the top of their voices and those who claim to be the saviours of the minorities, the way they behave, the way they took care of this country and the sadness that they brought about on this pious land, the resultant, the factual situation is in front of the whole nation to see who is where.

There can be laughter; there can be mirth but we are discussing something which involves the lives, the very existence of small children, of women, of mothers, of innocent men, of people who are not involved in our demagogy, who are not involved in the madness that we all wish to propagate. I am insisting on 'all'. None of us can say that I am exempt from this madness.

I come from the land of Odisha where our ancestors called it 'The land of Jagannatha', the land where the creator of the Universe resides. A Muslim, a Hindu, a Christian, all that we can think of, everybody resides within the Universe and the creator takes everybody as his or her or its creation or child. In that very land, in 600 AD, we had a writer Deena Krishna Das who wrote the *Lakshmi Purana*. The concept of Lakshmi is *chanchala*. She is not subservient or she is not bound to be in a static situation, in the houses of people in Mumbai or in certain cities, those who own big industries or are big moneyed people. *Chanchala* naturally is desirous of being around with everybody. This concept, Deena Krishna Das brought in so many hundreds of years ago to project that Lakshmi will go to the house of the downtrodden. He took idols of Lakshmi to the homes of the untouchables thereby implying that God is not someone's prerogative, is not someone's private domain; God is for everybody.

Sir, obviously we should not mix up *dharma*, as we take it now like religion, with godliness or divinity. These are diverse thought processes. Somebody who is *dharmik* need not necessarily be divine. And somebody who is divine need not also be necessarily *dharmik*. Luckily, we do not have people here who have come from say Jerusalem or Medina or Mecca. If we go to a scientific level and if we check our DNA, all of us will have the same DNA, all of us will have the same roots. But, yet we fight; yet we create bitterness and we try to belittle each other as much as we can.

It is interesting to note that – whatever religion we are in – when Chanda Ashoka from Pataliputra invaded Kalinga, he became Dharma Ashoka. For the first time ever, Buddhism became the State religion. It is because of the war in Kalinga, Buddhism spread to Sri Lanka and Buddhism spread to the Far East. That is how today you have Buddhism as an international religion. So the State always impresses upon the weak, upon the downtrodden, upon the poor that you convert to the religion of the king. Whoever rules becomes the saviour. That is evident. But that does not imply that Hindustan means everybody is Hindu. In Hindustan, like I had said once earlier, the word 'Hind' came from the river Sindh. So, people living on the banks of the Sindhu River became Hindus. I do not live along the banks of Sindhu River. Maybe some Pakistani lives there. I live in Odisha. I am a Hindu and I am also a Brahmin but I do not think that my religion makes me greater or different or superior to anybody else in this House or in this world. I am not inferior to anybody either. I am what I am.

Sir, we have had a National Integration Council, which meticulously, assiduously UPA-I and UPA-II made it into a joke and destroyed the very fibre of that organisation.

The National Advisory Council became a super Cabinet and started taking all kinds of political, economic and social decisions. That was one bizarre thought process. We have another bizarre thought process where the Chief Executive of our country says, 'why has a proxy war, let us have a war?' Sir, Hindi is neither your language nor mine but someone who knows Hindi told me that its meaning is *lalkar rahe hain.* Sir, can you image, in the present time, in the 21st Century, someone can appeal that let us have an open war? Is India capable of that?

I sometimes wonder about microphones. Today, some report said that 120 communal violence incidents have erupted because of microphones. Sir, we are all aware that most parts of India today do not have electricity. So, how do microphones work? When I was studying in Puducherry, I had a huge Hindu temple right outside my boarding. It used to blare at 3:30 in the morning. It used to blare devotional songs into my room. That is like the beginning of the evening for me, that is when I go to bed. So I could not even sleep. I started wondering, when did microphones come to India? Known history says and you can verify that electrically operated amplification, sound amplification system was first introduced in India in 1921 by the British to quell mobs. Before that neither any temple nor any mosque nor any gurudwara or church, nobody had an amplification system. So, what did they do? How did they pray? Was God not existing at that time? What were we doing at that time? We were probably listening to God.

Sir, I know that you have curtailed my time and you do not wish me to continue. I have been listening to very learned seniors like Yogiji, I respect him and I always do a very heartfelt *pranaam* to him. Khargeji is a great leader of this country. I heard *dada* also. But I have not heard any concrete proposals.

This country has experimented and has seen one or two institutions that it has set in place and which are successes internationally. The Election Commission of India is one such success. We have seen and nobody in this House can say that his voting was wrong and the Election Commission did something *mala fide*. All of us will raise our hands to say that the Election Commission of India has proven over and over again that it is an impartial, honest, capable and efficient organisation operating in India. When the need arises, it summons CISF, CRPF, BSF and even the Army and local police to help in conducting the elections. We have also created NDRF and NDMA, that is, the National Disaster Management Authority. We have seen proofs. They have worked and they have succeeded.

I would like to make a humble request to the Government. Is it possible to consider that we have something which could be appropriately named by intelligent people like the Home Minister or the Prime Minister, those who are much more capable?

Sir, I have too many ideas coming out but I will not speak forth. We can ask for advice from within the House, without the House, administrators, judiciary, business people, social leaders and even leaders of minority and majority communities. In Punjab, if the Sikhs are majority, let them say something, and let the Hindus also say something. So, we can take everybody together, put them in one boat and find out whether we can create a Communal Harmony Authority which will be able to call upon any kind of Armed Forces, any kind of governmental support in times of need. We have to talk with the State Governments, especially volatile States like Gujarat, Uttar Pradesh and others, and take them on board, consult them, take the opinion of all Parties, of all Governments, and create such Authority. ...(*Interruptions*)

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Odisha also ...(*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : May be. Yes, we are not volatile. The hon. Member, Shri Nishikant ji has gone to Odisha many times. He knows that the BJD Government, Shri Naveen Patnaik's Government, has done exceedingly well after the bad riots in Kandhamal where we have to split ways with some people. We have had no communal violence after that.

So, my tangible suggestion is this. Can the Government consider creating an Authority, taking everybody on board and making it such an organization with teeth, with claws and with muscle so that people are scared, and something that will work?

*m06

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): First of all, we are all Indians. Swami Vivekananda said: "This land is a *punya bhoomi, karma bhoomi* and *veda bhoomi*. So, being Parliamentarians, it is our responsibility to maintain communal harmony in this country.

Our Party, Telugu Desam Party, headed by our leader, Shri Chandrababu Naidu, ruled the combined State of Andhra Pradesh for nine years. He maintained communal harmony very well in our State. Actually, Hyderabad city also is a very sensitive city. During his tenure of nine years, there was not even a single day with curfew. Since the inception of our Party, our Party is a secular Party. So, we respect all religions and all castes.

I would humbly make an appeal to all our beloved leaders not to see communal violence on the basis of religion. According to my vision, wisdom and understanding, the first one is poverty. The second one is that our enemy countries are encouraging communal violence through some communities. So, we should understand that. I would like to tell all the political parties that we should not see religion or caste or region from the point of vote bank politics. As long as we see it from the point of vote bank politics, communal violence will keep on repeated in this country.

For information, even in the Hindu religion also, there are two groups. One is *Saivamata* and the other is *Vishnu.* Even they used to fight. But after sometime, we had overcome that.

Now, we are fighting on the basis of some religion and region. It is because of lack of awareness, lack of education and poverty. Some political parties are trying to exploit the situation to encash it in order to get benefits.

I would cite one example. In our State of Andhra Pradesh, from 1989 to 1994, the Congress party ruled. I witnessed it physically. For 45 days, there was a curfew imposed in Hyderabad. There was no real fight between the Hindus and Muslims. The only agenda behind this was that they wanted to change one Chief Minister and that is why, they had created all this situation. Due to that, many poor people both from Hindu and Muslim

communities, suffered a lot. Many people were killed and many people were injured. Ultimately, they had changed their Chief Minister.

I would, therefore, request all the politicians, especially all the party heads. We are in a modern era and because of the liberalisation, globalisation and privatisation, the entire world has become a global village. So, please focus on the development issue. Our living legend, Shri Narendra Modiji is an example as to how he got the thumping majority four times consecutively in Gujarat; how the people from all the communities and religions had voted for him and how the BJP after 30 years, got the majority on its own. It was because of trust and faith on their leader. It was not on the basis of any religion. People from all religions had voted for them.

That is why I would request all the leaders. The young leaders are there and senior leaders are there. Please try to focus on the development agenda.

Recently, our Andhra Pradesh Chief Minister, Shri N. Chandrababu Naidu got re-elected after 10 years. It was not on the basis of any caste. We were also having alliance with the BJP. All the Muslims in Andhra Pradesh had voted from him; all the Christians had voted for him. It is because Shri Chandrababu Naidu is a committed to develop the State of Andhra Pradesh.

According to Mao, there are only two religions or two parties in this world One is the 'poor' and the other is 'rich'. The rich Muslim cannot help the poor Muslim and the rich Hindu cannot help the poor Hindu.

I would sincerely appeal to all. First of all, our leaders should change the mindset. We have all to change our mindset. If any violence including communal violence happens in any State or in the country, we should make our law and order very strict, to deal with it.

Just to say that because of the BJP Government, communal violence is happening or one should blame the BJP Government because some Hindu is ruling, is not correct. If any Muslim king is ruling and a communal violence happens in his kingdom, we should blame the Muslim king. So, the rulers will not be held responsible for it.

In the end, once again, I would sincerely appeal to all the leaders to please maintain the communal harmony and focus on the development of the country. Then only, our country will progress further.

With these words, I conclude.

*m07

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : सभापति महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस चर्चा का विषय यह है कि जो साप्रदायिक दंगे हैं, उनसे निपटने के लिए कौन सा मैकेनिज्म बनाया जाए।

हम सदन में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सबको यह स्वीकार है कि वर्षों से पूरे देश में साप्रदायिक तनाव और फसादात ने हजारों लोगों को परेशान किया है। हम जब सदन में चर्चा करते हैं तो हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भावना बाहर भड़काई जा रही है, उससे हम किस तरह से निपटें, यह हमारा मकसद है। आज जिस भावना को इस्तेमाल किया जाता है, हम सदन में अगर इस बहस को इस तरह से मोड़ें कि उसी भावना के बारे में हम पूरे देश के सामने हमारे चैनलों के माध्यम से और प्रचार माध्यमों के जरिये यह बतायें कि जनप्रतिनिधि भी उसी भावना के शिकार हो रहे हैं तो हम उससे निपटने की बजाय उसे बढ़ावा ही देंगे। अभी हमने सत्पथी जी को सुना, उन्होंने कुछ संदेश देने की कोशिश की है कि - When we talk about communal violence, particularly escalating polarisation, we must ensure that instead of provoking, we must try to restrain the emotional levels. Unfortunately, not today but most of the time we fail to give the correct signals and sometimes those signals are caught and wrongly handled.

अभी यह आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है। खास कर जब यह बात आई कि नई सरकार के आने के बाद से पिछले दो महीने में घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी मोदी जी जब अपनी नैशनल कांउसिल को संबोधित कर रहे थे, तो उसमें कहा गया कि यह जो सांप्रदायिक फासादात हो रहे हैं, जहां तक मैंने मीडिया में पढ़ा कि यह वोट पॉलिटिक्स से लिंक्ड है। यह हम राजनीतिज्ञों के ऊपर लांच्छन होता है। अभी कांग्रेस की अध्यक्ष महोदया ने भी यह कहा और मीडिया में भी यही कहा जा रहा है, चूंकि कुछ उप-चुनाव हैं, कुछ विधान सभाओं के चुनाव सामने आ रहे हैं, लेकिन हम यह देखते हैं कि ये पिछले कई वर्षों से लगातार कभी कम हो रहे हैं तो कभी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। यू.पी.ए. सरकार, जिसने दस साल तक हमारे देश में हुकूमत चलाई, एक सोच आई थी। प्रिवेंशन ऑफ कम्यूनल वॉयलेंस बिल लाया गया, दस साल तक उस पर चर्चा हुई, बहस हुई, स्टैण्डिंग कमेटी में विचार हुए, लेकिन यू.पी.ए.-1 और यू.पी.ए.-2 they have failed miserably to bring the Bill. उनके प्रोमिसेज़ थे कि प्रिवेंशन ऑफ कम्यूनल वॉयलेंस को कानून में लाया जाएगा। कई कानून बने, बहुत हाई स्पीड में बने, बहुत से बिल बिना चर्चा के भी पास किए गए, लेकिन इस कानून को हम नहीं ला पाए। इस सरकार से तो मैं यह मांग भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह उनका प्रोमिस भी नहीं है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : No cross-talk please.

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦ *

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, I have a point of order. He has used my name. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, that is not going on record.

SHRI MOHAMMAD SALIM : What about my rights? ...(*Interruptions*) सर, यह जो cult of violence है, जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है, वह हम पूरे विश्व में भी देख रहे हैं और हमारे देश में भी देख रहे हैं। इसके पीछे कारण हैं, अगर हम उनका नियंत्रण करना चाहें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कानून ले आएंगे या जैसे कोई लॉ एण्ड ऑर्डर एंफोर्सिंग मशीनरी बना देंगे तो फिर पूरा नियंत्रण में आ जाएगा। उसके पीछे cult of violence के साथ-साथ आप अगर देखेंगे कि यह इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है। अभी यहां कभी-कभी ये भड़क जाते हैं, हम जानते हैं न कि डैमोक्रेसी में सब का अपना-अपना अलग-अलग मत है। जिस तरह से हमें बोलने का हक है, वैसे ही कुछ सुनने की भी जिम्मेदारी है। यह इस पक्ष और उस पक्ष का मामला नहीं है। यह लोकतंत्र का मंदिर है। अगर हम यहां पर अपनी बात को नहीं बोल पाएंगे, अपने मत को नहीं रख पाएंगे तो kind of majoritarianism अगर डेवलप किया जाए, चाहे वह समाज में हो, चाहे गांव में हो, चाहे सदन में कि हम जो कहते हैं, वही है और दूसरी कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी तो फिर हमारा पहनावा, हमारी खुराक, हमारा लिबास, हमारा चेहरा, हमारी जुबान, जीने के हमारे तौर-तरीके, सब पर हमले होंगे यह देश जो है, इसमें विविधता है और उसे हमने स्वीकर किया है।

हमारी आज़ादी की लड़ाई से जो धरोहर हमें मिली हैं, साम्राज्यवाद से लड़कर हमने जो धरोहर हासिल की है, इसलिए हमारी सभ्यता में गौरव है, इस सभ्यता और संस्कृति को अगर हम किसी एक रूप का बनाएंगे, अगर एक टनल के अंदर डालेंगे तो वह गलत होगा। यह तनाव तब बढ़ता है, जब हमारी सोच में, हमारी समझ में, हमारे विचार में जम्हूरियत के प्रति, जो लोकतांत्रिक भावना है, उसमें कमी आती है। इससे एक्सट्रिमिज़्म तैयार होता है। यह जो कल्ट ऑफ वॉयलेंस है, उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसका कोई एक धर्म नहीं है, साम्प्रदायिक जो है । धर्म का भी इस्तेमाल हो सकता है, जाति का भी इस्तेमाल हो सकता है, भाषा का भी इस्तेमाल हो सकता है, वे उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम साम्प्रदायिक राजनीति में यह समझते हैं कि ये इस धर्म के बहुत बड़े मानने वाले हैं, इसलिए कट्टर हैं या वे उस धर्म के बहुत बड़े मानने वाले हैं, इसलिए कट्टर हैं। दरअसल वे धर्म मानने वाले ही नहीं हैं, वे धर्म को समझते भी नहीं हैं। वे धर्म के दर्शन को नहीं समझते हैं और वे धर्म का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक खूनी जिस तरह से रिवाल्वर, पिस्तौल, खंजर या तलवार का इस्तेमाल करता है, उसी तरह से कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बनकर धर्म का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

शुरूआत में तो ऐसा होता है कि काम्पटीटिव पॉलिटिक्स या काम्पटीटिव कम्युनलिज्म के लिए हम एक दूसरे को दिखाते हैं, अपने साथ लोगों को इकट्ठा करने के लिए दिखाते हैं कि देखो हम तुम्हारे धर्म के चैम्पियन हैं, क्योंकि, हम उस धर्म के साथ लड़ रहे हैं।...(व्यवधान) आप सुनिए, यह समझने की बात है। ...(व्यवधान) फिर माफी माँगोगे।...(व्यवधान) लोग एक बार माफी मांग लेते हैं तो शिक्षा ले लेते हैं। ...(व्यवधान) हम किसी एक धर्म के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम तो यह कह रहे हैं कि यह सब कैसे होता है,...(व्यवधान) आपको यह मामला कैसे बुरा लग गया, यह आपकी बात तो नहीं है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं सोचकर कह रहा हूं, मैं कोई नोट से पढ़कर नहीं बोल रहा हूं। यह एक वैचारिक मामला है। वे जो करते हैं, जो झगड़े होते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, चाहे किसी भी प्रांत में हो, किसी भी जिले में हो, जैसा हो रहा है या जैसा होता आया है तो उसमें यह होता है कि पहले ये अपने धर्म के लोगों को इकट्ठा करते हैं कि हम दूसरे के साथ बदला ले रहे हैं। लेकिन पूरे विश्व का इतिहास यह कहता है, हमारे देश का इतिहास भी कहता है और आसपास के देशों में भी हम देखते हैं, जो वहां अशान्ति हो रही है, हिंसा भड़क रही है, वे अपने धर्म के ही जो सही विचार, सही सोच, सही समझ और अमन और शान्ति के पुजारी हैं, उनके साथ कट्टरपंथियों की लड़ाई होती है।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

श्री मोहम्मद सलीम : सब जगह एक धर्म से दूसरे धर्म की लड़ाई नहीं होती है। इसे करने के लिए हमारी संस्कृति को, हमारी शिक्षा को, हमारे धर्मग्रन्थों को, हमारे धर्म के लोगों को, हमारी धार्मिक भावना को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हादसे इसलिए ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि, हमारे सामने यह चुनौती ज्यादा आ रही है। मैं समझता हूं कि बदले हुए माहौल में, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में बदला हुआ माहौल है, इसमें कुछ लोग अगर ऐसा समझते हैं कि चलो चुनाव में विकास के नाम से हो या जैसे भी प्रचार हुआ, लेकिन लोगों ने फैसला किया, उनके हक में फैसला हुआ। अभी राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बने हैं। अब राजनाथ सिंह जी के चाहने वाले कोई लोग, राजनाथ सिंह जी नहीं, अगर यह समझें कि अब हमारी मनमानी चलेगी और बाकी की नहीं चलेगी तो इससे अशान्ति भड़केगी, गड़बड़ होगी। पूना में चाहे वह मोहसिन शेख, आई.टी. प्रोफेशनल की हत्या हो, चाहे वह जम्मू के कठुआ में हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा के मेवात में हो, चाहे वह किसी भी प्रदेश में हो, चाहे वह हमारे पश्चिम बंगाल में हो।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री तारिक अनवर।

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Sir, I am about to conclude....(*Interruptions*) मैं कोई रिलीजन स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ।...(व्यवधान) मैं कोई प्रदेश स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦

माननीय सभापति : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*m08

श्री तारिक अनवर (कटिहार): महोदय, आज इस सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं, सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। मैं समझता हूं कि आज इस पर देश के सभी लोगों की नजर है कि यह सदन ऐसे संकट के समय में सिर्फ मूकदर्शक बनकर रहना चाहता है या सही मायने में कोई कदम उठाने की चेष्टा करता है।

महोदय, हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री की या सभ्य समाज की जो पहचान होती है, वह इस बात से होती है कि वहां जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होता है? और उनकी जो भी समस्याएँ हैं, उनका निदान करने के लिए हम क्या कदम उठाते हैं। आज वोट बैंक की राजनीति की बात होती है। कहा जाता है कि देश के अल्पसंख्यक, खास तौर से मुस्लिम समाज को देश की मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए। मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हमेशा यह कहा जाता है और तुष्टीकरण की बात कही जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जस्टिस सच्चर और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि बार-बार जो देश के अंदर यह बात उठाई जाती है कि एक वर्ग-विशेष का तुष्टीकरण हो रहा है, उसमें सच्चाई नहीं है। आज यह बात कही गई है या कही जाती है कि हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वोट बैंक किसलिए होता है - चुनाव जीतने के लिए होता है। अल्पसंख्यक वोट को लेकर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। अगर हम अल्पसंख्यक और समाज के कमज़ोर वर्ग की बात करते हैं तो इसलिए बात करते हैं कि देश की मुख्यधारा से उनको जोड़ा जाए। जब हम कहते हैं कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश का विकास करना है तो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना पड़ेगा।

अनेकता में एकता की बात हम करते हैं। भारत एक ऐसा देश है, जिसमें दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसके मानने वाले हमारे देश में न रहते हों। यहाँ अलग-अलग जातियाँ हैं, अलग-अलग भाषाएँ हैं, अलग-अलग संस्कृति और संस्कार हैं और उस देश को अगर एक साथ लेकर चलना है तो उसका एक ही रास्ता हो सकता है कि हम सर्वधर्म-समभाव के रास्ते पर चलें, जो महात्मा गांधी का रास्ता था, जो उन्होंने हमें सिखाया था। आज हम उस रास्ते से कहीं न कहीं भटक रहे हैं। इस बात को हम लोगों को बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है, मज़बूत नहीं हो सकता है, अगर वहाँ एक समुदाय दूसरे समुदाय पर शक करे, एक दूसरे पर विश्वास न करे, डर और भय का वातावरण रहे तो वह देश कभी मज़बूत नहीं हो सकता।

हमारे प्रधान मंत्री जी का कहना है कि हमें इस देश को बहुत आगे ले जाना है और इस देश को एक महान शक्ति बनाना है। यह देश महान शक्ति तभी बनेगा, जब इस देश में रहने वाले सभी लोग मिलकर उसके लिए प्रयास करें। 'सबका साथ और सबका विकास' - क्या यह मात्र नारा है? अगर नारा नहीं है, अगर सचमुच उसमें आपका कुछ उद्देश्य है तो आपको सबको साथ लेकर चलने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। सिर्फ नारा देने से काम नहीं होगा। यह दिखना भी चाहिए कि आप सबको लेकर चल रहे हैं, सबका साथ आप चाहते हैं। जब तक यह दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ ज़बानी नारा लगाने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है।

यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं। सही बात है कि उनसे बहुत उम्मीद है, आशा है। वे इस बात को दोहराते हैं कि देश के अंदर एकता रहनी चाहिए, देश के अंदर समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर हमें चलना है। इस बात पर हमें यकीन है कि आने वाले समय में, क्योंकि, यह मामला बहुत गंभीर है। हमारे कुछ साथियों ने ठीक कहा कि इसको इस नज़रिये से देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किस धर्म का है और हम सब लोग यहाँ जो आए हैं, हम पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी धर्म-विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को जब कोई बात बोलनी चाहिए तो ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे यह संदेश जाए कि हमें देश की चिन्ता है। देश इंसानों से बनता है और इस देश में रहने वाले लोग इस देश के सही मायने में नागरिक हैं।

मैं अंत में यही कहूंगा कि हमें आग से नहीं खेलना चाहिए। अगर पड़ोस में आग लगती है तो हमारा भी घर जल सकता है। इसलिए ऐसा कोई क़दम न उठाएं, जिससे हमारे देश के शत्रुओं को, जो कि

हमारे देश को आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उनको उसका लाभ मिले। एक ऊर्दू का शेर है, जिसे मैं आपको, खास तौर से हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, को सुनाना चाहता हूं,ो-

'कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो।

रिश्ते तो मिलते हैं मुक़द्दर से, बस उसे ख़ूबसूरती से निभाना सीखो।'

महोदय, मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि देश की एकता और अखण्डता सर्वोपरि है। हम सभी लोगों को अपने राजनैतिक स्वार्थ से ऊपर उठ कर देश के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम देश को आगे बढ़ाएं। देश की मुख्य समस्या, ग़रीबी, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो, न कि आपस में हम लोग लड़ते रहें, एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। हमारे देश की जो बहुत बड़ी आबादी है, वह हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देखती है कि शायद उनकी समस्याओं का निदान होगा, शायद उनकी कठिनाइयां कम होंगी, लेकिन अगर हम इसी तरह से आपस में उलझते रहे तो यह न हमारे देश के लिए अच्छा होगा, न हमारे समाज के लिए अच्छा होगा।

*m09

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति जी, आदित्यनाथ जी के भाषण से ही पता चल जाता है कि भाजपा के कितने अच्छे दिनों की शुरूआत हुई है। इनका पूरा का पूरा भाषण इस देश के सौहार्द को बिगाड़ने पर केंद्रित है। इनके भीतर जो गहरी साजिश है, वह सब कुछ इनके भाषण में निहित है। इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

हम यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करने नहीं आए हैं। राजनाथ सिंह जी हम लोगों के गार्जियन हैं, वे सदन में मौजूद हैं। यहां हम ऐसे देश की एकता और धर्म की कल्पना को लेकर आए हैं, जिस धर्म के बारे में कहा जाता है- 'आत्मनो मोक्षरार्थम् जगत हिताय च।' मतलब, अपना मोक्ष और दुनिया का कल्याण हो। ऐसी भावना को ले कर हम यहां बैठते हैं, जिसमें न किसी भाषा, न किसी क्षेत्रवाद, न कोई मज़हब, न धर्म का कोई स्थान हो। सिर्फ एक साधारण-सी बात आपको सुना कर मैं अपने भाषण की शुरूआत करूंगा कि किश्तवाड़ हो या गुजरात मरते सिर्फ बेगुनाह हैं और वे मरते रहेंगे, जब तक इंसानियत का राज इस देश में इस जगह नहीं होगा।...(व्यवधान)

महोदय, सप्रदायिकता या किसी भी चीज का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इन्होंने साधु-संत और मौलाना की बात कही है। मैं इन्हें कह देना चाहता हूं कि जो इनके गुरु हैं, जिस धर्मपीठ से ये आते हैं, उसकी संस्कृति और तहज़ीब में अल्पसंख्यक से ज्यादा दलित विरोधी हैं, आदिवासी और गरीब विरोधी हैं और ये कैसे हैं, देश में इनके जो स्कूल हैं, अगर आप उन स्कूलों में जाकर आरएसएस की फिलोसफी पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान के दलित और आदिवासियों के बारे में आपको पता चलेगा...(व्यवधान) इसके लिए आपको मध्य प्रदेश जाना होगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं वाद-विवाद में नहीं जाऊंगा।...(व्यवधान) मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैं संघ का और किसी का विरोधी नहीं हूं।...(व्यवधान) मैं सब का सम्मान करता हूं।...(व्यवधान) आपने बहुत अच्छा कहा। आपको पता होना चाहिए कि गुज्जर और जाट भी भैंस का दूध ही उठाते हैं, जो यादव और राजपूत करते हैं, इसलिए आप चिंता न करें।...(व्यवधान)

महोदय, जब ये लोग हमारा वक्त ले रहे हैं तो आप मुझे अपना भाषण खत्म करने के लिए घंटी मत बजाइएगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : राजेश जी, आप चेयर की तरफ देख कर बात कीजिए।

श्री राजेश रंजन : आपके यहां भी एक सन्त बैठे हैं। लेकिन आप ने जिस सन्त और मौलाना की बात की है तो यदि आप इस देश में जाएंगे और आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को देखेंगे तो इसमें निश्चित रूप से दलित, आदिवासी के साथ-साथ अल्पसंख्यकों की भी वही स्थिति है। यदि कोई भी व्यवस्था या कोई भी संस्था सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े किसी समाज को उठाना चाहती है तो इसमें तुष्टीकरण की बात नहीं की जानी चाहिए, उसको किसी कम्युनिटी से नहीं जोड़ना चाहिए।...(व्यवधान)

जहां तक साधु-सन्तों का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा कि हमारे यहां साधु हैं, सन्त भी हैं, लेकिन इस दुनिया को ... * जैसा सन्त नहीं चाहिए।...(व्यवधान) इस देश को ... * जैसा सन्त नहीं चाहिए। इस देश को ... * जैसा सन्त नहीं चाहिए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Names should be deleted.

श्री राजेश रंजन : महोदय, मैंने क्या कहा है?...(व्यवधान) इनके बारे में तो दुनिया कह रही है।...(व्यवधान)

मैंने कहा कि उधर मेरी बहन बैठी हुई हैं, मेरे भाई हैं।...(व्यवधान) योगी जी हमारे लिए अत्यंत सम्मानित हैं। वे मेरे भाई हैं। हम लोगों ने साथ-साथ काम किया है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये ... * लोग तो उधर बैठे हैं। ये लोग कर्मयोगी नहीं हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : राजेश जी, आप चेयर को देख कर बोलिए।

श्री राजेश रंजन : सभापति जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं कोई आपत्तिजनक बात नहीं बोलता हूं।...(व्यवधान) मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भाजपा के दो दांत हैं।...(व्यवधान) आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक दिन स्पष्ट रूप से मंच पर कहा कि इस देश में भाजपा को लाने में सबसे अहम रोल अगर किसी व्यक्ति का है तो वह ... * का है।...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में नरेन्द्र मोदी ... * है।...(व्यवधान) ये सब लोग तो उन्हीं के भरोसे आए हैं, लेकिन हाथी का खाने वाला जो दांत है, हिन्दुस्तान में उसका नाम ... * है। ... * हिन्दुस्तान में ऐसा व्यक्ति है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : राजेश जी, आप बाहर के किसी व्यक्ति का नाम मत लीजिए।

â€¦(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Names should be deleted.

...(*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्लीज़, आप लोग बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : ये क्या बात है कि रूलिंग पार्टी किसी को बोलने नहीं देगी?...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : You are a senior member.

...(*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्लीज़, आप बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please sit down.

â€¦(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): राजेश रंजन जी अच्छे वक्ता हैं, अच्छी बात रख रहे हैं, किन्तु मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि एक ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, जो सदन का सदस्य नहीं है, यह परम्परा है। दूसरी बात यह है कि किसी भी सम्मानित शब्द के अपभ्रंश का प्रयोग करके उन्होंने कहा कि *â€¦* है।...(व्यवधान) यह गलत है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह शब्द डिलीट करने के लिए बोला है।

â€¦(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have asked for deletion of these things.

...(*Interruptions*)

श्री एस.एस.अहलुवालिया : रंजन जी, आपको आत्म ज्ञान तिहाड़ जेल में हुआ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: वह शब्द डिलीट करने के लिए बोल दिया है।

â€¦(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : सभापति महोदय, मैंने नाम विदड्रा कर लिया है।...(व्यवधान)

मैंने उनका सम्मान के साथ नाम लिया, अगर आप कहते हैं तो मैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलूंगा, उनका नाम नहीं लूंगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दो बातें कहना चाहता हूं, न मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले आतंकवाद की यहां बहस है, न हिन्दू तुष्टीकरण आतंकवाद की यहां बहस है। यदि हिन्दू तुष्टीकरण आतंकवाद है तो उसके भी राजनाथ सिंह जी और देश के सभी लोग विरोधी हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के आतंकवाद के भी देश के सभी लोग विरोधी हैं, ऐसा नहीं है कि वे उसके पक्षधर हैं।...(व्यवधान) सवाल उठा है कि इतने दिनों के अंदर हो सकता है, क्या दंगा पहले नहीं हुआ है, लेकिन दंगा हुआ तो किस ने उसको सही ठहराया। किसी ने उसको जायज नहीं ठहराया। हिन्दुस्तान में वह गलत हुआ, चाहे भागलपुर में दंगा हुआ हो या जहां-कहीं भी कोई दंगा हुआ हो, उसको न आप, न हम, कोई सही नहीं कह सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वह सही था, जो दो महीने के अंदर छः सौ दंगे हुए, क्या उनको जायज़ ठहराया जा सकता है? ...(व्यवधान) मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका टाइम खत्म हुआ।

â€¦(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your time is up.

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

...(*Interruptions*)

माननीय सभापति: आपका टाइम खत्म हुआ।

â€¦(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Miss Mehbooba Mufti.

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I gave you ten minutes.

...(*Interruptions*)

सुश्री महबूबा मुफ़्ती (अनन्तनाग) : सर, इतना शोर कर रहे हैं, हम कैसे बोलें?...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मैंने आपको दस मिनट बोलने का टाइम दिया था।

â€¦(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have given him ten minutes.

...(*Interruptions*)

सुश्री महबूबा मुफ़्ती : सर, इतने शोर में हम कैसे बोलें? ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: खड़गे जी, आप बोलिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मेरा यह कहना है कि रंजन जी अपना भाषण कंन्क्लूड कर रहे थे, उनको दो मिनट का समय कन्क्लूड करने के लिए दीजिए।...(व्यवधान) Let him finish. ...(*Interruptions*)

माननीय सभापति: रंजन जी, आप एक मिनट में कन्क्लूड करिए।

श्री राजेश रंजन : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुजफ्फरनगर की घटना, गुजरात, किश्तवाड़ या कहीं की घटना हो।...(व्यवधान) जो हिन्दुस्तान की सियासत ही नहीं, यदि 1984 के दंगों की ये बात करते हैं,...(व्यवधान) मैं इस बात को कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

मुजफ्फरनगर में क्या हुआ?...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान)*

18.00 hrs.

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦*

माननीय सभापति : आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप बैठ जाइये।

(Interruptions) â€¦*

माननीय सभापति : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

(Interruptions) â€¦ *

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, it is 6 o'clock now. I have some more Members to speak on this discussion under Rule 193. What is the opinion of the House?

...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, not only time should be extended, reply should be given tomorrow.

SEVERAL HON. MEMBERS: Please take up 'Zero Hour'.

HON. CHAIRPERSON: Shall we take up 'Zero Hour'?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : राजनाथ सिंह जी, आप कल प्रश्न काल के बाद रिप्लाई दे दीजिए। ...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : महोदय, आज चूंकि अधिकांश सम्मानित सदस्य यह चाहते हैं कि जीरो ऑवर में वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने राज्य की समस्याओं को यहां उठा सकें, इसलिए अभी जीरो ऑवर प्रारम्भ करें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ...(व्यवधान) लेकिन मैं चाहता हूँ कि यदि चर्चा प्रारम्भ हुई है तो यह चर्चा चलनी चाहिए। जितने भी माननीय सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं, उन्हें भाग लेने की इजाजत आपके द्वारा मिलनी चाहिए। यह हमारी अपेक्षा है। चूंकि हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ उपस्थित नहीं हैं, कल का क्या कार्यक्रम है, उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, लेकिन कल जो भी काम होगा, ढाई-तीन बजे के बाद इसको ले लेंगे। ...(व्यवधान) कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी तो उस कमेटी की बैठक में इसका फैसला कर लिया जायेगा कि कल यह चर्चा कब प्रारम्भ करनी है, कब इसे समाप्त करना है और कितनी देर तक चर्चा चलानी है? इस सम्बन्ध में सारे फैसले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हो जायेंगे। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : राजनाथ सिंह जी, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। चूंकि कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन ऑवर के बाद 12 बजे आप यह चर्चा अगर लेते हैं तो इसे 2 बजे तक खत्म भी कर सकते हैं। अगर लंच नहीं करते हैं तो उसे भी हम छोड़ देंगे, लंच में भी इसे चलने दीजिए और इसका उत्तर उसी वक्त दे दीजिए।

श्री राजनाथ सिंह : खड़गे जी, हमारी एक मजबूरी है कि कल मैं 2 बजे तक यहाँ पर नहीं हूँ, इस कारण मैंने यदि समय की बात कही है तो दो बजे के बाद की बात कही है। ...(व्यवधान) आप पूरे हाउस की ओपिनियन ले लीजिए। ...(व्यवधान) यदि सभी सदस्य चाहते हैं तो आज भी इसे कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसी इस सदन की सहमति हो। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: We will discuss this matter for another half an hour, and then take up 'Zero Hour'. Okay?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

HON. CHAIRPERSON: Under what rule?

श्री निशिकान्त दुबे : रूल 352। सभापति जी, पप्पू यादव जी ने दो प्वाइंट कहे। पहली उन्होंने गुजरात दंगे की बात कही। रूल 352 का फर्स्ट कहता है कि 'â€¦ refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending.' ...(व्यवधान) दूसरा, उन्होंने मंत्री जी के बारे में कहा। ...(व्यवधान) उनके बारे में कहा। ...(व्यवधान) उन्होंने मुजफ्फर नगर दंगो के लिए कहा। ...(व्यवधान) उन्होंने उनके बारे में कहा कि उनको मंत्री बना दिया गया।

It also says that a Member shall not 'make personal reference by way of making an allegation imputing a motive to or questioning the *bona fides* of any other Member of the House' ...(*Interruptions*) ये दोनों एक्सपंज करिए।...(व्यवधान) स्पीकर सर, ये दोनों एक्सपंज करिए। ...(व्यवधान) 352 के तहत मुज्जफरपुर दंगे का अपराधी...(व्यवधान) वह लाइन भी एक्सपंज करिए। ...(व्यवधान) (व्यवधान) उन्होंने कहा है कि अपराधी को मंत्री बना दिया।...(व्यवधान) इसलिए ये दोनों एक्सपंज करिए।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please take your seat.

â€¦ (*Interruptions*)

*m10

सुश्री महबूबा मुफ्ती (अनन्तनाग) : सर, आज का इश्यू बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि मेरे कई कुलिग्स ने बताए कि इसमें बेगुनाहों की जानें खामखाह जाती हैं, उनका कोई लेना-देना नहीं होता है। यह आज की बात नहीं है। यह वर्ष 1947 से होता आ रहा है। अनफोरचूनेट्ली, हम इसको इस लिए रिज़ॉल्व नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे यहां प्वाइंट्स स्कोरिंग होती है कि हमारे वक्त के

मैसेकर में कम लोग मारे गए थे और आपके मैसेकर में ज्यादा लोग मारे गए हैं। मेरे ख्याल में यह हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम असली मुद्दे की तरफ नहीं जाते हैं।

सर, मैं आपके सामने एक इंसिडेंट रखना चाहती हूं। कुछ साल पहले मैं अमेरीका गई थी। वहां के अम्बैसडर इंडिया में थे। हम उनसे मिले। हमने उनसे पूछा कि 9/11 के बाद क्या वजह है कि अमेरीका ने वहां टेररिस्ट हमले रोक दिए? क्या आपके पास बहुत स्ट्रीन्जन्ट लॉज हैं? उन्होंने कहा कि हमारे पास लॉज तो हैं और हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है, वह हमारी माइनॉरिटिज हैं, हमारे मुसलमान लोग हैं, जो हमारे साथ हैं। क्या वजह है कि हमारे मुल्क में जो हमारी माइनॉरिटिज दिलखुसुस मूस्लिम्स हैं, सर, होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, इनको आप बोलिए, आप रिकार्ड निकालिए, पिछले कई सालों से जब कश्मीर में मिलिटैंसी हुई, वहां दुनिया के कोने-कोने से लोग लड़ने के लिए आए, मगर उनमें से हमारे मूल्क का, जम्मू-कश्मीर से बाहर का कोई मुसलमान वहां मिलिटैंट बनने के लिए नहीं आया। उसके बावजूद आप देखिए, जब भी कहीं हमला होता है, 24 घंटे के अंदर तस्वीरें आती हैं कि दाढ़ी वाला यह है, यह है, इंवाल्व है। अगर आपकी इंटेलिजैंस इतनी मजबूत है तो 24 घंटे पहले आपको इसके बारे में क्यों नहीं पता चला? मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूं। यह खेल हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, जिनमें कई सारे इंकाउंटर्स, जिनमें रूलिंग पार्टी के अपने लोगों ने भी अंगुली उठाई।

सर, मेरा यह कहना है कि इंडिया की जो माइनॉरिटिज हैं, बिलखुसुस मुस्लिम्स हैं, उन्हें इंडियन नेशन से कोई शिकायत नहीं है। इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जहां-जहां जिनकी सरकारें हैं, हमें उनसे शिकायत है। हम उनका शिकार हो गए हैं। हम एस्टैब्लिशमैंट का शिकार हो गए हैं।

सर, हमारे मूल्क के माइनॉरिटिज के सबसे बड़े एन्टरप्रेन्योर कौन हैं - आजम प्रेम जी और एम.एफ.हुसैन। आप फिल्म इंडस्ट्रीज में देखिए, आप कहीं किसी फील्ड में देखिए, जहां माइनॉरिटिज को स्टेट का मुकाबला नहीं करना पड़ा, वहां वे कैसे ग्रो होते हैं? मगर, जहां स्टेट मशीनरी आती है, it is not only about Muslims; it is about the common man. अगर कोई गरीब आदमी पुलिस स्टेशन चला जाता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है? हमारी बच्चियों का रेप होता है। वे पुलिस स्टेशन जाती हैं तो क्या होता है? यह आलम माइनॉरिटिज का है। आप जेलों में देखिए। होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। मैं इनके बारे में एक बात जानती हूं। मेरे फादर हमेशा कहते हैं। वी.पी. सिंह जी जब जिंदा थे, वे मुझसे कहते थे कि मुफ्ती साहब, यू.पी. में कोई मसला हुआ, हम धरने पर बैठ गए तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, ये चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने मुझे फोन कर के बुलाया कि वी.पी.सिंह जी क्या बात है? आप आइए, मिल कर बात करते हैं, तो कहा - I was disarmed. अगर आप में इतनी एकॉमोडेशन है, इस वक्त आप हमारे होम मिनिस्टर हैं। मेरा मानना है कि हर स्टेट, अगर पुणे में लड़का मारा गया तो महाराष्ट्र स्टेट क्या कर रही थी। मगर सर आपकी कलैक्टिव रिस्पॉन्सिब्लिटी है। जैसे सलीम भाई ने कहा। नेशनल इंटीग्रैशन काउंसिल की कई मीटिंग्स हुईं। Why are we reactive? आज यह रिएक्शन है। इतने दंगे हो गए, why do we not find a permanent solution? इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें ताकि कहीं भी दंगा न हो। खुदा न ख्वास्ता अगर दंगा हो तो लोगों को इंसाफ मिले क्योंकि दंगे तभी होते हैं जब लोगों को यह मालूम होता है कि वहां का एसएचओ, वहां का पुलिस वाला, वहां का सिस्टम, it can be anything. It can be Congress; it can be BJP; it can be SP क्योंकि कहीं न कहीं दंगे करने वालों को यह मालूम होता है कि हमारे साथ कुछ उल्टा होने वाला नहीं है। How do we do? हम इस सिस्टम को कैसे इतना मजबूत करें कि चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जिसके साथ गलत हो, किसी के साथ रेप हो, किसी के साथ मार-कुटाई हो, उसे इंसाफ मिले।

कई सालों से बात हो रही थी। सलीम भाई ने कहा प्रिवैंशन ऑफ कम्युनल रॅयट्स, बहुत सारे बिल लाए गए, पास किए गए। मगर इसका सिर्फ शोर हुआ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, चर्चा से ज्यादा उस पर अम्ल कीजिए। क्या किया? आपकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि माइनॉरिटीज़ कितने बैकवर्ड हैं। Have we done anything about it? No, क्योंकि दोनों तरफ से कहीं न कहीं एक मस्जिद गिरा रहे होते हैं, वे वोट पॉलिटिक्स करते हैं, दूसरे तमाशा देख रहे होते हैं। वे कहते हैं कि हम बाद में छाती पीटेंगे। हमें उसमें वोट मिलेंगे। India is a nation of secular people. सैकुलर पीपल को भी अनटचेबल बना दिया गया है। अब सैकुलर नाम लेते हुए भी इंसान को तकलीफ होती है। यह हमारा मुल्क चाहे हिन्दू है चाहे मुसलमान है चाहे सिख है चाहे इसाई है, वह मजहब के नाम पर बंटना नहीं चाहता। वह सड़क चाहता है, बिजली चाहता है, पानी चाहता है। They want to live with dignity and honour. मगर हम आपस में जो स्लिंगिंग मैच कर रहे हैं, आपने यह किया, यह किया, मुझे लगता है कि डिस्कशन जिस ओर जानी चाहिए, वह नहीं हो रहा है।

पहले पार्लियामैंट और असैम्बलीज के एक बार ही इलैक्शन हो जाते थे। अनफार्चुनेटली अब असैम्बली के इलैक्शन होते रहते हैं, इसलिए दंगे भी चलते रहते हैं।

यहां कश्मीरी पंडितों की बात हुई। कविता जी ने भी बात की। 700 कश्मीरी पंडित मारे गए। 50 हजार मुसलमान भी तो मारे गए। मेरी फैमिली के लोग भी तो मारे गए।...(व्यवधान) Please do not do it. Do not make it a fight between the two of you. No. हमारी फैमिली के लोग भी मारे गए। When my father was the Home Minister, my uncle was killed; when my father was the Chief Minister, my nephew was killed. यह जरूर हुआ कि जब कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा, आपको उन पर तरस आ गया, आपने उन्हें जगह दे दी। मगर जब मुसलमान वहां से निकले तो उन्हें मुल्क में जगह नहीं मिली। बोला, यह आतंकवादी है, इसे निकालो।...(व्यवधान) आज हमारे कश्मीर का शाल वाला, कारोबार करने वाला पूरे मुल्क में जाता है। अपनी चीजें बेचता है। उसे कोई शिकायत नहीं है कि मेरे मुल्क के लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं, अगर उसे शिकायत है तो सिस्टम से है। पुलिस वाला किसी के घर जाता है, अरे कश्मीरी को यहां रखा है। इसे निकाल दो। हमारा लोगों के साथ कुछ नहीं है। लोग कश्मीर आते हैं, हम कहीं चले जाते हैं तो एक हैं। मगर इस कंट्री का जो सिस्टम है, जो हमारे स्टेट्स का सिस्टम है, उसे पीपल फ्रैंडली बनाइए, खुद ही माइनॉरिटीज़ भी आ जाएंगी, मेजॉरिटी भी आ जाएंगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे बात करने का मौका दिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। मैंने पहले भी राजनाथ सिंह जी का नाम लिया कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि अनफार्चुनेटली जब से यह सरकार बनी है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। मगर आपकी तरफ से आपने लफ्ज भी नहीं खोले। मैं वही कहूंगी, कहते हैं -

न समझोगे तो मिट जाओगे हिन्दुस्तान वालो

आपकी दास्तान भी न रहेगी दास्तान में।

उसे हमें याद रखना चाहिए।

माननीय सभापति : निशीकांत दूबे जी के प्वाइंट ऑफ आर्डर में अगर कुछ ऑब्जैक्शनेबल है तो उसे एक्सपंज कर दिया जाए।

*m11

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सिर्फ चंद सवालात हिन्दुस्तान के वज़ीरे दाखिला के सामने रखना चाह रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि वे जवाब देते समय मेरे सवालात के जवाब देंगे। यहां इसलिए बहस हो रही है कि एक इफैक्टिव मकैनिज़्म को इवॉल्व किया जाए। मैं आपके जरिए वज़ीरे दाखिला से पूछना चाहूंगा कि क्या यह बात सही नहीं है कि जब फिरका वाराना फसादात होते हैं, हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा फिरका वाराना फसादात हैं? क्या यह बात सही नहीं है कि जब फिरका वाराना फसादात होते हैं तो सबसे बड़ा रोल पुलिस का होता है? जब तक पुलिस में तमाम तबकों की नुमाइन्दगी नहीं होगी, चाहे अकलियतें हों, दलित हों, हम उन फसादात को रोक नहीं सकते। क्या वे मेरी बात से मुत्तफिक हैं क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स होमोजुनस है, पार्शियल होती है, पुलिस फोर्स में तमाम तबकों की नुमाइन्दगी के लिए क्या करेंगे?

मैं वज़ीरे दाखिला साहब से दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत ने यह ऐलान किया, इस ऐलान में बात को रखा कि इस साल आप लोग 12 लाख करोड़ रुपये टैक्सेज एक्सैप्ट कर रहे हैं। पिछले साल 10 लाख करोड़ रुपये था और इस साल 12 लाख करोड़ रुपये हैं, यानी दो लाख करोड़ रुपये का इजाफा आपने तखमीया लागत किया है, आपने उम्मीद रखी है। अगर यह खेल चलता रहेगा, हिन्दू-मुसलमान को मारने का खेल चलता रहेगा, फिरका-फसादात चलते रहेंगे, तो क्या होम मिनिस्टर साहब यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि दो लाख करोड़ रुपये इजाफा टैक्सेज आप जो उम्मीद कर रहे हैं, वह क्या आपको मिलेगा? यह मैं आप पर छोड़ता हूं।

मैं होम मिनिस्टर साहब से तीसरी बात पूछना चाहूंगा कि मैं बड़ा मुतमईन हूं कि बीजेपी के मोअज़्ज़िज रूकन ने जो बात कही है, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने जो भी कहना था, वह हमेशा कहा। हम दस साल से सुन रहे हैं, मगर क्या वे उस गुफ्तगू से मुतफ़िक हैं? पार्टी अलग है, हुकूमत अलग है। अब आप हुकूमत में हैं। आपने दस्तूर पर हल्फ उठाया है। आपकी नजर में सब बराबर हैं, तो क्या

आप उनकी बात से मुतफ़्फ़िक हैं।

मेरा चौथा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जितने फसादात हुए, उनकी इंक्वायरी कमिशन की रिपोर्ट क्या कहती है? क्यों नहीं उसे लाया जाता? वज़ीरे दाखिला साहब, क्या यह मेरी बात सही नहीं है कि भागलपुर के इंक्वायरी कमिशन की रिपोर्ट में जिस पुलिस वाले का जिक्र किया गया, क्या आप या हुकूमत ने उसे प्रैज़ेंट, मेडल नहीं दिया? उस एसपी को प्रैज़ेंट, मेडल दिया गया।

मैं आपके माध्यम से वज़ीरे दाखिला साहब से पांचवा सवाल यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह बात गलत है कि एक इशरत जहां की एनकाउंटर की फाइल आपके पास आयी है, जो आईबी का आफिसर है, उस पर आप कह रहे हैं कि केस डायरी लाकर दो? सर, क्या यह बात गलत नहीं है कि एक लोक्स स्टैंडा ही नहीं है हुकूमत के पास केस डायरी पूछने का। इस ताल्लुक से आप फैसला कब करेंगे? मैं आपके जरिये से वज़ीरे दाखिला से पूछना चाहूंगा कि आपके कोई गुरू हो सकते हैं। मुझे आप यह बतला दीजिए, एक बार फैसला कर दीजिए कि इस मुल्क में हिन्दुस्तानी उसी को कहेंगे, जो हिन्दू धर्म को मानता है। अगर यह बात है तो आप इस मुल्क के आईन को बदल दीजिए। आपके गुरू कहते हैं कि इस मुल्क में हिन्दू हैं।

मैं छठा सवाल हुकूमत से, वज़ीरे दाखिला से करना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि आपकी ही सिस्टर आर्गनाइजेशन के लोग बयान देते हैं कि तुम गुजरात भूल गये, तो मुजफ्फरनगर को याद करो। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं। वज़ीरे दाखिला साहब आप मुझे इस बारे में बताइये.

मेरा सातवां सवाल यह है कि आपके ही तनजीम के लोग कहते हैं कि हम 25 अगस्त के दिन तमाम ईसाइयों और मुसलमानों को हिन्दू धर्म में लेकर आयेंगे। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं, यह आप मुझे बताइये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज आप हुकूमत कर रहे हैं। आप हुक्मरान हैं।

मेरा आठवां सवाल हुकूमत से यह है कि क्या आपकी आईबी सिर्फ मुस्लिम तनजीमों पर नजर रखेगी या फिर आप अक्सरीती तबके के तशद्दुद पसंद फिरकापरस्त ताकतों को जो बम बलास्ट भी किये हैं, क्या उन पर भी आप नजर रखेंगे या नहीं रखेंगे?

मेरा अगला सवाल हुकूमत से यह है कि क्या आप इस मुल्क के पुरआशुब माहौल में जहां पर कत्लो-गारतगी की जा रही है, क्या आपकी हुकूमत कौमी यकजहती काउंसिल की मीटिंग बुलायेगी, ताकि एक मुसब्त पैगाम हुकूमत को दिया जा सके। मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, हुकूमत से कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि आप ऐक्तदार पर आ चुके हैं, मगर क्या कत्लो-गारतगी पर, मेरी लाशों के ऊपर आप अपने ऐक्तदार के महल को बनायेंगे? आप ऐक्तदार के महल को तो बना लेंगे, मगर याद रखिए कि मुल्क की बुनियादें कमजोर हो जायेंगी। इसलिए मैं हुकूमत से ...(व्यवधान)

महोदय, मैं तकमील कर रहा हूं। ...(व्यवधान) मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि सूरत का बम बलास्ट, अक्षरधाम का बम बलास्ट, होम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया है, क्या आप उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या आप उनके खिलाफ एक्शन लेकर पूरे मुल्क का ऐतमदाद हासिल करेंगे? यह बुनियादी सवालात हैं।

आखिरी और अहम बात यह है कि क्या आप इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को इसके इथोस को, इसकी रूह को बरकरार रखेंगे या इसे बर्बाद कर देंगे। ...(व्यवधान) मैं आपसे इन सवालात का जवाब चाहता हूं। ये मेरे सवालात नहीं हैं, ये किसी मुसलमान के सवाल नहीं हैं। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

*m12

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): सभापति महोदय, कम्युनल वायलेंस पर एक एफेक्टिव मैकेनिज्म लाना जरूरी है, ...(व्यवधान) इस उद्देश्य से यह चर्चा इस सदन में हो रही है। मैं शिव सेना पार्टी की ओर से मुम्बई शहर का सांसद हूँ।...(व्यवधान) मुम्बई शहर एक अंतर्राष्ट्रीय नगरी है। यहाँ दो करोड़ की आबादी है। दो करोड़ की आबादी वाले इस शहर में 10-12 वर्ष पहले बहुत दंगे-फ़साद होते थे। अभी पिछले 10 वर्षों से यह बहुत कम हो गया है, इसका मतलब है कि वहाँ के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्त्ताओं तथा सभी क़ौम के नेताओं के मन में अच्छी भावना आ गयी है, उसके मन में बदलाव आ गया है। मुम्बई महानगरपालिका वहाँ की दो करोड़ जनता की सेवा कर रही है। इसका तीस हजार करोड़ रुपए का बजट है। वहाँ पिछले 15 वर्षों से शिव सेना और बीजेपी की सत्ता है। जब हम लोग सत्ता चलाते हैं, तो कहीं भी भेदभाव नहीं होता है। हिन्दू, मुस्लिम, और और बाकी सभी दलितों को समान दर्जा देते हैं। इतना अच्छा रिश्ता उस शहर में हम लोगों ने बनाये रखा है। इतना होने के बावजूद, मैं अपने मन की एक भावना इस सदन में उठाना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, इस सदन में चपाती खिलाने के बारे में एक अंग्रेज़ी अखबार में एक बहका हुआ समाचार आया था, जो असली नहीं था। हमें निशाना बनाया गया। असल में यह सब झूठ था। यहाँ के सदस्यों ने धार्मिक भावना भड़काने का काम किया, जिसका मैं यहाँ निषेध करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुम्बई शहर में मुस्लिम भाइयों के प्रति इतनी अच्छी भावना है, क्योंकि जिस दिन चपाती खिलाने का मामला इस सदन में आया, उसी के दूसरे दिन महाराष्ट्र के सभी ख़ासदारों को , जहाँ इफ़्तार पार्टी चलती है, बहुत सम्मानपूर्वक उनको उधर बुलाया गया था और इस घटना का कोई असर हमारे शहर में नहीं हुआ था।

सभापति महोदय, मुम्बई शहर में नवयुवक चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, उनके मन में धार्मिक भावना कम है। उनके मन में विकास की बातें हैं। हम लोग उनका विकास कैसे करें, इस बात की ओर वहाँ के युवा वर्ग सोचते हैं। इन युवाओं के मन में कभी धार्मिक भावना नहीं भड़कायी जाती है। इसलिए वहाँ हिन्दू और मुस्लिमों में अमन होता है। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कम्युनल हारमनी कायम रखने के लिए शिव सेना पूरा योगदान करेगी। आज इस सदन में इस बारे में जो भी मैकेनिज्म लाया जाएगा, जो भी भारी से भारी मैकेनिज्म पर निर्णय लिया जाएगा, उसके तहत हम लोग समाज को बहकाने वाले अनैतिक लोगों पर बंधन लगा सकेंगे। मैं शिव सेना पार्टी और श्री उद्धव जी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि यह जो धार्मिक भावना भड़काने का काम चल रहा है, उस पर आप बंधन लगाएँ, इसमें हम आपको सहयोग देंगे।

*m13

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Respected Chairman, Sir, I thank you for the opportunity.

The discussion is about communal violence but I would like to speak more on communal harmony. I come from the land of communal harmony. I come from Telangana. Here we call it the Ganga-Yamuna *tahjeeb*. We never had communal violence until 1956 when we were a separate State. It is only after that that we had some instances and we believe, they were politically motivated. So, all the communal violence we experienced is actually political violence and we never had communal violence.

Our Deputy Chief Minister is a Muslim. We intend to give reservation to Muslims. We have Dargaahs where the entire Dargaah Board is consisting of Hindus. We have temples in my Constituency where the pearl necklace to Goddess Durga is given by the Muslim community residing

there. Before that also our Rulers, before Independence, the Nizams were very secular. There are many such instances. We are inherently secular. But I am a Hindu and I am proud that I am a Hindu. I believe wherever Hindu philosophy is prevalent, there is no scope for communal violence. Let me explain.

Hinduism is an amalgamation of multiple philosophies. There are some Hindus who say that he prays to Lord Rama; some others say they pray to Lord Vishnu. But more importantly, we have conflicting beliefs and philosophies within Hinduism. We have on the one side the *Dwaita* who believes that man is here and God is somewhere there and the two are different entities and the same Hinduism has the exactly opposite philosophy who believes that there is no other God than the God within the man. We have people who are agnostic and their Hindus. In South India it is prevalent even today in my State and also in parts of Tamil Nadu where we have people who are Hindus but who do not believe in God. They are called the *Charvaks*. They go from village to village and preach no God, no God and no God. Hinduism is an amalgamation and is such a wide and open religion that there is absolutely no scope for communal violence.

A *Dwaita* Hindu is closer to a Muslim or to a Christian than to an *Adwaita* Hindu. The problem is that in such a wide definition and such an all encompassing philosophy or a group of philosophies called Hinduism, where is the scope – unless it starts narrowing into fundamentalism.

In a charged atmosphere, if I am in a minority, the very presence of a majority makes me insecure. In order to keep communal violence away, it is not the equal responsibility of every community, the majority community has the greater responsibility and now that BJP is in power, I think, they have the capability of ensuring the responsibility provided they do not start narrowing the definition of Hinduism and something that is newly invented called the Hindutva philosophy.

*m14

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): बहुत से माननीय सदस्यों ने अच्छा बोला है, मैं सबके साथ मुत्तफिक हूं। सिर्फ मुझे दुख है कि हमारे स्वामी जी, मैं उनसे शुरू नहीं करना चाहता था, मेरे भाई हैं, मैं उनको हमेशा सलाम करता हूं, हाथ मिलाता हूं। यह कम्यूनल वायलेंस पर चर्चा हो रही है।...(व्यवधान) हमारी पार्टी के लिए नौ मिनट समय एलॉटेड है।...(व्यवधान)

मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि इस चर्चा को लाने का जो मकसद है, उसको हमारे बहुत से साथियों ने शायद गहराई से नहीं लिया है। फ़सादात इस मुल्क में हो रहे हैं, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है।

"मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना,

हिन्दी हैं हम वतन हैं, हिन्दोस्तां हमारा।

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा।"

भाई आदित्यनाथ जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप रिएक्शन न करें, लोगों को बोलने दें। आपकी बड़ी इज्जत है। जहां तक फ़सादात की बात है, हमारा यह मुल्क गंगा-जमुनी तहजीब का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क है। हजारों जातियों और हजारों जुबान के लोग यहां रहते हैं। जब हम बाहर जाते हैं, तो हमारी इज्जत होती है। एक शान है, हिन्दुस्तान का एक वक़ार है। आज पूरी दुनिया, अमरीका जैसी ताकत भी आज अगर अंदर ही अंदर से डरती है, तो हिन्दुस्तान की ताकत से डरती है। इसकी सबसे बड़ी बदनसीबी, मैं समझता हूं, यह है कि इस घर को आग लग गयी है घर के चिराग से।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : बदरुद्दीन अजमल साहब की स्पीच के बाद ज़ीरो आवर होगा।

श्री बदरुद्दीन अजमल : मेरी पार्टी का नौ मिनट समय है, अगर उसमें एक मिनट बढ़ा देंगे, तो आपकी मेहरबानी होगी।

महोदय, यह मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है, उसी वक्त ताकतवर हो सकता है, जब सब एक मुट्ठी की तरह हों। हिन्दू-मुस्लिम का मसला कम से कम इस सदन में नहीं आना चाहिए। यह हिन्दू-मुसलमान का मसला नहीं है, यह फसादात तो रोकने का मसला है। जब किसी का घर उजड़ता है, तो वह किसी हिन्दू का भी घर उजड़ता है, किसी मुसलमान का भी घर उजड़ता है, सिख का भी घर उजड़ता है और ईसाई का भी घर उजड़ता है। एक दलित भाई का भी घर उजड़ता है और एक मुसलमान का भी घर उजड़ता है। मैं वह हिन्दू नहीं हो सकता है, मैं वह मुसलमान नहीं हो सकता, अपने आपसे कहता हूं कि अगर मेरे दिल में किसी दूसरे की माँ के प्रति इज्जत नहीं है, तो मैं अपनी माँ की इज्जत कभी नहीं कर सकता। इसी तरह अगर दूसरे की बहन के प्रति मेरे दिल में इज्जत नहीं है, तो मैं अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता। दूसरे के बच्चों के उजड़ने का फिक्र अगर मेरे दिल में नहीं है, तो मैं अपने बच्चों के उजड़ने की फिक्र नहीं कर सकता।

हमारे सामने 15 अगस्त है। हमारे पुरखों ने कहा था – "हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चो सम्भाल कर।" यह हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा यह कहना है कि स्वामी जी ने जैसा कहा कि इस तरफ के लोग फसादात मुसल्सल हो रहे हैं। कोई कहता है कि मुल्क आज़ाद होने के बाद इस देश में 32,000 फसादात हुए। कोई कहता है कि 52,000 हुए और कहता है कि 27,000 हो गए। इस देश में 50 साल से ज्यादा समय तक इस तरफ के लोगों ने देश में हुकूमत की है। बड़े-बड़े कमीशन बनाए गए। आज उन कमीशंस की रिपोर्ट कहां है, मैं स्वामी जी यह बात आपकी तरफ से कह रहा हूं। लेकिन स्वामी जी मैं एक बात आपसे भी कहूंगा कि इस मामले में धर्म को बीच में लाकर, इस मुल्क के नागरिकों को तबाह और बर्बाद न किया जाए, उन्हें और न उजाड़ा जाए। उन्हें मेन स्ट्रीम में लाएं। चाहे कोई बच्चा किसी मुस्लिम के घर मुसलमान के नाम से पैदा हो रहा है, चाहे वह किसी दलित के घर पैदा हो रहा है, हकीकत यह है कि एक इन्सान पैदा हो रहा है। जिस किसी के घर में भी कोई बच्चा पैदा हो रहा है, वह हमारा भाई है, मुल्क का अंग है, उसे तालीम से संवारिए। उसे शिक्षित किया जाए और उसकी तालीम के लिए बड़े-बड़े बजट लाइए और उसे इस मुल्क में जीने का हक दीजिए।

मैं ओवैसी साहब की एक तजवीज के बारे में कहना चाहूंगा। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सारे विभागों में सारे मजहब के लोगों की नुमाइंदगी दीजिए, मैं समझता हूं इंशाअल्लाह, जब सारे लोग एक साथ होंगे, तो किसी के साथा नाइन्साफी नहीं होगी। सर्वधर्म का एहतराम होगा, यही हमारी हिन्दुस्तान की तहजीब है। जब तक हम लोग इसकी रखवाली करेंगे, इस मुल्क में लोग खुशी से रहेंगे। आप बड़े भाई हैं, अब आप पावर में आए हैं। आप दिल खोलकर छोटे भाइयों पर रहम कीजिए, यही हमारा धर्म कहता है।

माननीय सभापति : यह चर्चा जारी रहेगी। अब हम शून्य काल लेते हैं।

*t32

Title: Situation arising out of non-supply of coal to Thermal Power plants in Uttar Pradesh.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश की विद्युत समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन में हमें कई बार इस बारे में सुनने का मौका मिला है और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी प्रदेश की बिजली समस्या को उठाया है। मैं सूचित करना चाहता हूं कि एक बार नहीं, कई बार हमारे मुख्य मंत्री जी ने मांग की है और भारत सरकार से कहा है, यहां पर योगी जी बैठे हुए हैं, कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां घग्घर का पानी सबसे ज्यादा है, वहां परमाणु विद्युत योजना बनाई जाए। हम चाहते हैं कि आप इसमें सहयोग करें। उत्तर प्रदेश में तात्कालिक जो गम्भीर सवाल है, वह बिजली के बारे में यह है कि प्रदेश में 1140 मेगावाट का विद्युत प्लांट जो है, वह कोल पर आधारित है। उसके अंदर हमें प्रतिदिन पांच रेकों की आवश्यकता है, जबकि बड़ी मुश्किल से तीन रेक ही प्रतिदिन मिल रहे हैं। इस कारण उत्तर प्रदेश में विद्युत प्लांट और उससे जो बिजली जेनरेट होती है, उसमें प्रतिदिन 460 मेगावाट की कमी हो रही है। उसे लेकर मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार को पत्र लिखा है। हम मांग करेंगे कि कोयले की जो कमी है उत्तर प्रदेश के कोटे में, उसे पूरा किया जाए। बिजली की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, अगर हमें पूरा कोयला मिले तो उत्तर प्रदेश सरकार उन सवालों का समाधान कर सकती है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का केन्द्र से आबंटित अंश है 6002 मेगावाट का, वह घटकर 4200 मेगावाट कर दिया गया था, अब उसे 4500 मेगावाट तक किया गया है। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश का जो केन्द्रांश है बिजली के मामले में, वह पूरा दें, जिससे वहां बिजली की समस्या दूर हो सके। उत्तर प्रदेश से भाजपा के बहुत से सांसद जीतकर आए हैं और केन्द्र की सरकार भी उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों के कारण बनी है। मेरी उनसे भी अपील है कि वे भारत सरकार पर इस बारे में दबाव डालें। अगर वहां के बिजली प्लांट्स में कोयले की कमी होती है, तो बिजली में भी कटौती होगी। उत्तर प्रदेश की जनता यह सब देख रही है और जनता आपको आगे सबक सीखाने का काम करेगी।

*t33

Title: Need to confer 'Bharat ratna' Award to Late Karpuri Thakur.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति जी, माननीय गृहमंत्री जी यहां बैठे हैं और भारत रत्न देने से संबंधित जो मामला है, उसमें हम कोई राजनीति नहीं करते हैं। देश के जो महापुरूष होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनका समाज के लिए योगदान होता है, उनके लिए भारत रत्न की बात की जाती है। आप हमारे गार्जियन हैं, आप जानते हैं कि हमारा संविधान सोशलिस्टिक पैटर्न का हिमायती है और सोशलिस्टिक पैटर्न किन लोगों के द्वारा लाया गया। बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी का देश सम्मान करता है और उनका सन् 1942 से लेकर आज तक क्या योगदान रहा है, यह सभी को मालूम है। उसके बाद आदरणीय लोहिया जी, आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनके कारण आम आदमी और गरीबों को अपने आर्थिक और सामाजिक हक के लिए लड़ने की ताकत मिली। गरीबों को शोषण के खिलाफ उठ खड़े होने का जो जज्बा मिला, उसमें जयप्रकाश नारायण, डॉ. लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जी का कितना बड़ा योगदान है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों के हित में, बाबू जगजीवन राम जी के बाद, आदरणीय काशीराम जी ने भी संघर्ष किया। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी और लोहिया जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं जिनके मुलायम सिंह जी से लेकर लालू यादव जी, नीतीश कुमार, चौधरी चरण सिंह, देवी लाल जी और हम सभी लोग उनका आदर करते हैं। आप सब जानते हैं कि सुभाष चन्द्र बोस भारत रत्न से बहुत ऊपर हैं, उन्हें सारी दुनिया जानती है। गृह मंत्री जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि इन चारों व्यक्तियों को, जे.पी.,. लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और काशी राम जी को आप भारत रत्न देने के बारे में आप गंभीरता से विचार करें और वह आपकी ही सरकार कर सकती है, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद।

माननीय सभापति :

*m02 श्री धर्मेन्द्र यादव को श्री राजेश रंजन जी द्वारा उठाये गये मुद्दे के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

*t34

Title: Regarding alleged irregularities in construction of road under Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana in Sheohar Parliamentary constituency of Bihar.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़कों को व्यापक रूप से निर्मित करने के लिए माननीय वाजपेयी जी ने एक अच्छी शुरूआत की थी। लक्ष्य निर्धारित किये गये। कुछ लक्ष्यों की आंशिक रूप से प्राप्ति भी हुई, परन्तु यूपीए के गत वर्षों के शासनकाल में और विशेष कर वर्तमान बिहार सरकार के दौरान बिहार में पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव खस्ताहाल है। राज्य की ग्रामीण सड़कें जर्जर हैं। लालफीताशाही एवं अफसरशाही का बोलबाला है और केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाएं खस्ताहाल हैं।

मैंने स्वयं क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह पाया कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में सड़क बन चुकीं या बन रही पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के निर्माण में भारी अनियमितता बढ़ती गई है। भ्रष्टाचार के चलते हमारी ग्रामीण जनता आवागमन की सुविधा से वंचित है। वैसे तो हम ग्रामीण सड़कों को ग्रामीण भारत की जीवन रेखा कहते हैं, परन्तु, अगर हम ये सड़कें निर्मित नहीं कर पाते हैं या इनका रख-रखाव नहीं कर पाते हैं तो यह ग्रामीण जनता को सजा देने के बराबर है। बिजली, पानी के फ्रंट पर बिहार सरकार फेल हो चुकी है। अब वह केन्द्र द्वारा प्रायोजित पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों को भी गंभीरता से नहीं ले रही है। मैं स्वयं बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य सचिव, डी.एम. एवं अभियंताओं से मिल चुकी हूं। परन्तु, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक सांसद होने के बावजूद भी मेरे क्षेत्र में 45 सड़कें जो वर्षों पहले स्वीकृत हुई थीं अभी तक नहीं बन पायी हैं। सड़कों के अभाव में ग्रामीणों में आक्रोश है और वे यदा-कदा घेराव भी करते हैं। जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठेकेदारों, अभियंताओं एवं अधिकारियों का गठजोड़ पी.एम.जी.एस.वाई. को सफल नहीं होने देने का सबसे बड़ा कारण है।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के अंतर्गत पूर्वी चम्पारण जिला के मधुबन प्रखंड में कृष्ण नगरा गांव एनएच 104 से दुबहा दोस्तिया रोड के निर्माण की ओर दिलाना चाहती हूं जिसका निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हो रहा है। इस पथ की लम्बाई 2.097 किलोमीटर है और इसके निर्माण पर एक करोड़ 42 लाख रुपए का खर्च होना है। इस पथ के निर्माण का कार्य वर्ष 2012-13 में हर्षवर्धन कंस्ट्रक्शन को आवंटित किया गया था जिसे टेंडर एग्रीमेंट के अनुसार 18 अप्रैल 2014 तक पूरा कर लेना था परन्तु तीन महीने बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। कृष्ण नगरा गांव एनएच 104 दुबहा दोस्तिया रोड के आस-पास रहने वालों का डेलीगेशन मुझसे मिला था एवं निर्माण कार्य पर असंतोष व्यक्त किया था। लोगों का कहना था कि साइट पर जो मैटीरियल गिरा है वह भी घटिया है। उस कम्पनी के पास साइट पर कार्य करने के लिए अपनी कोई मशीन भी नहीं है। यह कम्पनी छेटे-छोटे ठेकेदारों को काम बांट कर अपना काम

कराता है जो काफी घटिया स्तर का होता है। जो रोड निर्मित हो चुकी है, वह भी आधी-अधूरी है। अतः सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर्षवर्धन कंस्ट्रक्शन को तत्काल प्रभाव से हटा कर उसकी जांच कराते हुए उसे काली सूची में डाला जाए तथा कृष्णा नगर गांव एनएच 104 से दुबहा दोस्तिया रोड के निर्माण का कार्य किसी अन्य संवेदक को दिया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को आवागमन की सुविधा मिल सके एवं सरकार की छवि भी बेहतर दिख सके।

माननीय गडकरी जी ने पिछले दिनों संसद में चर्चा के दौरान कहा कि जीपीएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वे योजनाओं की निगरानी करेंगे। मेरा उनसे आग्रह है कि वे आईटी एवं (जीपीएस) स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वे पीएमजीएसवाई योजनाओं की निगरानी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि पीएमजीएसवाई योजनाएं समय तथा सही गुणवत्ता के साथ पूरी हो सकें।

माननीय सभापति :

*m02 डॉ. किरिट पी. सोलंकी और

*m03 श्री देवजी एम. पटेल अपने आपको श्रीमती रमादेवी द्वारा उठाए मुद्दे से संबद्ध करते हैं।

*t35

Title: Need to provide beeter railway services in HoshiarPur Parliamentary Constituency.

श्री विजय सांपला (होशियारपुर): सभापति जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात माननीय रेल मंत्री जी पहुंचाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र होशियारपुर में सप्ताह में एक ही दिन ट्रेन जाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह ट्रेन सातों दिन चलनी चाहिए क्योंकि उसके साथ हिमाचल का बार्डर लगता है। यहां लोग माता चिंतपूर्नी, चमुंडा देवी की यात्रा पर जाते हैं, इससे उन्हें सुविधा मिलेगी। श्रीशक्ति ट्रेन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, जो दिल्ली से कटरा तक जाती है, उसका ठहराव लुधियाना के बाद जालंधर कैंट में आता है जबकि बीच में फग्वाड़ा स्टेशन मेरे क्षेत्र में पड़ता है। इसके आस-पास दो सौ, ढाई सौ गांव को प्रभावित करता है इसलिए उनकी जरूरत के मुताबिक यहां ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। महोदय, हर सांसद चाहता है कि उसका क्षेत्र उन्नति करे। मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि पहले जो ट्रेनें मेरे क्षेत्र में रुकती थीं, आज समय बीतने के साथ उनकी संख्या बढ़नी चाहिए थी मगर जैसे मालवा, एक्सप्रेस मुकेरिया में ट्रेन का ठहराव था जिसे पूर्ववत् रहना दिया जाये , अब सितम्बर और अक्टूबर से मालवा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव बंद किया जा रहा है। दसुआ और टांडा में जो ट्रेनें चलती थीं, उनके ठहराव रोक दिए हैं। जबकि लोगों की डिमांड ज्यादा है। उक्त स्टेशन पर 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बीच में न तो कोई पैसेंजर ट्रेन चलती है और न ही कोई मेल गाड़ी रुकती है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि टांडा, दसुआ, मुकेरिया के लिए उचित ट्रेनों की व्यवस्था करें और जो ट्रेनें पहले चलती थीं, उनका ठहराव पहले की तरह सुनिश्चित किया जाए।

*t36

Title: Regarding irregularities in construction of a bridge at Mahesra over National Highway No. 29E connecting Nepal and Gorakpur, Uttar Pradesh.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र गोरखपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 29-ई जो गोरखपुर को नेपाल से जोड़ता है, उसमें महेश्वरा नामक स्थान वर्ष 2009 में मेरे आग्रह पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक सेतु निर्माण करने के लिए धन स्वीकृत किया था। लगभग सवा नौ करोड़ रुपये की लागत से इस सेतु का निर्माण होना था। यह आश्चर्य की बात है कि सितम्बर 2009 में सवा नौ करोड़ रुपये उसके लिए आबंटित किये गये थे। जनवरी 2011 में उसका डीपीआर बनकर तैयार हुआ और लगभग 6 करोड़ 40 लाख रुपये की कुल लागत सेतु की थी लेकिन अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग का जो राजमार्ग खंड है, उसके द्वारा एक माफिया प्रवृत्ति के ठेकेदार को यह कार्य दे दिया गया और पांच वर्ष होने जा रहे हैं। अभी तक उस सेतु का एक पिलर भी नहीं बन पाया है।

यह सरकारी धन पर सीधे-सीधे डकैती का एक मामला है और सरकारी धन में लूट का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस सेतु के लिए जो धनराशि आबंटित की गई है, उसकी किसी केन्द्रीय एजेंसी से जांच कराकर कार्यदायी संस्था और ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होकर उन पर पूरी तरह कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनसे पूरी धनराशि ब्याज सहित वसूल करके उस सेतु का निर्माण समयबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए क्योंकि यह नेपाल को जोड़ने वाला सामरिक दृष्टि से भी और गोरखपुर और उत्तरी क्षेत्रों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण राजमार्ग है। कृपया सरकार इसके लिए प्रभावी कार्यवाही करे, ऐसा आपके माध्यम से अनुरोध है।

*t37

Title: Need to provide modern irrigation facilities to farmers of Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से झारखंड प्रदेश और खासकर गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं, अभी 1400 मिलीमीटर बारिश हुई है जिसका 12 प्रतिशत अगर इस्तेमाल होता है तो राज्य में शेष वर्षा का संचय करने का उपाय नहीं है जिसके कारण किसानों की स्थिति काफी दयनीय है। आज झारखंड प्रदेश में 50 प्रतिशत ही बारिश हुई है और भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि खासकर गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पीरटाण, डुमरी, नावाडाट टुंडी, तोपचांची, कसमार, पेटरवार, गोमिया इत्यादि ये कृषिबहुल क्षेत्र हैं। यहां पर डीप बोरिंग करवाई जाए जिससे सिंचाई की सुविधा बहाल करवाई जा सके। झारखंड सरकार द्वारा किसानों के लिए आज की तारीख में कुछ नहीं किया जा रहा है और हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलम्ब वहां पर एक एक पंचायत में कम से कम पांच पांच डीप बोरिंग की जाए और जो हमारे प्रधान मंत्री जी की योजना है कि भारत सरकार के द्वारा प्रधान मंत्री सिंचाई योजना लागू होगी, उसमें इसको जोड़ने की कृपा की जाए। आपने जो समय दिया।

*t38

Title: Need to confer awards in the names of martyers who laid down their lives for the country.

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय सभापति जी, मैं एक ऐसे मुद्दे भारत रत्न पर बोलना चाहता हूं जो आजकल सुर्खियों में है। हमारे देश के जो बहुत बड़े बड़े अवाड्र्स हैं, उनका राजनीतिकरण हो रहा है। बहुत राजनीतिज्ञ लोग या तो उसके लिए रिकमेंड करते हैं या उनके नाम भी आ रहे हैं। असल में इससे ये अवाड्र्स विवादों में घिर जाते हैं। भारत रत्न अवार्ड की जो बात चल रही है, उसकी गरिमा भी इससे कम हो जाती है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत से ऐसे रत्न हैं जो असल में भारत के असली रत्न हैं जिन्होंने हमें भारत लेकर दिया। जिनमें शहीद भगत सिंह जी हैं। शहीद करतार सिंह सरापा और शहीद ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिसमिल जैसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। भगत पूर्ण सिंह हैं जिन्होंने मानवता के लिए पिंगवाड़ा नाम की संस्था बनाकर बहुत सेवा की। अगर इनको अवार्ड नहीं भी मिलेगा तो इनकी शहीदी कम नहीं होने वाली लेकिन अवार्ड ऐसे व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिनको अवार्ड देकर अवार्ड की गरिमा और ऊंची हो। भगत सिंह जैसे जो शहीद हमारे दिलों में बसते हैं। इनको अगर अवार्ड मिलते हैं तो इससे भारत रत्न की गरिमा ऊंची होगी। भारत रत्न के लिए पात्र चुने जाने का क्या क्राईटीरिया है? कौन चैक करता है कि किसको देना है? मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हमारी स्टैंडिंग कमेटीज बनती हैं, उसके लिए भी एक कमेटी हो जो ब्यूरोक्रेटिक भी न हो और सरकारी भी न हो। अलग अलग वर्गों से लोग लिये जाएं ताकि आजकल सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में इतनी तरक्की हो गयी है कि आप लोगों से पूछ भी सकते हैं कि कौन अवार्ड का हकदार है? मैं चाहता हूं कि भारत रत्न जैसे अवार्ड देश के शहीदों के नाम होने चाहिए और इसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए।

*t39

Title: Regarding rain harvesting in lakes in Kancheepuram district in Tamil Nadu.

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to speak in Zero Hour today. I am once again thankful to my leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, *Puratchi Thalaivi Amma* because of whom I am in this august House today.

I wish to raise an important issue regarding my parliamentary constituency Kancheepuram. Kancheepuram is known as the 'Temple City'. The 192-feet high Ekambaranadhar Temple and the 100-pillar Mandapam in Varadaraja Perumal Temple are very famous. Kancheepuram is famous for silk sarees and they are considered to be one of the best varieties of silk sarees in the country.

Kancheepuram is the first district in the country with the largest number of lakes. It has more than 200 big lakes and ponds such as Maduranthakam Lake, Sirudhavoor Lake, Kolava Lake, Thenneri Lake, Uthiramerur Lake, Thandalam Lake etc., and the main source of water for cultivation is by lift irrigation of water from bore-wells. The main and the only source of maintaining underground water level is through recharging from rain water. The Palar River is the main source for irrigation and supplies drinking water to the entire Kancheepuram District and, to an extent, Chennai.

Our leader, *Puratchi Thalaivi Amma* is a pioneer in the entire country in harvesting rain water for agriculture and public use. *Puratchi Thalaivi Amma* is the first Chief Minister in the country who enacted a law that every building that is constructed in Tamil Nadu should have rain water harvesting and recharging provision in the building.

Since a large number of lakes is available in Kancheepuram District, it is a natural infrastructure that is available to store rain water and thereby provide natural sub-soil recharging in the adjacent area of these lakes. Therefore, my humble submission to the Union Government and the hon. Minister of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation is to provide adequate funds for my Kancheepuram constituency for deepening and desilting of lakes in Kancheepuram.

*t40

Title: Regarding conversion of Lahoal – Khunsa State Highway to National Highway.

श्री रामेश्वर तेली (डिबूगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं डिबूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। इस क्षेत्र में करीब 63 किलोमीटर नये राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा है। यह राजमार्ग तिनसुकिया जिले के पानीतुला से शुरु होकर असम के बॉर्डर और अरुणाचल के सुकानगुड़ी से होते हुए खुनसा जाएगा। अगर इस डिबूगढ़ के लाहुवाल से 23 किलोमीटर जोड़ दिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बहुत सुविधा होगी। अरुणाचल प्रदेश के लोग डिबूगढ़ में सामान खरीदने आते हैं। लोग यहां रेल से और डिबूगढ़ एयरपोर्ट से देश के विभिन्न राज्यों में जाते हैं। अगर 23 किलोमीटर सड़क को लाहुवाल से टिंगराईचारली तक जोड़ दिया जाए तो लोगों को बहुत सुविधा होगी। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 315ए में 23 किलोमीटर रास्ते को जोड़ा जाए।

*t41

Title: Need to sanction the proposal of Gujarat Government for development of Sabarmati Gandhi Ashram in Ahmedabad.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : माननीय सभापति जी, मैं अहमदाबाद पश्चिम संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं। जहां तक अहमदाबाद का सवाल है, अहमदाबाद की पवित्र नदी साबरमति के तट पर राष्ट्रीय धरोहर और सबसे बड़ी विरासत महात्मा गांधी का साबरमति आश्रम है। साबरमति आश्रम के निर्माण के लिए गुजरात सरकार ने 2010 में डीपीआर प्रस्तुत किया था। साबरमति आश्रम देश की विरासत है। यहां महात्मा गांधी जी ने रहते हुए समग्र देश की आजादी की लड़ाई की संचालन किया था। और देश को आजादी दिलाई थी। यह बहुत ऐतिहासिक जगह है। गुजरात सरकार ने 2010 में एक डीपीआर इस आश्रम के विकास, ब्यूटिफिकेशन, गार्डनिंग और लैंड स्केपिंग के लिए भेजी थी। इस आश्रम के ठीक बगल में दांडी ब्रिज है, जहां से महात्मां गांधी जी ने दांडी कूच किया था, उसके रिनोवेशन के लिए इसमें प्रावधान किये गये हैं। आश्रम के ठीक पश्चिमी ओर पर कस्तूरबा झील का निर्माण करना है और एक फ्लाई ओवर बनाना है। इन सभी के लिए 367.07 करोड़ रुपये का डीपीआर गुजरात सरकार ने 2010 में प्रस्तुत किया है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सांस्कृतिक मंत्रालय इस डीपीआर को शीघ्र ही मंजूर करे, ताकि हम महात्मा गांधी जी को एक भव्य श्रद्धांजलि दे सकें और महात्मा गांधी जी की जो एक बड़ी विरासत है, हमारे देश का एक गौरव है, उसके लिए हम कुछ कर सकें।

*t42

Title: Need to accord clearance for the construction of Dr. Bhimrao Ambedkar Monument on Indu Mill land in Mumbai.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। संविधान निर्माता भारत रत्न डा.भीमराव अम्बेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक मुम्बई में बनाने की मांग अनेक वर्गों की ओर से पिछले कई वर्षों से होती रही है तथा भूतपूर्व केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने डा.बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक स्थापित करने हेतु मुम्बई के दादर में इन्दु मिल में भूमि आबंटित करने की घोषणा लोक सभा में 5 दिसम्बर, 2012 को की थी। परंतु लगभग दो वर्ष के बाद भी इन्दु मिल की भूमि पर डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक बनाने हेतु इमारत का निर्माण अभी तक आरम्भ नहीं हो सका। मेरी जानकारी के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अभी तक इस परियोजना को क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से यह इश्यु पैंडिंग है।

महोदय, भारतीय संविधान लागू होने के 64 सालों के बाद भी संविधान निर्माता डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक अभी तक मुम्बई में स्थापित नहीं हुआ है। यह कैसी विडम्बना है कि जिस महान आत्मा का दुनिया में सम्मान होता है, उन्हीं के देश में उनके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को जानकारी देने हेतु कोई माध्यम नहीं है। आज इस सभागृह में सभी सांसद जब स्पीच देते हैं तो वे अपनी-अपनी पार्टी के जो प्रमुख हैं, उनका गौरवपूर्ण उल्लेख करते हैं, लेकिन डा.बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आज इस सभागृह में हमें यह मौका मिला है, उनके द्वारा संविधान लिखे जाने के कारण आज हमें यह सम्मान मिल रहा है, लेकिन आज यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 64 सालों के बीतने के बाद भी हम उनका एक अंतर्राष्ट्रीय स्मारक नहीं बना सके।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मुम्बई में इन्दु मिल की भूमि पर इस स्मारक को बनाने की योजना को अविलम्ब क्लियरेंस प्रदान करके शीघ्र ही डा.बाबा साहेब अम्बेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाने का मार्ग प्रशस्त करें।

माननीय सभापति : श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ

*m02 डा.किरीट पी.सोलंकी को संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*t43

Title: Need to start flight operation from Satna Airport in Madhya Pradesh.

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शून्यकाल में मुझे मेरा विषय उठाने की अनुमति दी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ध्यान सतना हवाई अड्डे को राष्ट्रीय हवाई परिचालन सेवा में जोड़े जाने के संबंध में आकर्षित कराना चाहता हूं। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के 50 उन हवाई अड्डों को, जिनमें हवाई सेवाएं संचालित हैं, ऐसे हवाई अड्डों को राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के परिचालन नेटवर्क में जोड़े जाने का ऐलान किया है। मैं लोक सभा क्षेत्र सतना, मध्य प्रदेश से आता हूं। वहां से वर्तमान में वेंचुरा एयरक्राफ्ट का परिचालन भोपाल, सिंगरौली, वाराणसी के लिए हवाई सेवा संचालित है। उस हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एक अनुबंध के तहत राज्य शासन को संचालन एवं संवर्धन के लिए दिया हुआ है। सतना हवाई अड्डे का द्वितीय विश्व युद्ध के समय निर्माण किया गया था। अतः मेरी उड्डयन मंत्रालय से मांग है कि राष्ट्रीय परिचालन नेटवर्क में सतना हवाई अड्डे को भी शामिल किया जाए तथा एयर इंडिया की हवाई यात्रा प्रारम्भ की जाए। हमारा जिला एक औद्योगिक जिला है, जहां देश का एक-तिहाई सीमेन्ट का उत्पादन होता है और बड़ी संख्या में यहां से दिल्ली, भोपाल, मुम्बई, कोलकाता जाने वाले यात्रियों को हवाई सेवाओं से जोड़े जाने की लम्बे समय से मांग की जा रही है।

महोदय, इसी तरह से एक दूसरा विषय यह है कि मेरे पड़ोस मे खजुराहों हवाई अड्डा है। यहां पिछले तीन-चार साल से एक नया टर्मिनल बनाया जा रहा है, वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें न जाने अभी और कितना समय लगेगा। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जानना चाहूंगा कि यह हवाई अड्डा कब तक पूरा हो जायेगा।

19.00 hrs.

*t44

Title: Need to provide a special financial package to drought-hit Bihar.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं बिहार से आता हूँ। बिहार के लगभग 29 जिले सूखे की चपेट में हैं। जहां 42 प्रतिशत बारिश कम हुई है, वहां किसानों की हालत काफी दयनीय है। उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में है। मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की ओर भी ले जाना चाहता हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र नालंदा है, जहां बीस प्रखण्ड हैं। जिनमें से 15 प्रखण्ड सुखाड़ की चपेट में हैं और पांच प्रखण्ड दहाड़ की चपेट में हैं। एक तरफ फलगू नदी के पानी ने हिलसा एवं करायपशुराय प्रखण्ड को काफी प्रभावित किया है, दूसरी तरफ पंचाने नदी में काफी पानी आ जाने से गिरियक, रहुई, कतरी सराय, आदि इलाकों में और खास कर रहूई प्रखण्ड में कई ऐसे गांव हैं, जो प्रभावित हुए हैं। बरांदी गांव की तो सड़क टूट गयी है। रहीमपुर, खिरौना, रहुई, लोहरन आदि तमाम गांवों में पानी का स्तर बढ़ गया है। वहां पर सरकार की तरफ से खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में बाढ़ से प्रभावित लोगों को केंद्रीय सहायता के रूप में अतिरिक्त खाद्य सामग्री, रहने के लिए मकान, फसलों की नुकसान की भरपाई के लिए मुआवज़ा देने की कृपा करें। टूटे हुए सड़क संपर्क तथा पुल-पुलिया का निर्माण कराया जाए। साथ ही साथ पूरे बिहार राज्य को सुखाड़ से निपटने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए।

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦ *

*t45

Title: Regarding drinking water crisis in Agra.

डॉ. रामशंकर कठेरिया (आगरा) : सभापति महोदय, मैं आगरा लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ। आगरा शहर की आबादी 25 लाख है। वहां के पानी में टी.डी.एस. का स्तर पांच हज़ार से ले कर दस हज़ार तक है। वहां खारा पानी है तथा पीने के पानी का कोई साधन नहीं है। यमुना नदी आगरा के किनारे बहती है लेकिन पूरे साल में 11 महीने यमुना नदी पूरी तरह सूखी रहती है। पानी की भयंकर समस्या के कारण वहां के लोग वही खारा पानी पीने को मज़बूर हैं। 20 प्रतिशत लोग तो पानी खरीद लेते हैं, लेकिन 80 प्रतिशत लोग खरीद नहीं पाते हैं। जो गरीब लोग हैं, वे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यमुना नदी पूरी तरह सूखी रहती है। यमुना के किनारे ताजमहल की नींव में जो लकड़ी है, जिसके कुएं के ऊपर ताज़महल बना है, पानी के आभाव के कारण, कुएं के नीचे जो लकड़ी है, वह भी सूख रही है और इस कारण ताजमहल में दरार आ रही है और उससे ताजमहल को खतरा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यमुना नदी को साबरमती नदी की तर्ज पर विकसित किया जाए। यमुना नदी पर एक बैराज बनाया जाए, जिसके कारण ताजमहल की सुरक्षा भी हो सकेगी और ताजनगरी की जनता को भी पानी मिल सकेगा। इसी के साथ साथ ताजमहल और लालकिला के बीच में यमुना नदी के किनारे 21 लाख वर्गफुट जो जमीन पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसको हरित पट्टिका घोषित किय जाए। उसको विकसित करने के लिए भारत सरकार कदम उठाए जिससे वहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ सकें।

*t46

Title: Regarding houses constructed in Red Zone under Ministry of Defence.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पूणे के करीब पिंपरी चिंचवड मावल में रक्षा विभाग के अंतर्गत रेड जोन एरिया में पक्के घरों में रह रहे लोगों की समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, पिछले अनेक वर्षों से पिंपरी, चिंचवड़, मावल में लगभग एक लाख मकान बने हैं, जिसमें करीब चार से पांच लाख लोग रहते हैं। कई बिल्डिंग्स ऐसी बनी हैं, जिसमें राज्य सरकार, पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पिंपरी चिंचवड़ न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी आदि अनेक संस्थाओं ने डेवलपमेंट प्लान मंजूर किया है। उसके अंतर्गत अधिकृत परमिशन ले कर मकान लीगली बनाए गए हैं। इसी एरिया में कई हज़ार मकानों को बिजली, पानी एवं रास्तों की सुविधा दी गई है। सभी मकानों का लीगली प्रॉपर्टी टैक्स आज भी करोड़ों में वसूल किया जाता है, लेकिन वर्ष 2013 में पूना कलेक्टर ने इस क्षेत्र को रेड जोन के अन्तर्गत घोषित किया है। शुरू में रेड जोन का क्षेत्र छह सौ यार्ड था, बाद में उसे बढ़ाकर दो हजार यार्ड तक किया गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस एरिया में जो रेड जोन बना है, जो मकान इसके अन्तर्गत आते हैं, रक्षा मंत्री जी, रक्षा सचिव इसके ऊपर ध्यान दें और इन मकानों को अधिकृत किया जाये।

*t47

Title: Need to provide railway Lalts of express trains at Tiruvannamalai railway station.

*SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI): Hon'ble Chairman Sir, I wish to raise an important issue in this House. In my Tiruvannamalai Constituency before broad gauge conversion, there was rail connectivity between Chennai and Tiruvannamalai. After the broad gauge conversion all the train services were stopped. Tiruvannamalai is a district headquarters and a temple town. It is a spiritual centre. To visit Annamalaiyar temple of Tiruvannamalai and for circumambulation during full-moon days, Tamil New year, English New year and festival days like Karthigai Deepam, lakhs of pilgrims from Chennai and other parts of the State come to Tiruvannamalai. There is heavy vehicular traffic during these occasions and it becomes difficult to control the traffic. There should be adequate rail services to Tiruvannamalai. Howrah Express between Puduchcherry and Howarah does not stop at Tiruvannamalai. This train should stop at least for 5 minutes at Tiruvannamalai railway station. Pilgrims and passengers would be benefitted by this. Ticket booking is done only during morning hours. I urge that it should be extended in the evening hours also. A parcel office should function at Tiruvannamalai railway station. Basic amenities like drinking water facilities, rest rooms, latrine facilities, etc. in the railway station should be improved. Chennai-Tirupaththur train service has been in operation for so many years. This train departs from Tirupaththur at 4.30 am and reaches Chennai and on the other side
reaches Tirupaththur at 10 pm. But for the last four months this train halts at Jolarpet, Therefore the rail link between Jolarpet and Tirupaththur is lost. People of this area have to depend on other modes of transport for onward journey to Tirupaththur. I therefore urge the Hon Railway Minister through this august House that the train service must be resumed up to Tirupaththur as it was before. I also urge for starting a new railway line from Tiruvannamalai to Jolarpet via Chengam.

*t48

Title: Need to continue the regional centre of Sports Authority of India at Sonepat, Haryana.

श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत) : महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सोनीपत पार्लियामेंट क्षेत्र से आता हूँ। सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण का एक रीजनल सेन्टर है, जहाँ पूरे हरियाणा के और निकटवर्ती दूसरे राज्यों के भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 500-600 खिलाड़ी नियमित रूप से खेलों के प्रशिक्षण हेतु आते हैं। हाल ही में सरकार ने यहाँ से कतिपय खेलों की प्रशिक्षण सुविधाओं को बदलने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से स्थानीय खिलाड़ियों में काफी रोष है। यहाँ से बॉक्सिंग, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों के प्रशिक्षण सुविधाओं को न बदला जाये, इससे खिलाड़ियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अतः मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि सोनीपत के रीजनल सेन्टर में विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण की सुविधाओं को जारी रखा जाये तथा यहाँ से किसी भी खेल प्रशिक्षण सुविधा को न बदला जाये। इस सेन्टर को विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स का दर्जा दिया जाये ताकि यहाँ से ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा पदक जीतें। चाहे राष्ट्रमंडल खेल हों, चाहे एशियन गेम्स हों, हमारे रीजनल सेन्टर से सबसे ज्यादा खिलाड़ी पदक जीतकर देश के लिए लाते हैं।

*t49

Title: Need to provide compensation to the people affected by heavy rain in different parts of the country.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Mr. Chairman, Sir, I am bringing your urgent attention and intervention to the following important issue.

The southwest monsoon has intensified over Kerala unleashing torrential rain across the State and leaving a trail of devastation especially backward agricultural dependent districts such as Palakkad.

The summer rain that lashed the district plays havoc, which claimed eight lives so far.

Sir, crops on 2,153 hectares of land were damaged, of which paddy fields made up the largest area of 1,392 hectares. The crops loss is estimated at Rs. 9.72 crore. In the district, 340 hectares of farm land is submerged in water. Fifty per cent of the loss suffered by the farmers is on account of damage to paddy alone. Crops like plantain and vegetables have also been damaged in the rain. Fifteen houses got destroyed and 412 houses got damaged. Damage of roads has led to a loss of Rs. 5.3 crore.

In this regard, the Government of Kerala has already estimated the primary statement and submitted it to the Government of India seeking assistance of Rs. 31 crore. The estimate is of almost Rs. 85 crore due to loss of agricultural crops alone. The roads, houses and other damaged items are involved in this damage list.

In the case of Kerala, the Central team does not reach in time. I would, therefore, urge the Government to immediately send a special team to our State to investigate the loss, particularly, on the agriculture side as early as possible and give sufficient compensation to the farmers and the poor people of the State of Kerala.

*t50

Title: Regarding Ebola virus in African countries.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : सभापति महोदय, आज पश्चिम अफ्रीका में, नाइजीरिया में, गिनी में और काफी जगह इबोला के पेशेन्ट देखने को मिल रहे हैं। वहाँ वायरल फैला हुआ है जिसके कारण वहाँ के लोग काफी भयभीत भी हैं और कई लोगों की डैथ भी हुई है। हम लोगों के लिए इसके साथ एक बहुत ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा उठा जो अखबारों में भी आया कि लागोस में यह बीमारी फैली हुई है। वहाँ आबूज़ा में हमारे चार इंडियन डॉक्टर हैं जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइमस में काम करते हैं। वे डाक्टर इंडिया वापस आना चाहते हैं, उनको इस बीमारी से डर लग रहा है। उनका पासपोर्ट हॉस्पिटल द्वारा ज़ब्त किया गया है और ज़बर्दस्ती उनको उनकी विल के खिलाफ पेशेन्ट के इलाज के लिए रखना चाहते हैं। जहाँ यह बीमारी है, उसका डिस्टैन्स वहाँ से 800 किलोमीटर है। मैं आपके माध्यम से इस मामले में सरकार का हस्तक्षेप चाहती हूँ। किसी की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डाक्टर खुद भयभीत है और वापस आना चाहता है तो किसी की विल के खिलाफ उसको वहाँ ज़बर्दस्ती नहीं रखना चाहिए। हाई कमीशन से वह टच में हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके उनका पासपोर्ट उनको वापस दिलवाकर उन्हें इंडिया वापस लाया जाए।

*t51

Title: Issue regarding low capacity trains formers set up under Rajiv Gandhi Rural Electrification scheme.

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही लोक महत्व के सवाल को उठाने का अवसर प्रदान किया है। महोदय, यह बहुत सैंसिटिव मामला है। पूरे बिहार में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत लगभग 10 हज़ार से अधिक विद्युत ट्रांसफॉर्मर खराब पड़े हैं। इसमें लगभग 90 प्रतिशत राशि भारत सरकार देती है और 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को देनी पड़ती है। महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र में कमोबेश यही हालत है। सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर खराब पड़े हुए हैं। जब मैं क्षेत्र का भ्रमण करने जाता हूँ तो स्थानीय लोगों का कोपभाजन हमें बनना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मर खराब पड़े हैं लेकिन बदलने के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं है - न राज्य सरकार के पास है, न केन्द्र सरकार के पास है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आज पूरे बिहार में ट्रांसफॉर्मर खराब होने की वजह से गाँवों में अंधेरा हो गया है। उसमें पटना और पाटलिपुत्र के अलावा बक्सर तथा और इलाका भी आता है। लोगों में एकदम हाहाकार मचा हुआ है।

माननीय सभापति : आप डिमांड बताइए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं डिमांड ही तो बता रहा हूँ, पहले मेरी वेदना सुन ली जाए। मैं छः घंटे से इसी बात को कहने के लिए बैठा हूँ, अब तो सदन भी करीब-करीब खत्म होने वाला है।

महोदय, उक्त योजना में 16 केवीए और 25 केवीए के ट्रांसफॉर्मर लगाए गए थे लेकिन लोड बढ़ने के कारण ट्रांसफॉर्मर या तो जले हुए हैं या खराब पड़े हुए हैं। जिन गाँवों में ट्रांसफॉर्मर लगे हैं, वहाँ गरीब लोग बसते हैं। गाँव के गरीब लोग जो कभी अंधेरे से उजाले में आए थे, उनको बड़ा सुनहरा अवसर मिला था। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में सबसे बड़ी खामी यह है कि इस योजना में सभी जगह कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। जब गांवों में इस योजना के माध्यम से विद्युतीकरण हो रहा है तो भविष्य की ज़रूरत को देखते हुए 63 केवीए और 100 केवीए के ट्रांसफार्मर लगाने चाहिए, ताकि वह लोड सह सके। आप भी इससे सहमत होंगे। यह पूरे देश की हालत है, केवल बिहार की बात नहीं है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां भी ऐसा ही होगा, चूंकि सभी जगह एक ही पॉलिसी है।...(व्यवधान) इस योजना के क्रियान्वयन में देश का बहुमूल्य संसाधन खर्च हुआ है, लेकिन गांव के लोगों को इससे लाभ नहीं मिल रहा है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक लाइन में डिमाण्ड बताइए और अपनी बात को खत्म कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। अब स्थिति यह है कि लोग यह मानने लगे हैं कि इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है और यह योजना सफेद हाथी साबित हो रही है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप समाप्त नहीं कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैंने अभी अपनी डिमाण्ड नहीं की है, कृपया मुझे डिमाण्ड रखने दीजिए।

माननीय सभापति : यह डिबेट नहीं है, यह ज़ीरो ऑवर है।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं ज़ीरो ऑवर में ही आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां 16 केवीए और 25 केवीए के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वहां 65 केवीए और 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि गांव के लोगों को विद्युत मिल सके। गांव के लोगों ने सपना देखा था कि वे भी कभी अंधेरे से उजाले में आएंगे।...(व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदय, मैं श्री रामकृपाल जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

माननीय सभापति : निशंक जी, आप बोलिए।

*t52

Title: Need to revive life-saving drugs manufacturing companies in the country.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय सभापति जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र हरिद्वार के अंतर्गत ऋषिकेश और वीरभद्र क्षेत्र के अलावा हैदराबाद और गुड़गांव में भी सन् 1962 में आईडीपीएल को भारत सरकार ने गरीबों को सस्ती दरों पर दवाइयां देने के लिए स्थापित किया था।

श्रीमन, हजारों-करोड़ रुपये की सम्पत्ति से तैयार देश के लिए जीवनरक्षक दवाइयों की निर्माता ये ऐसी यूनिट्स हैं, जिन्होंने गुजरात के सूरत में प्लेग फैलने पर उसकी रोकथाम के लिए और देश में आपातकाल के समय में दवाइयां उपलब्ध करवाने का काम किया था। लेकिन आज ये दम तोड़ती नज़र आ रही हैं। हजारों लोगों की रोज़ी-रोटी छीनी जा रही है और वे बेघर होने को मजबूर हैं। इसके कारण से देश के लिए संकट खड़ा हो रहा है, क्योंकि जीवनदायी दवाइयों को चीन से खरीदा जा रहा है। मैं पुरजोर मांग करना चाहता हूं कि ऐसी यूनिट्स जो देश की प्रगति में, देश की रक्षा में और देश के स्वास्थ्य मिशन में मील का पत्थर साबित हो सकती थीं और मील का पत्थर साबित हुई हैं, ऐसी यूनिट्स को, जो कि दम तोड़ती नज़र आ रही हैं, अत्याधुनिक तकनीक के साथ, नये निर्माण के साथ पुनर्जीवित किया जाए ताकि देश की प्रगति में यह आगे बढ़ सकें और जीवन रक्षा कर सकें। आपात स्थिति में यदि चीन ने जीवनरक्षक औषधियों को देने से इंकार कर दिया तो देश संकट में आ जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इन यूनिट्स को नई तकनीक के साथ शुरू किया जाए।

*t53

Title: Need to take necessary and speedy steps for medical checkups of the afftected persons returning from Ebola-affected West African nations.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I am raising a matter relating to Ebola virus which was just now mentioned by Shrimati Ranjeet Ranjan.

India is on alert for the Ebola virus because there is a risk that the deadly virus could be imported into the country if the large population of Indians working in the four affected West African nations returns. India has nearly 45,000 people living in the four Ebola-affected West African nations. Health officials have said that there is a possibility of some of them returning to their home country, if the outbreak worsens. The illness was declared as an international health emergency by the World Health Organization (WHO) on Friday and the authorities have voiced fears that the virus could spread worldwide.

In this regard, I would like to urge upon the Government to alert all the State Governments and the airport officials for exact checking of the affected persons to control the disease by the Government.

Sir, what travel control measures are taken by the Government on passengers travelling to and from these affected countries? The entire country is in an apprehensive mood whether the outbreak will affect us in future or not. Therefore, the Government of India should take necessary and speedy steps for removing the apprehensions of the people. That is all.

*t54

Title: Need to give free compulsory education to children in the country.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसके लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर, बच्चे किसी भी देश की 100औ जनसंख्या नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे किसी देश का 100औ भविष्य जरूर होते हैं। भारत में साक्षरता दर 66औ है। वर्ष 2007 में यू.एन.ओ. की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व साक्षरता रैंकिंग में 149वें स्थान पर था। वास्तव में, शिक्षा, जो एक सांविधानिक अधिकार था, अब वह मौलिक अधिकार बन चुका है। अब यह संविधान के अनुच्छेद 21-ए में है, जो एक अप्रैल, 2002 को पूरे भारत में लागू हो चुकी है। यह मज़बूत तरीके से यह आश्वासन देता है कि छः से चौदह वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी तथा यह उनके माता-पिता का मौलिक कर्तव्य भी है। लेकिन शिक्षा के अधिकार की ज़मीनी सच्चाई से आप सभी वाक़िफ हैं। अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो यहां एक-एक सेक्शन में 90-90 बच्चे बैठ रहे हैं। बदरपुर, मोलरबंद, तुगलक़ाबाद एक्सटेंशन, जे ब्लॉक संगम विहार आदि ऐसे अनेक एरियाज हैं जहां के स्कूलों में विद्यार्थी शिक्षक के अनुपात में

बहुत अधिक हैं। सरकारों ने इस संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। पिछले 15 वर्षों में दिल्ली में 40 लाख लोग पड़ोसी राज्यों से रोज़गार व शिक्षा के लिए आए हैं। इनमें अधिकतर लोग अपने बच्चों की शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए यहां आए हैं। सरकार ने इसके संबंध में नीति नहीं बनाई, उनके कारण उन से फायदा उठाकर कुछ नए राजनीतिक दल भी पैदा हो गए थे, जिन्होंने 500 स्कूल बनाने का आश्वासन दिया और 49 दिनों में भाग खड़े हुए।

सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय एजुकेशन मिनिस्टर से निवेदन है कि जो फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने यहां बीस स्कूल खोलने का निर्णय लिया, लेकिन इसी वर्ष के अंदर उन बच्चों के दाखिले होने चाहिए। बच्चों के मां-बाप बेचारे हमारे पास आते हैं कि उनके बच्चों के दाखिले स्कूलों में नहीं होते हैं। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार से, वर्षों से देश में विश्वविद्यालयों की संख्या में 11.6 गुणा, महाविद्यालयों में 12.5 गुणा और विद्यार्थियों की संख्या 60 गुणा बढ़ गयी है, जिससे यूनिवर्सिटी में बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं। लोग सैंकड़ों किलो मीटर दूर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं तथा दिल्ली में पढ़े हुए बारहवीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा नहीं मिलती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज देश के बाहर राज्यों में भी खोले जाएं जिनसे उन बच्चों को एजुकेशन मिल सके।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : The House stands adjourned to meet tomorrow at 1100 a.m.

19.22 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, August 14, 2014/Shravana 23, 1936 (Saka).

---

* ण्ड्ढ म्न्द्र अ ड्ढत्ड्ढड्ड ड्डद्दष्ड्ढ ण्ड्ढ दड्डर्ठ द्द ड्ड ग्ड्ढम्ड्डड्ढद्ध त्दड्डत्ड्डय्ड्ढम् ण्ड्डद्य् ण्ड्ढ दर्वड्ढद्य्त्दद ड्डम् ड्डय्द्वड्ढय्न् ड्डत्ड्ढड्ड द्द ण्ड्ढ ड्ढय्द्दद्ध द्द ण्ड्ढ Hद्दव्म्ड्ढ ड्ढ्र् ण्ड्डद्य् ग्ड्ढम्ड्डड्ढद्ध.

* ग्द्दद्य् द्धड्ढद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग्द्दद्य् द्धड्ढद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग्द्दद्य् द्धड्ढद्दद्धड्डड्ढड्ड ड्डथ् द्दद्धड्डड्ढद्धड्ढड्ड ड्ढन् ण्ड्ढ ण्ड्डत्द्ध.

* ग्द्दद्य् द्धड्ढद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग्द्दद्य् द्धड्ढद्दद्धड्डड्ढड्ड.

** ग्द्दद्य् द्धड्ढद्दद्धड्डड्ढड्ड ड्डथ् द्दद्धड्डड्ढद्धड्ढड्ड ड्ढन् ण्ड्ढ ण्ड्डत्द्ध.

* ग्द्दद्य् द्धड्ढद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग्द्दद्य् द्धड्ढद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग्द्दद्य् द्धड्ढद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग्द्दद्य् द्धड्ढद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग्द्दद्य् द्धड्ढद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग्द्दद्य् द्धड्ढद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग्द्दद्य् द्धड्ढद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* Eद्दथ्त्द्धर्ण् य्द्धड्डदथ्ड्डय्त्द्दद द्द ण्ड्ढ च्द्धड्ढड्ढण् द्दद्धश्र्त्दड्डथ्न् ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द ड्ढर्त्थ्.